शासकीय उपयोग हेतु

प्रतिवेदन क्रमांक : 17

Chhattisgarh TRTI
TRIBAL RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE



# कंडरा

## जनजाति

## का मानवशास्त्रीय अध्ययन

कंडरा जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

नवा रायपुर (छ.ग.)

शासकीय उपयोग हेतु

प्रतिवेदन क्रमांक : 17

Chhattisgarh TRTI
TRIBAL RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE

# कंडरा जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन


| | | |
|---|---|---|
| निर्देशन | : | शम्मी आबिदी IAS<br>संचालक |
| मार्गदर्शन | : | श्री एल. चौहान<br>उपसंचालक |
| प्रतिवेदन | : | भूषण सिंह नेताम (अनुसंधान सहायक) |
| सहयोग | : | मोहन साहू,<br>ईश्वर साहू<br>आनंद सिंह परमार<br>(अनुसंधान सहायक) |


**आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान**
**नवा रायपुर (छ.ग.)**

# अनुक्रमणिका



# अध्याय-1 पृष्ठभूमि

## प्रस्तावना

भारत की संस्कृति और सभ्यता अद्वितीय मानी गई है। विभिन्न संस्कृतियों का अद्भूत समागम हमारी भारतीय संस्कृति का प्रथम चरण है। आदिवासी, आदिमजाति आदि के रूप में आदिकाल से भारत का मूल निवासी होने के कारण इन्हें आदिवासी तथा प्राचीन संस्कृति के संवाहक होने के कारण आदिम जाति के रूप में भी जनसामान्य इन्हें पहचानते हैं। इनके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य संबंधी स्थिति अन्य समाजों की तुलना में पिछड़ी हुई है। इनके आजीविका के मुख्य स्त्रोत जंगली कंद मूल, वनोपज संग्रह, कृषि, मजदूरी व बांस से वस्तुएं निर्माण कर, स्थानीय साप्ताहिक हाट–बाजारों में विक्रय करना है। यह समुदाय सभ्यता के विकास को अभी तक पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं कर पाया है, जो अभी भी दुर्गम और सघन वन प्रान्तों में जीवनयापन करता है। उनका जीवन, उनकी संस्कृति, उनका आचार–विचार, भौतिकता से दूर नैसर्गिक पवित्रता के साक्षी हैं। यद्यपि यह समुदाय साक्षरता एवं विकास में विपन्न है किन्तु अनुभव और प्राकृतिक संस्कृति का विराट संपदा इनके पास ही अक्षुण्य है।

स्वतंत्रता के पश्चात् केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अनेक योजनाएं निर्माण कर संचालित की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप अनुसूचित जनजाति कहलाये जाने वाले यह समुदाय धीरे–धीरे समाज की मुख्यधारा की ओर अग्रसर होने लगे हैं।

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का कुल क्षेत्रफल 135198 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या 2,55,45,198 है और इस प्रकार जनसंख्या के क्रम में यह सत्रहवां राज्य है। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से कुल जनसंख्या का 2.11 प्रतिशत है।

विभिन्न समाजशास्त्रियों एवं मानवशास्त्रियों ने समय के बदलते तस्वीर के साथ विभिन्न जनजातियों के सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों का अध्ययन किया है, जिसमें आदिवासी समुदाय की बोली/भाषा, रहन–सहन, खान–पान, रीति–रिवाज, मान्यताएं, लोकगीत, नृत्य–संगीत, परिवार एवं विवाह आदि प्रमुख है। इस अध्ययन में इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर ''कंडरा जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन'' किया गया है।

## छत्तीसगढ़ की जनजाति :-

भारत में अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या लगभग 8.6 प्रतिशत है। 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 78,22,902 (30.62 प्रतिशत) है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के कुल जनसंख्या के लगभग एक तिहाई के करीब है। इस दृष्टि से छत्तीसगढ़ को जनजातीय बाहुल्य राज्य भी कह सकते हैं। भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जारी अनुसूचित जनजाति की सूची में 42 जनजाति एवं इनके उपसमूहों को अधिसूचित किया गया है। इस सूची के अनुक्रमांक 16 में गोंड जनजाति एवं इसके उपसमूहों को शामिल किया गया है। जिसमे कंडरा जनजाति भी एक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कंडरा जनजाति की जनसंख्या गोंड जनजाति एवं इसके

उपसमूहों का सम्मिलित रूप से जारी किया गया है जिसके अनुसार गोंड जनजाति एवं इसके उपसमूहों की सम्मिलित रूप से कुल जनसंख्या 42,98,404 है जिसमें पु. 21,20,974 एवं म. 21,77,430 जनसंख्या है इनमें साक्षरता दर 47.94 प्रतिशत है जिसमें पुरूष साक्षरता दर 56.95 व महिला साक्षरता दर 39.17 प्रतिशत है, कंडरा जनजाति इस प्रदेश में मुख्यतः रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, बेमेतरा, बालोद, कबीरधाम, महासमुंद, मुंगेली, बलौदाबाजार , बिलासपुर, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही आदि जिलों में निवास करती है।

## उत्पत्ति का इतिहास :-

भारतीय मानववैज्ञानिक सर्वेक्षण की कृति Peoples of India National Series vol.III the Scheduled by K.S. Singh ( 1999) के पृष्ठ क्र. 321 के अनुसार कंडरा समुदाय अपनी उत्पत्ति गोंड राजाओं से मानते हैं, जिनका विवाह हलबा एवं कंवर महिला से हुआ। प्रारंभ में यह समुदाय बुर्रा गोंड के नाम से जाना जाता था, जो बाद में कंडरा के नाम से प्रचारित किये गये। कंडरा जाति के उत्पत्ति के संबंध में कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। कंडरा जनजाति की उत्पत्ति संबंधी प्रचलित किवदन्ती अनुसार प्राचीन काल में एक औरत नदी में नहाते समय केश धो रही थी, उसी समय एक कौआ उसके पास आया। औरत अपने एक टूटे हुए सफेद केश को देखकर वह सोचने लगी कि वह बूढ़ी हो गयी है। कौआ मनुष्य की भाषा जानता था तथा मन की भावों को भी समझता था। कौआ उस औरत के मन की बात ताड़ कर बोला– हे देवी तुम अभी बुढ़ी नहीं हुई हो, तुम्हारे भाग्य में दो बच्चा होना लिखा है और भाग्य में लिखा कोई नहीं बदल सकता। तब उस औरत ने कहा–मैं एक विधवा हूँ तथा बिना पति के पुत्र होना संभव नहीं है।



तुम्हारे दो बच्चे होंगे, होंगे.... कहते हुए कौआ अंतर्ध्यान हो गया। वह महिला जंगल की ओर चली गई। रात्रि को भयवश बांस के पेड़ों के बीच "बांस भिरहा" में छुप गई। सुबह सुपल भगत नाम का एक व्यक्ति बांस काटने उसी बांस भिरहा के पास पहुंचा और वह जैसे ही बांस काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाया तब वह औरत जोर से चिल्ला उठी कुल्हाड़ी न चलाने के लिए निवेदन करने लगी। उस डरी सहमी औरत की आवाज को सुनकर उस सुपल भगत ने उसे बांस भिरहा से बाहर निकालकर उसे हिम्मत बंधाया। वह औरत सुपल भगत से कहने लगी कि अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, क्या तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे तब सुपल भगत ने कहा–मैंने विवाह नहीं करने का निश्चय किया था किन्तु अब तुम्हारे करूणामय निवेदन को सुनकर तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का निश्चय करता हूँ।

उसके बाद दोनों विवाह करके नदी के किनारे झोपड़ी बनाकर रहने लगे। कुछ समय पश्चात महिला गर्भवती हुई और कौआ के भविष्यवाणी के अनुसार उसके गर्भ से दो पुत्र हुए। उसमें से एक पुत्र बस्तर के जंगल में रहने लगा, जिससे मुरिया, माड़िया पैदा हुए। दूसरा पुत्र उत्तर दिशा में अर्थात मैदानी भाग में आ गया, जो कंडरा कहलाया। कंडरा बांस से सुपा, टुकनी, झऊंहा व अन्य वस्तुएं बनाकर जीवन यापन करने लगे।

कंडरा समुदाय वर्तमान में अपनी परंपरागत मूल बोली गोंडी को विस्मृत कर छत्तीसगढ़ी या हिन्दी बोलते हैं। बुजुर्ग सदस्य छत्तीसगढ़ी मिश्रित पारसी बोली का उपयोग करते हैं। K.S. Singh के अनुसार यह समुदाय अपने द्रविड़ियन भाषा समूह की बोली गोंडी को भूल गये हैं।

## जनसंख्या

भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कंडरा जनजाति की पृथक जनसंख्या उल्लेखित नही है गोंड जनजाति एवं उसके उपसमूह के साथ कंडरा जनजाति की सम्मिलित जनसंख्या है। छत्तीसगढ़ राज्य में कंडरा जनजाति के मानवशास्त्रीय अध्ययन हेतु इनके कुल 104 परिवारों का अध्ययन किया गया है। जिनकी जनसांख्यिकीय विवरण निम्नानुसार है :–

### (अ) कुल जनसंख्या

सर्वेक्षित 104 परिवारों में कंडरा जनजाति की कुल जनसंख्या निम्नानुसार तालिका में दर्शित है :–

**तालिका क्रमांक-01 कुल जनसंख्या**

| क्र. | व्यक्ति | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | पुरूष | | महिला | | योग | |
| | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| 1. | 213 | 53.65 | 184 | 46.34 | 397 | 100.00 |

कंडरा अनुसूचित जनजाति के सर्वेक्षित 104 परिवारों की कुल जनसंख्या 397 पायी गई, जिसमें पुरूष जनसंख्या 213 (53.65 प्रतिशत) एवं महिला जनसंख्या 184 (46.34 प्रतिशत) पायी गई है। इसमें लिंगानुपात 864 है।

## (ब) उम्र-लिंग अनुसार जनसंख्या वर्गीकरण

सर्वेक्षित कंडरा जनजाति की कुल जनसंख्या का उम्र–लिंग अनुसार वर्गीकरण निम्नांकित है :–

**तालिका क्रमांक-02 उम्र-लिंग अनुसार जनसंख्या वितरण**

| क्र. | उम्र समूह (वर्षों में) | व्यक्ति | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | | महिला | | योग | |
| | | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| 1. | 0–5 | 27 | 12.68 | 11 | 5.98 | 38 | 09.57 |
| 2. | 6–14 | 24 | 11.27 | 17 | 9.24 | 41 | 10.33 |
| 3. | 15–21 | 31 | 14.55 | 27 | 14.67 | 58 | 14.61 |
| 4. | 22–35 | 64 | 30.05 | 58 | 31.52 | 122 | 30.73 |
| 5. | 36–50 | 34 | 15.96 | 38 | 20.65 | 72 | 18.14 |
| 6. | 51–60 | 21 | 9.86 | 19 | 10.33 | 40 | 10.07 |
| 7. | 60 से अधिक | 12 | 5.63 | 14 | 7.61 | 26 | 06.55 |
| योग | | **213** | **100.00** | **184** | **100.00** | **397** | **100.00** |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित कंडरा परिवारों में सर्वाधिक 30.73 प्रतिशत व्यक्ति 22–35 वर्ष उम्र समूह के हैं, तत्पश्चात 18.14 प्रतिशत व्यक्ति 36–50 वर्ष उम्र समूह, 14.61 प्रतिशत व्यक्ति, 15–21 वर्ष उम्र समूह एवं 10.33 प्रतिशत व्यक्ति 06–14 वर्ष उम्र समूह, 10.07 प्रतिशत व्यक्ति 51–60 वर्ष उम्र समूह में पाये गये। 09.57 प्रतिशत व्यक्ति 0–5 वर्ष उम्र समूह में व सबसे कम 06.55 प्रतिशत व्यक्ति ही 60 वर्ष से अधिक की उम्र–समूह में पाये गये।

36–50 एवं 60 वर्ष से अधिक के उम्र समूहों में पुरूषों की तुलना में महिलाओं का प्रतिशत अधिक दिखाई देता है किन्तु 0–5, 6–14, 15–21, 22–35 एवं 51–60 उम्र समूह में महिलाओं की जनसंख्या की तुलना में पुरूषों की संख्या अधिक है।

## शारीरिक लक्षण :-

छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक आदिवासी प्रोटो आस्ट्रेलॉयड प्रजाति के हैं। कंडरा जनजाति के लोग अधिकतर काले, सांवले, गठीले शरीर के होते हैं। ये छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य क्षेत्र के मैदानी भागों में निवासरत हैं। वर्तमान में व्यावसायिक उद्देश्य से शहरी क्षेत्रों मे ज्यादा निवासरत हैं।

भाषायी वर्गीकरण अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के जनजातियों को तीन भाषा परिवारों में विभाजित किया जा सकता है :–

1. मुंडा भाषा परिवार
2. द्रविड़ भाषा परिवार
3. आर्य भाषा परिवार

कंडरा जनजाति द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं।

## अध्ययन के उद्देश्य :-

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित है :–

1. कंडरा जनजाति का मानव शास्त्रीय (सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक) अध्ययन करना।
2. कंडरा जनजाति की समस्यायें एवं परिवर्तन का अध्ययन करना।

## अध्ययन क्षेत्र :-

कंडरा जनजाति के मानवशास्त्रीय अध्ययन के लिए रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बलौदाबाजार, बेमेतरा एवं कबीरधाम जिले में निवासरत 08 विकासखंडों के 14 ग्रामों में सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षित परिवारों की ग्राम, विकासखंड तथा जिलेवार सूची निम्नांकित है :–

**कंडरा परिवारों के सर्वेखित ग्रामों की सूची**

| क्र. | जिला | विकासखण्ड का नाम | ग्राम का नाम | सर्वेक्षित परिवार |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | रायपुर | आरंग | 1. गनौद | 05 |
| | | | 2. बिरबिरा | 04 |
| | | | 3. कठिया | 05 |
| | | | 4. कायाबांधा | 07 |
| | | | 5. आरंग | 08 |
| | | | **योग** | **29** |
| | | अभनपुर | 1. चंडी | 03 |
| | | | **योग** | **03** |
| 2. | दुर्ग | पाटन | 1. पाटन | 19 |
| | | | **योग** | **19** |
| 3. | धमतरी | मगरलोड | 1. भोथीडीह | 10 |
| | | | **योग** | **10** |
| | | कुरूद | 1. कुरूद | 11 |
| | | | 2. भाठागांव | 04 |
| | | | 3. कोड़ेबोड़ | 09 |
| | | | **योग** | **34** |
| 4. | बलौदाबाजार | सिमगा | 1. सिमगा | 05 |
| | | | **योग** | **05** |
| 5. | बेमेतरा | साजा | 1. देवकर | 04 |
| | | | **योग** | **04** |
| 6. | कबीरधाम | सहसपुर लोहारा | 1. बचेड़ी | 10 |
| | | | **योग** | **10** |
| | | | **महायोग** | **104** |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कंडरा जनजाति के 14 ग्रामों में निवासरत 104 परिवारों को इस मानवशास्त्रीय अध्ययन में शामिल किया गया है।

**अध्ययन प्रविधि :-**

प्राथमिक तथ्यों का संकलन साक्षात्कार, निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि द्वारा किया गया। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति ज्ञात करने हेतु ''परिवार अनुसूची'' का उपयोग करते हुए कंडरा जनजाति परिवारों का अध्ययन किया गया है।

द्वितीयक तथ्यों के रूप में प्रकाशित पुस्तकों, जनगणना का प्रतिवेदन व शासकीय प्रतिवेदनों का उपयोग किया गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण, सारणीयन कर प्रतिवेदन लेखन का कार्य किया गया है।

❑❑❑❑

# अध्याय-2 भौतिक संस्कृति

ग्रामों की संरचना में प्रायः एकरूपता पायी जाती है। ग्राम आयताकार तथा लम्बवत पाये जाते हैं। मार्ग के दोनों ओर मकान बने होते हैं। मुख्य रास्ते से छोटे–छोटे पंगडंडी अन्य पारे, टोले हेतु निकली होती है। कंडरा पारा मे प्रायः इमली, नीम, बरगद, जामुन आदि के वृक्ष पाये जाते हैं।

ग्राम के मध्य में छायादार स्थान पर सामुदायिक उपयोग हेतु ''चौरा'' (चबुतरा) का निर्माण किया जाता है। ग्राम के खाली स्थान पर गाय चराने हेतु ''चरागन'' (चारागार) पाया जाता है। ग्राम के मुख्य भाग में शाला भवन, पंचायत भवन आदि स्थित होते हैं। वर्तमान में पारे/टोले, स्कूल/हाट बाजार के समीप पेयजल हेतु शासकीय हैण्डपंप की व्यवस्था किया गया है। ग्राम बसाहटों के पीछे सामुदायिक निस्तारी हेतु एक या दो तालाब पाये जाते हैं। ग्राम के उत्तर दिशा में ग्राम बसाहट से बाहर किन्तु ग्राम सीमा के अंदर ''देवालय''नामक स्थान होता है, जहां ग्राम देवी–देवता स्थापित किये जाते हैं। शमशान बस्ती से बाहर नदी या नाले के समीप होता है। पारा या टोला से लगे हुए अथवा दूर छोटे–छोटे जोत की कृषि भूमि पर खेती की जाती है।

कंडरा जनजाति छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में कस्बा या शहरों के आसपास निवास करते हैं। जहां 20–30 परिवार का इनका एक मुहल्ला होता हैं, जिसे कंडरा पारा के नाम से जानते हैं। कंडरा जनजाति मुख्य रूप से बांस बर्तन बनाने का कार्य करती है। इसलिए शहरों के आसपास निवास करने से इन्हें बांस से बने, यथा टुकना, झउंहा, सूपा आदि को बेचने के लिए आसानी से बाजार उपलब्ध हो जाता है।

## 2.2 आवास निर्माण :-

कंडरा समुदाय में आवास निर्माण में निम्न प्रक्रिया अपनायी जाती है :–

### (अ) भूमि चयन :-

कंडरा जनजाति अपने आवास का निर्माण स्वयं करते हैं। घर के निर्माण हेतु सर्वप्रथम चयनित स्थल पर परिवार का प्रमुख व्यक्ति हल्दी, सुपाड़ी, चांवल एवं सिक्का चढ़ाकर अपने अराध्य देव की पूजा कर, घर का निर्माण कार्य प्रारंभ करते हैं।

प्रायः इनका घर 2–3 कमरों का होता है। आवास के लिए कमरों के निर्माण हेतु सबसे पहले रस्सी से मापकर कमरें की आकृति का चिन्ह बनाया जाता है। चूना या छुई (सफेद मिट्टी) से या रस्सी के सीधे चिन्ह पर फावड़ा से हल्का खोदकर चिन्ह बनाते हैं। उस चिन्हित स्थान पर 1.5 से 2 फीट चौड़ा तथा 1.5 से 2 फीट गहरी नींव खोद देते हैं। उस नींव की कुछ मिट्टी हटाकर आधे मिट्टी में पानी डालकर ''मताया'' (मिलाया) जाता है। अन्यत्र स्थान का मिट्टी भिगोकर ''पेरौसी'' (पैरा का टुकड़ा) मिलाते हैं। पैर से ''खुंदकर'' (मसलकर) एवं ''रापा'' (फावड़ा) से ''खपटकर'' (उलटकर) अच्छी तरह से मिलाकर उसका ''लोंदा'' (कच्चा मिट्टी का गोला) नींव में रखा जाता है। एक दिन में एक फीट की ऊंचाई तक लोंदा चढ़ाया जाता है। यह कार्य प्रातः 6 बजे से प्रारंभ कर 11 बजे तक पूरा किया जाता है, जिससे दिन भर की धूप में गीली मिट्टी सूख

सके। मकान बनाने का कार्य फागुन माह से बैसाख तक किया जाता है। मिट्टी का लोंदा बनाने के लिए सांयकाल 4 से 6 बजे तक ''गैंरी भरकर'' (मिट्टी एवं पुआल में पानी मिलाकर) रखा जाता है। दूसरे दिन मिट्टी का लोंदा बनाकर दीवाल के रूप में एक फूट ऊंचा प्रतिदिन चढ़ाते हैं। लगभग 3–4 फीट ऊंचाई तक दीवाल निर्माण हो जाने पर छोटी खिड़की या रोशनी हेतु झरोखा बनाया जाता है। लगभग 9–10 फीट दीवाल की निर्धारित ऊंचाई पूर्ण होने पर गोल लकड़ी की ''म्यार'' रख दी जाती है। पुनः दीवाल की ऊंचाई 2 फीट बढ़ायी जाती है। ''म्यार'' के बीचों–बीच ''खमेरा'' (लकड़ी की मोटी बल्ली) लगायी जाती है, जिसके ऊपर पटिया चढ़ायी जाती है, जो घर की छत का निर्माण करता है। पटिया के चारों ओर दीवाल पर लकड़ी की ''कांड़'' चढ़ायी जाती है, जिसके ऊपर बांस या लकड़ी का बत्ता बिछाकर, कील ठोंक दी जाती है, जिस पर पैरा की बनी ''खदर'' (घास–फूस) अथवा देशी खपरैल ''छा'' दिया जाता है। आवास निर्माण हेतु मिट्टी बनाने का कार्य महिलायें एवं दीवाल में मिट्टी चढ़ाने, म्यार रखने एवं छत बनाने का कार्य पुरूषों द्वारा किया जाता है। आवास हेतु दरवाजे एवं खिड़कियां स्थानीय बढ़ई द्वारा निर्माण करायी जाती है।



सामान्यतः आवास के भीतरी कक्ष में एक ओर अनाज रखने हेतु ''कोठी'' एवं दूसरी ओर पितृदेव एवं कुल देवी–देवता का बनाया जाता है। घर तैयार हो जाने के बाद उसमें धान कूटने की श्ढेकीश व अनाज पीसने का ''जाता'' (चक्की) रखा जाता है। सोने के लिए ''खटिया'' (चारपाई) का उपयोग करते हैं, जिसे वे स्वयं बना लेते हैं। पहनने, ओढ़ने–बिछाने के कपड़े टांगने के लिए घर के म्यार पर बांस की डण्डी बांधते हैं, जिसे ''अड़गसनी'' कहते हैं। कंडरा जनजाति के मकान दो कमरें के बने होते हैं। ठंड से बचने हेतु आग

जलाने के लिए मिट्टी से बनाया हुआ ''गोरसी'' का उपयोग करते हैं। घर के सामने आंगन में पशुओं की उपलब्धतानुसार एक ओर पशुओं को रखने के लिए ''कोठा'' बनाया जाता है। बकरियों के लिए ''छेरी कुरिया'' व मुर्गे–मुर्गियों के लिए ''कुकरी गुड़ा'' बनाया जाता है। कोठा के बाहर जानवरों को पानी पिलाने के लिए पत्थर या मिट्टी बना बडा पात्र रखा जाता है जिसे ''कोटना'' कहते है अधिकांश घरों में बाड़ी पायी जाती है, जिसमें मौसमी साग–भाजी आदि लगायी जाती है। ''रंधनी कुरिया'' (रसोई घर) में भोजन बनाने का कार्य किया जाता है, जिसके एक कोने में दोमुंहा चूल्हा होता है। दूसरे कोने में पानी रखने की गंजी, गुंडी व अन्य बर्तन रखे जाते हैं।

सर्वेक्षित कंडरा जनजाति परिवारों में आवास की स्थिति निम्नानुसार है :–

**तालिका क्रमांक-03 आवास की स्थिति**

| क्र. | विवरण | आवास संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | कच्चा | 14 | 13.46 |
| 2 | पक्का | 48 | 46.15 |
| 3 | अर्धपक्का | 42 | 40.39 |
| | **योग -** | **104** | **100.00** |

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वेक्षित कंडरा परिवारों में सर्वाधिक 46.15 प्रतिशत परिवारों का आवास पक्का, 40.38 प्रतिशत परिवारों का आवास अर्धपक्का एवं 13.46 प्रतिशत परिवारों का आवास कच्चा पाया गया है।

### 2.3 घर की सजावट एवं आवास व्यवस्था :-

कंडरा समुदाय अपने आवास के आंतरिक एवं बाह्य सजावट हेतु चिकनी मिट्टी या गोबर में पैरा को जलाकर प्राप्त काली राख मिलाकर दीवारों में मोटी छबाई करते है। तत्पश्चात् छुही (सफेद मिट्टी) से दीवारों की पुताई की जाती है। पुताई करते समय हाथों से लहरदार आकृति सुन्दरता की दृष्टि से बनायी जाती है। मिट्टी के फर्श की लिपाई प्रारंभ में गीली चिकनी मिट्टी से की जाती है। बाद में सामान्यतः गोबर के घोल से लिपाई की जाती है। दीवार को किसी त्यौहार विशेष में गोबर या मिट्टी से पोताई करते है। आंगन की लिपाई प्रत्येक सप्ताह की जाती है तथा फर्श की लिपाई प्रायः प्रतिदिन की जाती है।

### 2.4 व्यैक्तिक स्वच्छता :-

कंडरा जनजाति के महिला–पुरूष प्रतिदिन सुबह 5–6 बजे उठकर शौच से निवृत्त होकर दांतों की सफाई बबूल, नीम आदि वृक्षों की लगभग 8–9 इंच पतली डाली की ''दातुन'' से व जीभ की सफाई दातुन को चीरकर करते हैं। कंडरा महिलाएं प्रतिदिन घर के दैनिक कार्यों के पश्चात तालाब, नदी, कुंआ या हैण्डपंप में स्नान के लिए जाती हैं। बाल धोने हेतु चिकनी मिट्टी, रीठा तथा स्नान के लिए साबुन एवं कपड़ा धोने के लिए सोडा या कपड़ा धोने का साबुन उपयोग करती है।

कंडरा जनजाति में बच्चों को घर के बाड़ी या समीप के हैण्डपंप में स्नान कराया जाता है। स्नान के पश्चात सिर व शरीर में फल्ली, तिल या नारियल का तेल लगाकर कंघी करते हैं। स्त्रियां एक चोटी बनाकर उसे ''खोपा'' बना लेती है तथा चेहरे में ''स्नो'' व पावडर लगाती है।

पुरूष प्रतिदिन सुबह 8 बजे से अपने बांस कार्य में लग जाते हैं। 12–1 बजे नहाकर सिर व शरीर में तेल लगाते हैं तथा कंघी करते हैं। बच्चों, युवकों व पुरूषों के बाल नाई से कटवाते हैं। युवकों व पुरूषों के दाढ़ी–मूंछ भी 3–4 दिन के अंतर से नाई बनाता है। नाई को इसके बदले में वर्ष में एक बार अनाज दिया जाता है। शहरों में निवासरत कंडरा परिवारों के पास कृषि भूमि नहीं होने के कारण पुरूषों व युवकों के बाल दाढ़ी–मूंछ कांटने के बदले नगद राशि दी जाती है।

इस जनजाति की लड़कियां वर्तमान में नहाने के लिए साबुन, दांतों की सफाई के लिए ब्रश, टूथपेस्ट, जीभ की सफाई के लिए स्टील जीभी, बालों की सफाई के लिए शैम्पू का उपयोग करने लगी हैं। स्नान कर बालों व शरीर में नारियल तेल लगाकर बालों को कंघी करती हैं। लड़कियां अपने बालों को एक या दो ''बेनी'' (चोटी) बनाकर लाल, पीला आदि रंगों के ''फीता'' (रिबन) बांधती है। लड़कियों के कान व नाक बचपन में छेद लिये जाते हैं। हाथ व पैरों के नाखुन ब्लेड या नेलकटर से कांटते हैं।

**साज श्रृगांर :-**

स्नान करने के पश्चात् स्त्री व पुरूष नारियल या फल्ली का तेल लगाते हैं। स्त्रियां अपने आंखों में बाजार से उपलब्ध काजल का उपयोग करते हैं। बच्चों के आंखों में काजल लगाते हैं तथा सिर व गालों में काजल का टीका लगाते हैं। विवाहित स्त्रियां मांग में सिन्दुर या कुमकुम भरती है, जिसे सुहाग का चिन्ह माना जाता है। विवाहित स्त्रियां व लड़कियां बाजार से लायी हुई टिकली लगाती है। सुहागिन स्त्रियां व लड़कियां कांच की रंगीन चुड़िया हाथ की कलाइयों पर पहनती है। त्यौहार, विवाह आदि अवसरों पर स्त्रियां व लड़कियां मेहंदी लगाती है, इसके अलावा तीज–त्यौहारों व विवाह के अवसरों पर स्त्रियां व लड़कियां हाथों में मेंहदी तथा पैरों में ''महुर'' रंग लगाती है।

**आभूषण :-**

कंडरा जनजाति की महिलाएं सोना, चांदी, गिलट, पीतल, कांच, प्लास्टिक व रेशम के गहने पहनती हैं। उपरोक्त आभूषण साप्ताहिक हाट–बाजार सुनारों अथवा स्थानीय मनियारी वाले से खरीदे जाते हैं।

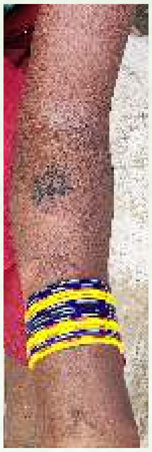


श्रृंगार की दृष्टि से पुरूष वर्ग भी गले में माला, कान में बारी, हाथ की कलाई में चूड़ा एवं हाथ की ऊंगलियों में ''मूंदरी'' (अंगूठी) पहने देखे जा सकते हैं।

**आभूषण का उपयोग -**

| क्र. | आभूषण का नाम | धातु | पहनने का अंग | उपयोगकर्ता |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | खिनवा | सोना/चांदी/पीतल | कान | स्त्री व लड़कियां |
| 2 | झुमका | सोना/चांदी/पीतल | कान | स्त्री व लड़कियां |
| 3 | टॉप्स | सोना/चांदी/पीतल | कान | स्त्री व लड़कियां |
| 4 | बाला | चांदी/पीतल | कान | लड़कियां |
| 5 | बारी | चांदी/डालडा चांदी | कान | स्त्रियां |
| 6 | खोंचनी | चांदी/डालडा चांदी | बालों में | स्त्री व लड़कियां |
| 7 | क्लिप | लोहा | बालों में | स्त्री व लड़कियां |
| 8 | नथली | सोना/चांदी | नाक | लड़कियां विवाहित स्त्रियां |
| 9 | फुली | सोना/पीतल | नाक | लड़कियां विवाहित स्त्रियां |
| 10 | सूता | चांदी/डालडा चांदी | गला | स्त्री व लड़कियां |
| 11 | रूपया माला | चांदी/डालडा चांदी | गला | स्त्री व लड़कियां |
| 12 | चैन माला | चांदी/डालडा चांदी | गला | स्त्री व लड़कियां |
| 13 | मोती माला | कांच | गला | स्त्री व लड़कियां |
| 14 | कारीपोती | कांच | गला | स्त्रियां |
| 15 | ऐठी | चांदी/डालडा चांदी | हाथ की कलाई | स्त्रियां/विधवा स्त्रियां |
| 16 | चूड़ी | कांच/प्लास्टिक | हाथ की कलाई | स्त्रियां |
| 17 | पट्टा | चांदी/डालडा चांदी | हाथ की कलाई | स्त्रियां/विधवा स्त्रियां |
| 18 | पहूंची | चांदी/डालडा चांदी | बांह में | स्त्री व लड़कियां |
| 19 | मूंदरी | सोना/चांदी/तांबा | हाथ की ऊंगली | स्त्री व लड़कियां |
| 20 | करधन | चांदी/डालडा चांदी | कमर | स्त्री व लड़कियां |
| 21 | सांटी | चांदी/डालडा चांदी | पैर | स्त्री व लड़कियां |
| 22 | लच्छा | चांदी/डालडा चांदी | पैर | स्त्री व लड़कियां |
| 23 | पैजन | चांदी/डालडा चांदी | पैर | स्त्री व लड़कियां |
| 24 | चुटकी | चांदी/डालडा चांदी | पैर की उंगली | स्त्री (विवाहित) |
| 25 | बिछिया | चांदी/डालडा चांदी | पैर की उंगली | स्त्री (विवाहित) |

**गोदना :-**



कंडरा जनजाति में गोदना गुदवाने की प्रथा महिलाओं में अधिक प्रचलित है। स्त्रियां इस स्थायी गहना मानती है। गोदना मृत्यु के बाद भी शरीर के साथ रहता है अन्य आभूषण तो मृत्यु के बाद शरीर से अलग कर दिया जाता है किन्तु गोदना को अलग नहीं कर सकते। विवाह की उम्र में या गौना से पहले दोनों पांवों में अंगूठे, ऊंगलियों के ऊपर से पैर, घुटने के ऊपर हाथों की कलाई, बाजू आदि अंगों में गोदना गुदवाते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि जो महिलाएं गोदना नहीं गुदवाती है, उनकी मृत्यु पश्चात् स्वर्ग लोक में गरम सब्बल से गोदना गोदा जाता है। पुरूष भी अपने हाथ के कलाई व कोहनी के बीच में अपने नाम, फूल, नाग सांप या अन्य आकृति का गोदना बनवाते हैं। गोदना गोदने का कार्य इस क्षेत्र के देवार जाति की महिला या अन्य गुदियारिन महिला करती हैं।

**भोजन बनाने के बर्तन :-** भोजन बनाने के लिए मिट्टी, एल्यूमिनियम, लोहे व पीतल के बर्तन का उपयोग करते हैं। भोजन करने के लिए कांसा, एल्यूमिनियम स्टील आदि से निर्मित बर्तनों का उपयोग करते हैं। इनके बर्तनों के नाम निर्मित वस्तु व उपयोग निम्नलिखित है :–

| क्र. | बर्तन का नाम | निर्मित वस्तु | उपयोग |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | हड़िया | मिट्टी | भात (चांवल) बनाने हेतु |
| 2 | कनोजी | मिट्टी | साग (सब्जी) व दाल बनाने हेतु |
| 3 | परई | मिट्टी | कनोजी को ढकने के लिए |
| 4 | गगरी/करसी | मिट्टी काला रंग/लाल रंग | पानी भरने हेतु |
| 5 | कुड़ेरा | मिट्टी | चांवल का माड़ निकालने के लिए, पानी भरने के लिए |
| 6 | तवा | लोहा | रोटी बनाने के लिए |
| 7 | दुहनी | मिट्टी | दूध रखने के लिए |
| 8 | बगोना | पीतल/एल्यूमिनियम | चांवल बनाने, पानी रखने |
| 9 | गंजी | पीतल/एल्यूमिनियम | पानी भरने, चांवल बनाने |
| 10 | बटलोही | पीतल | चांवल बनाने |
| 11 | थाली | कांसा, एल्यूमिनियम, स्टील | भोजन करने हेतु |
| 12 | लोटा | कांसा, पीतल, एल्यूमिनियम | हाथ– पैर धोने व पानी पीने हेतु |
| 13 | गिलास | कांसा, पीतल, एल्यूमिनियम, स्टील | पानी पीने के लिए |
| 14 | करछुल | लोहा/एल्यूमिनियम | चांवल या सब्जी पकाते समय उलटने/निकालने के लिए |
| 15 | गगरा | पीतल | पानी भरने के लिए |
| 16 | बटकी | कांसा/एल्यूमिनियम, स्टील | बासी खाने के लिए |
| 17 | कलई | एल्यूमिनियम, स्टील | चाय बनाने के लिए |
| 18 | डुवा | लोहा | दाल निकालने के लिए |
| 19 | चटवा | लकड़ी | साग निकालने के लिए |
| 20 | कढ़ाई | लोहा | सब्जी पकानें के लिए |

**वस्त्र विन्यास :-**

कंडरा जनजाति में वस्त्र विन्यास ग्रामों में रहने वाले अन्य जनजातियों की भांति ही होता है। सोने के लिए खाट या चटाई में ''कथरी'' (गोदड़ी) या दरी बिछाते हैं तथा चद्दर (चादर) का उपयोग ओढ़ने व बिछाने के लिए किया जाता है। अच्छे आर्थिक स्थिति वाले लोगों के घर गद्दा व रजाई का उपयोग भी होने लगा हैं। उम्र व लिंग अनुसार इनके वस्त्र निम्नलिखित हैं :–

**पुरूषों के वस्त्र :-**

**(अ) बच्चों के वस्त्र :-** इस समुदाय में नवजात शिशु के जन्म होने पर नये गमछे आदि में लपेट कर रखा जाता है। छठी के दिन नये झबला पहनाया जाता है। 01 वर्ष की उम्र तक सभी को खुला कुर्ता पहनाया जाता है। 03 से 04 वर्ष के बाद ही लंगोट, चड्डी आदि पहनाते हैं। स्कूल जाते समय हॉफ पेन्ट व कुर्ता पहनाते है।

**(ब) व्यस्क :-** व्यस्क पुरूष लुंगी या पटुका पहनते हैं। कमर के ऊपर बंडी, सेन्डो, सलुका, कमीज आदि पहनते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, वे कुर्ता, कमीज, बंगाली व धोती पहनते हैं। नये उम्र के लड़के पेन्ट, शर्ट, अंडरवियर, बनियान, लुंगी, टावेल का उपयोग करते हैं। गमछा या पटुका का उपयोग सिर में बांधने हेतु करते हैं।

**(स) वृद्ध :-** वृद्ध पुरूष प्रायः कार्य के समय कमर में पटुका या लुंगी पहनते हैं। कमर के ऊपरी भाग में बंडी या सलुका पहनते हैं। हाट–बाजार या अन्यत्र जाते समय धोती, बंगाली, सलुका पहनते हैं तथा सिर पर पागा बांधते हैं।



**1. स्त्रियां :-**

**(अ) लड़कियां :-** जन्म के बाद शिशु लड़कियों को एक साल तक झबला पहनाया जाता है फिर फ्रॉक पहनाते हैं। लगभग 08 से 09 वर्ष के उम्र के होने पर "लुगड़ी (छोटी साड़ी) पहनने लगते हैं। पढ़ने जाने वाली लड़कियां स्कर्ट, ब्लाउज तथा सलवार कुर्ती पहनते हैं।

**(ब) व्यस्क स्त्रियां :-** इस जनजाति की व्यस्क में महिलाएं 16 हाथ का सूती "लुगरा" (साड़ी) एवं पोलखा (ब्लाउज) एवं लहंगा पहनती हैं। इनका लुगरा लाल, हरे, पीले व पट्टेदार रंगीन गाढ़े रंगों की होती है। किशोरी लड़कियां घुटने से थोड़ी नीचे तक 12 हाथ की लुगड़ी, ब्लाउज, लहंगा पहनती है। वर्तमान में फैंसी साड़ी भी पहनने लगी हैं।

**(स) वृद्धा :-** वृद्धा स्त्रियां 16 हाथ का लुगरा एवं पोलखा पहनती हैं। कई वृद्धा सिर्फ लुगरा कंधे से लपेट कर घुटने से थोड़े नीचे की लंबाई पर पहनती है।

**शिकार उपकरण :-**

कंडरा जनजाति के लोग मैदानी क्षेत्रों व शहरों में निवास करते हैं। वर्षाकाल में नदी–नालों आदि पर मत्स्य आखेट करते हैं। इनके द्वारा मत्स्याखेट हेतु उपयोग में लाये जाने वाले उपकरण निम्नांकित है :–

| क्र. | उपकरण | निर्मित वस्तुएं | उपयोग |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | टंगिया | लोहा लकड़ी | लकड़ी तथा मांस कांटने |
| 2 | धनुष काड़ | लोहा लकड़ीरस्सी | मछली मारने |
| 3 | गुलेल | लकड़ी रबड़ | पक्षियों का शिकार |
| 4 | फेंका जाल | नायलोन की रस्सी/सूत | मछली पकड़ने |
| 5 | पेलना | बांस तांत | मछली पकड़ने |
| 6 | चोरिया | बांस | मछली पकड़ने |
| 7 | गरी | बांस, तांत, स्टील कांटा | मछली पकड़ने |
| 8 | ढुठी | बांस | मछली एक् करने हेतु |

**संगीत के उपकरण :-**

कंडरा समुदाय के सदस्य धार्मिक अनुष्ठानों, देवी, देवताओं की पूजा, विवाह अन्य उत्सवों, त्यौहारों में लोकगीत, लोकनृत्य के साथ वाद्ययंत्रों का उपयोग करते हैं, जो निम्नांकित है :–

| क्र. | उपकरण | निर्मित वस्तुएं |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | मांदर | मिट्टी चमड़ा |
| 2 | ढोलक | लकड़ी चमड़ा |
| 3 | मंजीरा | स्टील |
| 4 | ढपली | लकड़ी चमड़ा |

**कृषि उपकरण :-**

कंडरा जाति के लोग कृषि कार्य के लिए पारंपरिक कृषि उपकरणों का उपयोग करते है। इस समुदाय के कृषकों द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले कृषि उपकरणों का विवरण निम्नानुसार है :—

| क्र. | नाम | निर्मित वस्तुएं | उपयोग |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | नांगर (हल) | लकड़ी, लोहा | खेतों की जुताई |
| 2 | कोपर | लकड़ी | खेतों को समतल करने |
| 3 | दतारी | लकड़ी | खेतों में बीज बोने के बाद, मिट्टी के बड़े ढेलों को कांटकर बीज को ढकने व खेत के गीली मिट्टी को तोड़कर समतल करने के लिए |
| 4 | बैलगाड़ी | लकड़ी, लोहा | फसल को खलिहान तक ढुलाने हेतु |
| 5 | जुड़ा | लकड़ी | बैलगाड़ी, नागर, कोपर, दतारी में बैलों को जुड़ा से फांदने हेतु |
| 6 | नहाना— जोता | चमड़ा, रस्सी | हल व बैलगाडी में जुड़ा को नहाना से बांधकर जोता से बैलों को फांदा जाता है। |
| 7 | रापा (फावड़ा) | लोहा, लकड़ी | मिट्टी उलटने, झउंहा में मिट्टी जोरने व खाद फैलाने के लिए |
| 8 | गैंती | लोहा, लकड़ी | जमीन की गहरी खुदाई हेतु |
| 9 | टंगिया | लोहा, लकड़ी | लकड़ी की कटाई के लिए |
| 10 | बसुला | लोहा, लकड़ी | लकड़ी छीलने हेतु |
| 11 | सब्बल | लेहा | मिट्टी खुदाई हेतु |
| 12 | हंसिया | लोहा, लकड़ी | धान कांटने व सब्जी काटने के लिए |
| 13 | पटासी | लोहा | लकड़ी में छेद करने हेतु |
| 14 | कलारी | लोहा, लकड़ी | धान मिंजाई में पैरा अलग करने हेतु |
| 15 | दंवरी | प्लास्टिक / नायलोन | धान या अन्य फसल के मिंजाई में बैलों को फांदने के लिए |
| 16 | गेरवा | प्लास्टिक / नायलोन | गाय, बैलों को खूंटे में बांधने हेतु |
| 17 | बिंधना | लोहा, लकड़ी | लकड़ी छेद करने हेतु |
| 18 | डोरी | पैरा, प्लास्टिक | फसल को कांटने के बाद बोझा बांधने हेतु |

**भोजन :-**

कंडरा समुदाय के लोग प्रायः भोजन के रूप में चांवल, दाल, सब्जी, भाजी आदि का उपयोग करते हैं। ये मांसाहारी होते हैं। अधिकांश भोजन सामाग्री वे बाजार से क्रय करते हैं, इनके दैनिक भोजन में मुख्य रूप से भात, साग (सब्जी), दाल, चटनी आदि शामिल रहता है। कुछ परिवारों में बाड़ी में लगाई गई मौसमी साग—सब्जी जैसे लौकी, बरबट्टी, कुम्हड़ा, भिन्डी, बैगन, गोभी, आलू, करेला, टमाटर आदि तथा लाल भाजी,

चौलाई भाजी, चेच भाजी, कोलियारी भाजी, बोहार भाजी, अमारी भाजी, पालक भाजी, फुटु आदि साग–भाजी बनाते हैं। इस साग–भाजी को सुखाकर तैयार की गयी ''सुक्सा'' भी सब्जियों के रूप में उपयोग करते हैं। दालों में अरहर मूंग, उड़द, लाखड़ी, चना, बटरा (मटर), मसूर दाल का उपयोग करते हैं। तेलों में फल्ली तेल, तिली तेल का उपयोग करते हैं।

भोजन प्रायः सुबह, दोपहर व रात्रि में करते हैं। रात्रि में बचे हुए भात में चांवल का माड़ या पानी डालकर रखते हैं, इसे ''बासी'' कहा जाता है। सुबह एवं दोपहर को बासी या भात एवं सब्जी खाते हैं। कंडरा समुदाय के लोग चांवल के आटे की चीला, खप्पूरी, मुठिया, फरा, भजिया, चौंसेला व अंगाकर बनाकर सब्जी या टमाटर की चटनी के साथ खाते हैं। त्यौहार जैसे हरेली, पोरा, नवाखाई, देवारी (दिवाली), होली व विवाह आदि उत्सवों पर खीर, चौंसेला, ठेठरी, खुरमी, सोहारी (पूड़ी), भजिया, बरा (बड़ा), लाडु (लड्डू) आदि बनाते हैं। त्यौहारों व साप्ताहिक बाजार के दिनों में मुर्गा, मछली बकरा का उपयोग करते हैं।

**भोजन बनाने की विधि :-**

**(अ) भात :-** भात बनाने के लिए सर्वप्रथम हण्डी या गंजी में पानी उबालते हैं, उबलने पर ''अंधना'' आना कहते हैं। अंधना आने पर चांवल को धोकर उस उबलते पानी में डाल देते हैं। पकाते समय बीच–बीच में चम्मच चलाकर देखते रहते हैं। जब चांवल पकने की स्थिति में आ जाता है तब उसे ''पसनी'' नामक बांस से निर्मित ढक्कन से ढंक कर, अन्य बर्तन कुड़ेरा/बगोना में ''पसिया'' (माड़) को अलग कर दिया जाता है इस प्रकार चावल को उबालकर पकाया जाता है जिसे भात कहते है।

**(ब) साग (सब्जी) :-** सब्जी को कांटकर पानी में धो दिया जाता है। कढ़ाई या छोटे गंजी में तेल गरम कर इसमें कटे हुए प्याज एवं जीरा डालकर लाल होने तक पकाया जाता है जिसे पर ''फोरन'' कहते हैं। फोरन आने पर कटी सब्जी को डाल दिया जाता है। उसमे स्वाद अनुसार नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया डालकर भूनकर पकाया जाता है। बीच में चम्मच चलाया जाता है फिर ''चोरहन'' (जिस पानी में चांवल धोया जाता है) या पानी डालकर उसे पकाया जाता है। कुछ समय बाद सब्जी तैयार हो जाता है।

**आग जलाने के उपकरण :-**

वर्तमान में कंडरा समुदाय आग जलाने हेतु बाजार में उपलब्ध माचिस का उपयोग करते हैं। किन्तु (आज भी खेतों की रखवाली के दौरान अचानक मछली पकड़ने या पक्षी, गिलहरी आदि का शिकार करने पर ''भूंजने'' (भुनने) हेतु पारंपरिक पद्धति से दो बांस के टुकड़ों को रगड़कर चिंगारी उत्पन्न कर पत्तों के सहारे आग जलाते हैं। कुछ वृद्ध पुरूष चकमक पत्थरों को रगड़कर आग उत्पन्न करने की पद्धति का भी यदा–कदा प्रयोग करते हैं। आग उत्पन्न करने की पारंपरिक विधि का उपयोग आज भी करते है।

**आवागमन के साधन :-**

कंडरा समुदाय के लोग मैदानी क्षेत्रों, शहरों के निकट ग्रामों में निवास करते हैं, वे कच्ची सड़क या पक्की सड़कों से होकर मुख्य सड़क से जुड़ते हैं। बांस से स्वनिर्मित वस्तुओं को स्थानीय साप्ताहिक हाट–बाजार या शहरों में विक्रय हेतु ले जाना पड़ता है। इसके लिए पूर्व में पैदल दूरी तय करते थे। वर्तमान में कुछ परिवारों द्वारा सायकल, मोटर सायकल, टैक्सी, बस, ट्रेन का भी उपलब्धतानुसार उपयोग करने लगे हैं। धान का फसल ढोने, गाँव से सामानों को अन्यत्र ले जाने के लिए बैलगाड़ी का उपयोग करते हैं। पूर्व में बारात जाने हेतु बैलगाड़ी का उपयोग करते थे।

# अध्याय-3 आर्थिक जीवन

प्रत्येक समाज की सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना में आर्थिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि मनुष्य को अपने अस्तित्व के लिए कुछ आवश्यक भौतिक वस्तुएं एकत्र करने पड़ते हैं। मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र एवं निवास प्रमुख है, और इनकी पूर्ति के लिए किये जाने वाले कार्य आर्थिक संरचना के अन्तर्गत आते हैं। प्रसिद्ध जनजाति अध्येता राल्फ पिडिंगटन (1952) ने अपने जनजातीय संबंधी अध्ययन में अर्थव्यवस्था को भौतिक आवश्यकता की पूर्ति का साधन कहा है। उनके अनुसार अर्थव्यवस्था समाज की भौतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, उत्पादन की व्यवस्था, वितरण पर नियंत्रण एवं समुदाय में स्वामित्व के अधिकार एवं दावों को निर्धारण करती है। अतः स्पष्ट है कि आर्थिक व्यवस्था किसी भी समाज चाहे वह आदिम हो अथवा आधुनिक हो, का मूल आधार होता है। प्रत्येक समुदाय अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति अपने–अपने तरीके से करता है और जिस समाज की आर्थिक व्यवस्था जितनी सुदृढ़ होती है, वह समाज उतना ही उन्नत होता है। जनजातीय समाजों की अर्थव्यवस्था प्रकृति के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई होती है।

कंडरा जनजाति की अर्थव्यवस्था सीमित एवं सरल है, जो मुख्य रूप से बांस से वस्तुएं निर्माण, कृषि एवं मजदूरी पर आधारित है। ये वर्तमान में भी प्राकृतिक आय के स्त्रोतों पर निर्भर है। इनका आर्थिक जीवन ऋतुओं से संबंधित क्रिया–कलापों पर आधारित होता है। कंडरा जनजाति में कुछ लोगों के पास ही कृषि भूमि है, जिनके पास कृषि भूमि है वे बांस कार्य के साथ कृषि कार्य करते हैं। अधिकांश परिवार बांस कार्य से गुजर–बसर करते हैं।

कंडरा समुदाय के सदस्य बांस से वस्तुएं निर्माण कृषि, कृषि मजदूरी आदि कार्यो से जीविका चलाते हैं। इस समुदाय में आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साधनों को ही सम्पत्ति माना जाता है। सम्पत्ति स्व–अर्जित एवं पूर्वजों से हस्तांतरण द्वारा प्राप्त होती है।

## 3.1 सम्पत्ति :-

कंडरा जनजाति में स्वामित्व के आधार पर सम्पत्ति को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है :–

i) **व्यक्तिगत सम्पत्ति**

ii) **परिवारिक सम्पत्ति**

iii) **सामूहिक सम्पत्ति**

### I) व्यक्तिगत सम्पत्ति :-

समाज में परिवार के सदस्य द्वारा स्वयं की मेहनत से अर्जित अथवा क्रय की गयी अथवा प्राप्त वस्तुएं व्यक्तिगत सम्पत्ति मानी जाती है, इसमें मोटर सायकल, वाद्य यंत्र, शिकार के उपकरण, सायकल, घड़ी आदि आते हैं।

ii) **पारिवारिक सम्पत्ति :-**

परिवार के सदस्यों द्वारा परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राप्त सम्पत्ति अथवा पारिवारिक विभाजन से प्राप्त पैतृक सम्पत्ति आदि पारिवारिक सम्पत्ति के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत, जमीन, मकान, पशु, अनाज, बैलगाड़ी आदि आते हैं।

iii) **सामूहिक सम्पत्ति :-**

इस समुदाय में नदी–नाला, तालाब, चारागाह, वन–पहाड़, ग्राम, मंदिर आदि को सामूहिक सम्पत्ति माना जाता है, जिस पर सभी लोगों का समान अधिकार एवं स्वामित्व होता है।

उसी प्रकार रूपये, आभूषणों को चल सम्पत्ति एवं जमीन, मकान को अचल सम्पत्ति मानते हैं।

## 3.2 सम्पत्ति हस्तांतरण :-

कंडरा समुदाय में पितृवंशीय सामाजिक व्यवस्था होने के कारण सत्ता या सम्पत्ति का उत्तराधिकार पिता से पुत्रों को प्राप्त होता है। पिता द्वारा स्व–अर्जित सम्पत्ति व पैतृक सम्पत्ति में उसके सभी पुत्रों का समान अधिकार होता है। सम्पत्ति वितरण में कंडरा समुदाय में बड़े पुत्र को अन्य छोटे पुत्रों की तुलना में कुछ ज्यादा सम्पत्ति (जमीन) हस्तांतरित की जाती है, जिसे ''जेठासी'' कहा जाता है क्योंकि बड़ा पुत्र अपने छोटे भाई– बहनों की परवरिश, शिक्षा, विवाह आदि में पिता का सहयोग करता है। सम्पत्ति वितरण की इस प्रक्रिया में छोटे भाईयों को भी आपत्ति नहीं होती एवं सामाजिक नियम मानते हुए इसका पालन भी करते हैं। पिता की सम्पत्ति पर पुत्रियों का अधिकार पारिवारिक रूप से नहीं पाया जाता।

विशेष परिस्थिति में यदि पिता की कोई पुत्र संतान न हो और केवल पुत्री संतान हो, तो पिता कोशिश करता है कि पुत्री के विवाह पश्चात् दामाद (पुत्री का पति) उसी के घर पर रहे अर्थात् वह ''लमसेना'' विवाह को प्राथमिकता देता है तथा सम्पत्ति का हस्तांतरण अपनी पुत्री एवं दामाद को करता है। ''लमसेना'' विवाह में दामाद द्वारा ''वधू मूल्य (सुकपैसा)'' चुकाना नहीं पड़ता है। यदि किसी दम्पत्ति की कोई भी संतान न हो, तो वह अपने भाई के पुत्र अथवा बहन के पुत्र (भांजा) को गोद ले लेता है और सम्पत्ति का हस्तांतरण उसे करता है।

## 3.3 प्राथमिक एवं गौण व्यवसाय :-

कंडरा जनजाति की अर्थव्यवस्था कृषि वनोपज, मजदूरी आदि पर आधारित होती है। आय की निर्भरता के आधार पर व्यवसाय का प्राथमिक व गौण के रूप में विभाजित किया जा सकता है। कंडरा जनजाति के सर्वेक्षित परिवारों में प्राथमिक व्यवसाय को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :–

**तालिका क्रमांक-04 प्राथमिक व्यवसाय**

| क्र. | व्यवसाय | परिवार संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | बांस शिल्पकारी | 58 | 55.77 |
| 2 | मजदूरी | 14 | 13.46 |
| 3 | कृषि | 23 | 22.11 |
| 4 | नौकरी | 04 | 03.85 |
| 5 | अन्य | 05 | 04.81 |
| योग | | 104 | 100.00 |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कंडरा समुदाय के सर्वेक्षित परिवारों में सर्वाधिक 55.77 प्रतिशत परिवार बांस शिल्पकारी, 22.11 प्रतिशत परिवार कृषि, 13.46 प्रतिशत परिवार  मजदूरी को प्राथमिक व्यवसाय के रूप में करते पाये गये। नौकरी (शासकीय एवं गैर–शासकीय) को प्राथमिक व्यवसाय के रूप में 03.85 प्रतिशत परिवार के मुखिया करते पाये गये जबकि 04.81 प्रतिशत परिवार अन्य कार्यो जैसे– राजमिस्त्री, सब्जी बेचना, किराना दुकान आदि को प्राथमिक व्यवसाय के रूप में करते पाये गये।

**गौण व्यवसाय :-**

कंडरा जनजाति में प्राथमिक व्यवसाय से वर्ष भर परिवार के सदस्यों का भरण–पोषण एवं आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण आय के अन्य स्त्रोतों पर भी निर्भर रहना पड़ता है जिसके फलस्वरूप वे अन्य गौण व्यवसाय में संलग्न रहकर आय अर्जित करते हैं। सर्वेक्षित परिवारों में पाये जाने वाले गौण व्यवसाय को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

**तालिका क्रमांक-05 गौण व्यवसाय**

| क्र. | व्यवसाय | परिवार संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | बांस शिल्पकारी | 34 | 32.69 |
| 2 | मजदूरी | 37 | 35.58 |
| 3 | कृषि | 16 | 15.38 |
| 4 | नौकरी | — | — |
| 5 | अन्य | 17 | 16.35 |
| योग | | 104 | 100.00 |

तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों में सर्वाधिक 35.58 प्रतिशत परिवार मजदूरी को द्वितीयक व्यवसाय के रूप में करते पाये गये जबकि 32.69 प्रतिशत परिवार बांस शिल्पकारी, 15.38 प्रतिशत परिवार कृषि कार्य को एवं 16.35 प्रतिशत परिवार अन्य कार्य को द्वितीयक व्यवसाय के रूप में करते पाये गये।

### 3.4 आर्थिक संरचना :-

कंडरा समुदाय की आर्थिक संरचना मानव एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया का प्रतीक है अर्थात् अर्थव्यवस्था प्रकृति पर आधारित है। यह समुदाय समयानुसार व भूमि उपलब्धतानुसार कृषि कार्य भी करता है साथ ही बांस से निर्माण वस्तुएँ, मजदूरी, शिकार, मत्स्य आखेट, कृषि मजदूरी आदि कार्य कर अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

**(अ) कृषि**

**(1) भूमि धारिता :-**

सर्वेक्षित परिवारों में भूमि धारिता का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :—

**तालिका क्रमांक-06 भूमिधारिता**

| क्र. | श्रेणी | परिवार | |
|---|---|---|---|
| | | संख्या | प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | भूमिधारक | 16 | 15.38 |
| 2 | भूमिहीन | 88 | 84.62 |
| योग | | 104 | 100.00 |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित कंडरा परिवारों में मात्र 15.38 प्रतिशत परिवारों के पास कृषि भूमि उपलब्ध है। 84.62 प्रतिशत परिवार भूमिहीन पाये गये।

**(2) कृषि भूमि वितरण :-**

सर्वेक्षित कंडरा परिवारों में कृषि भूमि का वितरण असमान पाया गया। अधिकतर परिवार के पास कृषि भूमि उपलब्ध नहीं है, कुछ परिवारों के पास पर्याप्त कृषि भूमि होते हुए भी अनेक कारणों की वजह से आवश्यकता पूर्ति लायक उत्पादन भी नहीं ले पाते हैं। सर्वेक्षित परिवारों में कृषि भूमि के वितरण को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :—

**तालिका क्रमांक - 07 कृषि भूमि का वितरण**

| क्र. | श्रेणी | परिवार | |
|---|---|---|---|
| | | संख्या | प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | भूमिहीन | 88 | 84.62 |
| 2 | 0.1 — 3 एकड़ | 13 | 12.50 |
| 3 | 3.1 — 05 एकड़ | 03 | 02.88 |
| 4 | 5.0 एकड़ से अधिक | — | — |
| योग | | 104 | 100.00 |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित कंडरा परिवारों में सर्वाधिक 84.62 प्रतिशत परिवारों के पास कृषि भूमि उपलब्ध नहीं है। 12..50 प्रतिशत परिवारों के पास 0.1—3 एकड़ कृषि भूमि पायी गई। 02. 88 प्रतिशत परिवारों के पास ही 3.1—05 एकड़ कृषि भूमि पायी गयी। सर्वेक्षित भूमिधारक कंडरा परिवारों के पास कुल 20.40 एकड़ कृषि भूमि पायी गयी, जो औसतन प्रति परिवार 1.27 एकड़ है। सर्वेक्षित परिवारों में 5 एकड़ से अधिक की कृषि भूमिधारक नहीं पाया गया।

**(3) मुख्य फसल :-**

सर्वेक्षित कंडरा जनजाति में पूर्व में अधिकतर पारम्परिक स्त्रोतों के माध्यम से कृषि कार्य करते थे। इस जनजाति के लोग अब रासायनिक खाद व कीटनाशकों का उपयोग करने लगे हैं। कंडरा जनजाति के लोगों का मुख्य फसल धान है। सर्वेक्षित परिवारों में कृषि ऊपज में संलग्नता को निम्न तालिका में दर्शाया गया है:—

**तालिका क्रमांक-08 कृषि ऊपज में संलग्नता**

| क्र. | कृषि उपज (फसल) | संलग्न परिवार | |
|---|---|---|---|
| | | संख्या | प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | धान | 16 | 15.38 |
| 2 | कोदो—कुटकी | — | — |
| 3 | ज्वार—बाजरा | — | — |
| 4 | गेहूँ—चना | 08 | 07.70 |
| 5 | दलहन (अरहर, उड़द, तिवड़ा) | 06 | 05.77 |
| 6 | तिलहन (सरसों, तिल) | 06 | 05.77 |
| 7 | कुलथी | 02 | 01.92 |
| कुल सर्वेक्षित परिवार - 104 | | | |

सर्वेक्षित परिवारों में सर्वाधिक 15.38 प्रतिशत परिवारों द्वारा धान की फसल, 07.70 प्रतिशत परिवारों द्वारा गेहूं, चना व 11.54 प्रतिशत परिवारों द्वारा दलहन, तिलहन एवं 01.92 प्रतिशत परिवारों द्वारा कुलथी का फसल लेना पाया गया।

**(i) धान**

कंडरा समाज की मुख्य फसल धान है। धान की फसल हेतु बीज प्रायः जून—जुलाई में बोंया जाता है। धान की फसल मानसूनी वर्षा पर निर्भर हैं। मानसूनी वर्षा होने पर खेतों को ''नागर'' (हल) द्वारा जोता जाता है। इनके खेत छोटे—छोटे ''डोली'' में विखण्डित होते हैं। दो बार जुताई कर गोबर की खाद छिड़कर धान बोया जाता है।

**धान की बुआई**

धान की फसल के लिए खेत को तैयार करने निम्नांकित विधियों को अपनाया जाता है :—

**(1) बतराहा**

इस विधि मे प्रथम वर्षा के पश्चात् खेत की जुताई कर धान को छिड़क देते हैं। तत्पश्चात् ''कोपर'' (समतल करने का पाटा) से खेत को समतल कर देते हैं, जिससे एक जगह पर पानी का जमाव न हो सके।

**(2) लईचोपी/लहियारा**

इस विधि में वर्षा के पानी से खेतों की जुताई कर मिट्टी को लसलसा (कीचड़) बनाकर तैयार कर लिया जाता है, बोने वाले बीज को 24 घंटे पानी में भिगोकर रखने के पश्चात् खेतों में बुआई कर दी जाती है, जिससे धान का अंकुरण शीघ्र होकर जड़ पकड़ लेता है। इसके 8—10 दिनों बाद खेतों में पानी भर दिया जाता है।

**(3) रोपा**

रोपा विधि में किसी एक स्थान को तैयार कर धान की ''थरहा'' (नर्सरी) लगायी जाती है। 20—30 दिनों पश्चात् धान के पौधे रोपाई हेतु तैयार हो जाते है, जिसे जुताई कर तैयार किये हुए खेत पर रोपाई कर दी जाती है। धान के पौधे के जड़ पकड़ने एवं सीधे होने के बाद खेत में पानी भर दिया जाता है।

**बियासी**

धान बोने के प्रथम दो विधियों में धान बोनी के 30—40 दिन बाद ''बियासी'' किया जाता है, जिसमें बोये गये धान के पौधों वाले खेतों पर हल चलाया जाता है जिससे मिट्टी पोला (ढीली) हो जाये और जड़ का फैलाव गहराई तक मजबूती से पकड़ सके। बियासी के बाद खेत के समतलीकरण हेतु कोपर चला दिया जाता है।

**निंदाई**

बियासी के 15—20 दिनों पश्चात् धान के पौधों के बीच उगे हुए अन्य घास खरपतवार की निंदाई की जाती है, जिससे धान के पौधे पूर्ण विकसित हो सके। घुटने की ऊँचाई तक खेतों में पानी भर दिया जाता है। कार्तिक माह (अक्टूबर—नवम्बर) तक फसल पक कर तैयार हो जाती है।

**कटाई**

फसल पक जाने पर ''धरती माता'' एवं ''अन्न माता'' की नारियल, धूप, अगरबत्ती आदि से पूजा कर कटाई प्रारंभ की जाती है। इस कार्य में सगे—संबंधी परस्पर एक—दूसरे का सहयोग करते हैं।

**मिंजाई एवं भंडारण**

कटी फसल को एक जगह सुरक्षित रखा जाता है, जिसे ''कोठार'' (खलिहान) कहते हैं। कोठार में ''दवरी'' विधि द्वारा फसल की मिंजाई की जाती है। ''दवरी'' विधि में 4—5 बैलों को ''दवरी'' में फांदकर मिंजाई हेतु रखे फसल पर बार—बार परिक्रमा कराया जाता है। कुछ परिवार बैलों को मोटा तना से बना गोल

एवं आयताकार लकड़ी का टुकड़ा जिसे बेलन या ठेला कहते हैं, में फांदकर मिंजाई करते हैं। वर्तमान में ट्रैक्टर से भी मिंजाई करते देखे जा सकते हैं। मिंजाई पूर्ण होने पर धान का भण्डारण ''कोठी'' में भरकर किया जाता है और पैरा को पशुओं के चारा के लिए पृथक कर ''कोठार'' के एक कोने में रखा जाता है, जिसे ''पैरावट'' कहते हैं।

कृषि की पारम्परिक पद्धति एवं मानसूनी वर्षा पर आश्रित होने के कारण इनमें धान का औसत उत्पादन लगभग 12–15 क्विंटल प्रति एकड़ होता है। सिचिंत भूमि में औसत उत्पादन 15–20 क्विंटल प्रति एकड़ होता है।

तालिका क्र. 08 अनुसार सर्वेक्षित परिवारों में से सर्वाधिक 15.38 प्रतिशत परिवारों द्वारा धान का उत्पादन करना पाया गया।

**(iv) गेहूँ/चना**

सर्वेक्षित कुछ ग्रामों में गेहूँ की फसल ली जाती है। सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था होने पर खेतों में धान की छोटी किस्मों की फसल जल्दी कट जाने पर नवम्बर–दिसम्बर माह में गेहूँ/चना की बोनी की जाती है। मार्च–अप्रैल माह तक फसल पककर तैयार हो जाती है, जिसकी मिंजाई कर भण्डारण प्लास्टिक की बोरी आदि में किया जाता है।

तालिका क्र. 08 के अनुसार सर्वेक्षित 7.70 प्रतिशत परिवारों द्वारा गेहूँ/चना का उत्पादन किया जाना पाया गया।

**(v) दलहन (अरहर, उड़द, तिवड़ा)**

अरहर एवं उड़द के लिए भर्री भूमि या टिकरा भूमि उपयुक्त होती है। जून–जुलाई माह में अरहर एवं उड़द के बीज बोये जाते हैं और गोबर खाद का छिड़काव कर दिया जाता है। उड़द की फसल सितम्बर–अक्टूबर माह तक तैयार हो जाती है जबकि अरहर की फसल दिसम्बर तक पककर तैयार हो जाती है। पकने के पश्चात् उड़द एवं अरहर को उखाड़कर सुखा दिया जाता है। बाद में लकड़ी से पीटकर मिंजाई कर ली जाती है। तिवड़ा (लाखड़ी) का उत्पादन के लिए अलग से जमीन तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती, इसके लिए धान की बालियां आने के समय तिवड़ा के बीज को खेत में छिड़काव कर देते हैं। धान कांटे जाने के समय तिवड़ा के पौधे विकसित हो जाते हैं और फरवरी–मार्च तक फसल पककर तैयार हो जाती है, जिसे उखाड़ कर मिंजाई कर भण्डारण कर लिया जाता है। इन फसलों का उत्पादन उपभोग हेतु किया जाता है। सर्वेक्षित 05.77 प्रतिशत परिवारों द्वारा दलहन की फसल लेना पाया गया।

**(vi) तिलहन (सरसों, तिल)**

सरसों एवं तिल की फसल कुछ क्षेत्रों के कंडरा परिवारों द्वारा ली जाती है। सरसों की फसल प्रायः बाड़ी या कृषि भूमि पर अश्विन–कार्तिक माह में बोई जाती है जबकि तिल को खेतों की मेढ़ आदि में आषाढ़–सावन में बोनी कर दी जाती है। सरसों की फसल मांग–पूस (जनवरी–फरवरी) में पककर तैयार हो जाती है जबकि तिल की फसल कार्तिक–अगहन में तैयार हो जाती है। सरसों एवं तिल का उपयोग नगद

विक्रय हेतु व स्वयं का उपभोग हेतु तेल निकालकर किया जाता है। इनका बाजार मूल्य 30–40 रू. प्रति किलो पाया गया। सर्वेक्षित 05.77 प्रतिशत परिवारों द्वारा तिलहन की खेती करते पाये गये।

**(vii) कुलथी**

कुलथी की फसल प्रायः भादो माह में प्रारंभ कर दी जाती है। ''टिकरा'' भूमि को बरसात में जोत लिया जाता है तथा बीज बो दिया जाता है। 1–2 बार वर्षा का पानी पड़ने पर बीज अंकुरित हो जाते हैं तथा कार्तिक–अगहन माह में फसल पककर तैयार हो जाता है, जिसे कांटकर आंगन में सुखा दिया जाता है, जिसे लकड़ी से पीटकर मिंजाई की जाती है।

सर्वेक्षित परिवारों में 01.92 प्रतिशत परिवारों द्वारा कुलथी का उत्पादन करते पाया गया।

**(ब) वनोपज**

कंडरा परिवारों द्वारा अपने निवास क्षेत्रों में उपलब्धतानुसार वनोपजों जैसे– बेर, आम, शहद, आंवला, बबूल बीज, हर्रा–बेहड़ा, कंदमूल आदि का संग्रहण भी समय–समय पर किया जाता है, जिसमें से कुछ का उपयोग वस्तु विनियम एवं नगद अर्थोपार्जन के लिए तो कुछ का स्वयं उपभोग हेतु किया जाता है। कंडरा समुदाय के आर्थिक जीवन में वन एवं वनोत्पादों का विशेष महत्व है। बांस से वस्तुएं बनाकर जीविका चलाते हैं। वन क्षेत्रों में निवासरत कुछ परिवारों द्वारा चार–चिरौंजी, महुआ, तेन्दूपत्ता, सरई बीज, ईमली, आंवला, आम, हर्रा, बहेड़ा, कंदमूल जैसे गैठ कांदा, पीठा कांदा, सुकड़ी, फुटू, बिरनी घास, खजूर, छिंद पत्ता, बांस एवं अन्य विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी वनौषधियां आदि का संग्रहण किया जाता है।

**बांस की वस्तुएँ निर्माण से संबंधित उपकरण :-**

1. **कटारी -** कटारी लोहे का बना होता है, जिसे लोहार से बनवाया जाता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो बांस फाड़ने, कांटने के काम में आता हैं। कंडरा परिवारों द्वारा इस उपकरण के माध्यम से बांस के वस्तुएँ जैसे–सुपा, झउंहा, टूकना, चरिहा, झेंझरी डलिया, पर्रा–बिजना, सुपली–चुटकी, ढूठी, गौराही,



झांपी, कोठी, चटाई, खुमरी, मोरी, पसेनी, झपेली आदि बनायी जाती है। इनके द्वारा बनाये गये बांस की वस्तुओं को कंडरा जोड़कर सम्बोधित किया जाता है। जंगल से प्राप्त बांस को लाकर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाकर साप्ताहिक हाट–बाजार या स्थानीय बिचौलियों को बेचकर अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आय प्राप्त करते हैं।

2. **कुटेला** - यह लगभग एक फीट लंबा तथा 8–10 इंच मोटा बांस के टुकड़े को कुटेला कहा जाता है। इसका उपयोग बांस की वस्तुएं बनाते समय बांस को फाड़ने या कांटने के लिये पीटने में किया जाता है।

सर्वेक्षित कंडरा जनजातीय परिवारों में से 82.69 प्रतिशत परिवारों द्वारा बांस की वस्तुएँ बनाना पाया गया।

**(स) मजदूरी**

कंडरा जनजाति में कृषि भूमि की धारिता कम होने के कारण भूमिहीन परिवारों द्वारा अन्य कृषकों के खेतों में मजदूरी कार्य कर अपनी जीविका चलाते हैं। कृषि भूमि असिंचित होने के कारण मानसूनी वर्षाकाल में ही अपने खेतों में कृषि कार्य करते हैं, शेष समय वे अन्य लोगों की मजदूरी अथवा वनोपज संकलन आदि का कार्य करते हैं। मजदूरी कार्य से पुरूषों व महिलाओं को नगद मजदूरी या इसके बदले इतने मूल्य का धान (मजदूरी में) दिया जाता है।

इसके अलावा स्थानीय पंचायतों द्वारा शासकीय मजदूरी कार्य भी समय–समय पर संचारित किया जाता है, जिससे इन्हें शासकीय दरों पर मजदूरी मिलती है। वन विभाग द्वारा कराये गये कार्यो में भी मजदूरी करने जाते हैं।

सर्वेक्षित कंडरा परिवारों में से 56.73 प्रतिशत परिवार मजदूरी कार्यों में संलग्न पाये गये।

**(द) पशुपालन**

कंडरा समुदाय वर्तमान में कृषि, कृषि मजदूरी, वनोपज के साथ–साथ आवश्यकतानुसार पशुपालन में भी संलग्न पाये गये। पशुओं हेतु इनके घरों में पृथक से आवास होता है, जिसे ''कोठा'' कहा जाता है। पशुओं को वर्षाकाल में जंगल में चराना प्रतिबंधित होने के कारण हरी घास कांटकर खिलाया जाता है। शेष समय में धान का पैरा आदि खिलाया जाता है। पशुओं के चराने हेतु परिवार के वृद्ध महिला/पुरूष या बच्चे वनों में जाते हैं। कंडरा समुदाय गाय, बैल, भैंसा, बकरी एवं मुर्गी आदि का पालन भिन्न–भिन्न उद्देश्यों से करते हैं।

सर्वेक्षित कंडरा परिवारों में पाले जाने वाले पशुओं का विवरण तालिक क्र. 09 में दर्शित अनुसार है :–

तालिका क्रमांक-09 पशुपालन में संलग्नता

| पशुओं का नाम | पशु संख्या | संलग्न परिवार | | प्रति परिवार औसत पशु संख्या | कुल पशुधन सम्पत्ति (रू. में) | प्रति परिवार औसत पशुधन सम्पत्ति (रू. में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | प्रतिशत | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| गाय | 13 | 05 | 04.80 | 02.60 | 78000.00 | 15600.00 |
| बैल | 14 | 06 | 05.76 | 02.33 | 70000.00 | 11666.66 |
| भैंस/भैंसा | 04 | 02 | 01.92 | 02.00 | 40000.00 | 20000.00 |
| बकरा/बकरी | 10 | 04 | 03.84 | 02.55 | 70000.00 | 17500.00 |
| मुर्गा/मुर्गी | 26 | 18 | 17.30 | 02.16 | 7800.00 | 433.33 |
| अन्य | 08 | 05 | 04.80 | 01.16 | 2400.00 | 480.00 |
| कुल सर्वेक्षित परिवार - 104 | | | | | | |

**(1) गाय**

कंडरा समुदाय में गाय पालने का कार्य कृषि कार्य हेतु बछड़े तैयार करने के लिए सामान्यतः किया जाता है साथ ही साथ परिवार के लिए दूध की भी प्राप्ति होती है। दूध की अधिकता होने पर 20–25 रू. प्रति लीटर के हिसाब से विक्रय कर दिया जाता है। सर्वेक्षित परिवारों में से 04.80 प्रतिशत परिवारों के पास गाय के रूप में पशुधन पाया गया। इन परिवारों के पास औसतन 15,600.00 रू. प्रति परिवार पशुधन सम्पत्ति पायी गई।

**(2) बैल**

कंडरा समुदाय में मुख्यतः बैलों का पालन कृषि कार्य के उद्देश्य से किया जाता है। तालिका क्र. 9 से स्पष्ट है कि कुल सर्वेक्षित परिवारों में से 5.76 प्रतिशत परिवारों के पास बैल उपलब्ध है। पशु–बाजार मूल्य के आधार पर इन परिवारों के पास औसतन 11666.66 रू. की बैल पशुधन सम्पत्ति पायी गई है।

**(3) भैंस/भैंसा**

कंडरा समुदाय में कृषि कार्यो हेतु भैंसा का पालन किया जाता है। कृषि कार्यो हेतु बैलों की तुलना में भैंसा ज्यादा बलिष्ठ होता है। कृषि कार्यों जैसे–कोपर एवं धान ढोने हेतु गाड़ी आदि के लिए भैंसा ज्यादा उपयुक्त होता है। सर्वेक्षित परिवारों में 01.92 प्रतिशत परिवारों के पास भैंसा पाया गया। इन परिवारों में 20000.00 रू. की औसतन भैंसा पशुधन सम्पत्ति के रूप में प्रति परिवार पायी गई।

**(4) बकरा/बकरी**

कंडरा समुदाय में बकरी पालन का उद्देश्य देवी–देवता की पूजा में बलि देना एवं सामूहिक भोज आदि के लिए किया जाता है।

तालिका क्र. 9 से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित 03.84 प्रतिशत परिवारों द्वारा बकरा/बकरी का पालन करना पाया गया। प्रति परिवार 17500.00 रू. की औसत बकरा/बकरी सम्पत्ति पायी गई।

**(5) मुर्गा/मुर्गी**

इस समुदाय में मुर्गीपालन का कार्य कुल देवी–देवताओं, धार्मिक कर्मकाण्डों, जन्म, विवाह आदि विशेष अवसरों पर पुजाई (बलि) देने, अतिथि सत्कार एवं आर्थिक लाभ लेने आदि हेतु किया जाता है। इन्हें घर के बरामदे या आंगन में ''गुड़ा'' बनाकर रखा जाता है।

सर्वेक्षित कंडरा परिवारों में 17.30 प्रतिशत परिवारों द्वारा मुर्गीपालन किया जाता है। प्रति परिवार 2–3 मुर्गियां औसतन पायी गई। बाजार मूल्य के आधार पर प्रति परिवार औसतन 433.33 रू. की मुर्गी सम्पत्ति पायी गई।

**3.5 समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय :-**

**तालिका क्रमांक-10 समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय**

| क्र. | आय के स्त्रोत | आय प्राप्त करने वाले परिवार | | कुल आय (रू. में) | प्रति परिवार औसत आय (रू. में) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | प्रतिशत | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | बांस शिल्पकारी | 86 | 82.69 | 1396200.00 | 16234.88 |
| 2. | कृषि | 16 | 15.38 | 338000.00 | 21125.00 |
| 3. | मजदूरी | 59 | 56.73 | 710100.00 | 12035.59 |
| 4. | पशुधन | 40 | 38.46 | 98000.00 | 2450.00 |
| 5. | शिकार/मत्स्यखेट | — | — | — | — |
| 6. | नौकरी | 04 | 3.84 | 839200.00 | 209800.00 |
| 7. | अन्य | 21 | 7.69 | 148500.00 | 7071.42 |
| **योग** | | | | **3530000.00** | **33942.31** |
| **कुल सर्वेक्षित परिवार - 104** | | | | | |

उपरोक्त तालिका क्र. 10 से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित कंडरा परिवारों को समस्त स्त्रोतों से प्रति परिवार औसत वार्षिक आय 33942.31 रू. पाया गया, जिसमें शासकीय/अर्धशासकीय सेवा में कार्यरत व्यक्तियों की औसत वार्षिक आय (209800 रू.) को छोड़कर, सर्वाधिक 82.69 प्रतिशत परिवारों को बांस शिल्पकला से 16234.88 रू. की औसत वार्षिक आय पाया गया। मजदूरी से 56.73 प्रतिशत परिवारों को 12035.59 रू. की औसत वार्षिक आय पाया गया, 15.38 प्रतिशत परिवारों को कृषि से 21125 रू. की औसत वार्षिक आय, पशुधन विक्रय से 38.46 प्रतिशत परिवारों को 2450.00 रू. की औसत वार्षिक आय एवं अन्य स्त्रोतों से 7.69 प्रतिशत परिवारों को 7071.42 रू. की औसत वार्षिक आय प्राप्त होना पाया गया।

शासकीय तथा अर्द्धशासकीय सेवा में संलग्न केवल 03.84 प्रतिशत परिवारों के सदस्यों को 209800.00 रू. की औसत वार्षिक आय प्राप्त होना पाया गया।

**शिकार व मत्स्य आखेट :-**

कंडरा समुदाय के मांसाहारी जीवनशैली के कारण कभी–कभी समुदाय के लोगों द्वारा वन भ्रमण एवं मनोरंजन की दृष्टि से छोटे जीव–जन्तुओं का शिकार कर लिया जाता है। शासकीय तौर पर प्रतिबंध के बाद इन क्रियाकलापों को बंद कर दिया गया है।

सामूहिक शिकार हेतु 4–5 सदस्यों द्वारा आपस में तिथि एवं समय निर्धारित कर लिया जाता है तथा प्रातःकाल में ही शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। शिकार हेतु धनुष–बाण, टंगिया, फांदा आदि लेकर निकलते हैं। शिकार में जो भी मिलता है, उसका वितरण बराबर मात्रा में तैयार कर, शिकार में सम्मिलित सदस्य आपस में बंटवारा करते हैं तथा जिस शिकारी द्वारा पहला वार शिकार (जन्तु जानवर) को लगता है, उसे अन्य की तुलना में थोड़ा अधिक भाग दिया जाता है। शिकार केवल पुरूष सदस्यों द्वारा ही किया जाता है।

वर्षाकाल में नदी, नालों, तालाबों व खेतों में मत्स्य आखेट किया जाता है, जिस व्यक्ति का जाल होता है, उसे एक भाग अलग से दिया जाता है। इस जाति में प्राप्त शिकार का उपयोग स्वयं के उपभोग हेतु किया जाता है। मत्स्य आखेट में महिलाओं की सहभागिता पायी जाती हैं।

### 3.6 कुल वार्षिक आय में समस्त मदों की सहभागिता :-

**तालिका क्रमांक - 11 कुल वार्षिक आय में विभिन्न स्त्रोतों की सहभागिता**

| क्र. | आय के स्त्रोत | कुल आय (रू. में) | कुल आय से प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | बांस शिल्पकारी | 1396200.00 | 39.55 |
| 2. | मजदूरी | 710100.00 | 20.11 |
| 3. | कृषि | 338000.00 | 09.58 |
| 4. | पशुपालन | 98000.00 | 2.78 |
| 5. | शिकार/मत्स्याखेट | — | — |
| 6. | नौकरी | 839200.00 | 23.77 |
| 7. | अन्य | 148500.00 | 4.21 |
| कुल योग | | 3530000.00 | 100.00 |

तालिका क्र. 11 से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित कंडरा परिवारों की कुल वार्षिक आय में सर्वाधिक सहभागिता 39.55 प्रतिशत बांस शिल्पकारी से, नौकरी से 23.77 प्रतिशत सहभागिता, 20.11 प्रतिशत सहभागिता मजदूरी से पायी गई, कृषि में सहभागिता 9.58 प्रतिशत जबकि पशुधन विक्रय की सहभागिता 2.78 प्रतिशत व अन्य स्त्रोतों की सहभागिता 4.21 प्रतिशत पायी गई।

## 3.7 कुल वार्षिक आय की वितरण

सर्वेक्षित कंडरा परिवारों में कुल वार्षिक आय का वितरण को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:—

**तालिका क्रमांक-12 वार्षिक आय का वितरण**

| क्र. | वार्षिक आय (रू. में) | परिवार | |
|---|---|---|---|
| | | संख्या | प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 10000 रू. से कम | | — |
| 2 | 10001—20000 रू. | 28 | 26.92 |
| 3 | 20001—30000 रू. | 54 | 51.92 |
| 4 | 30001—40000 रू. | 07 | 6.73 |
| 5 | 40001—50000 रू. | 05 | 04.81 |
| 6 | 50000 रू. से अधिक | 10 | 9.62 |
| योग | | 104 | 100.00 |

उपरोक्त तालिका क्र. 12 से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित कंडरा परिवारों में से 51.92 प्रतिशत परिवारों की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 20001 रू. से 30000 रू. के बीच रही, 26.92 प्रतिशत परिवारों की वार्षिक आय 10001—20000 रू. के मध्य पायी गई। सर्वेक्षित परिवारों में 6.73 प्रतिशत परिवारों की कुल वार्षिक आय 30001—40000 रू. पायी गई। जबकि 9.62 प्रतिशत परिवारों की ही आय 50000 रू. या इससे अधिक की वार्षिक आय पायी गई। 40001—50000 रू. की आय प्राप्त करने वाले परिवारों की प्रतिशत सबसे कम 4.81 पायी गयी।

## 3.8 व्यय

कंडरा जनजाति द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न मदों में व्यय किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से भोजन, धार्मिक कर्मकाण्ड, सामाजिक कार्यों जैसे— जन्म, विवाह, मृत्यु, आवास, कपड़े, शिक्षा व अन्य व्यय जैसे—स्वास्थ्य, साप्ताहिक हाट—बाजार, मादक पेय पदार्थ, तम्बाकू, गुड़ाखू, आदि में किया जाता है। सर्वेक्षित परिवारों द्वारा व्यय मदों की विस्तृत जानकारी निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार हैं :—

तालिका क्रमांक-13 वार्षिक व्यय वितरण

| क्र. | व्यय मद | परिवार | | वार्षिक व्यय (रू. में) | प्रति परिवार औसत व्यय(रू. में) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | प्रतिशत | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | भोजन | 104 | 100.00 | 1200000.00 | 11538.46 |
| 2 | मकान | 104 | 100.00 | 240700.00 | 2314.42 |
| 3 | कपड़े | 104 | 100.00 | 216000.00 | 2076.92 |
| 4 | शिक्षा | 31 | 29.80 | 66000.00 | 2129.03 |
| 5 | जन्म | 14 | 13.46 | 110000.00 | 7857.14 |
| 6 | विवाह | 09 | 08.46 | 378000.00 | 42000.00 |
| 7 | मृत्यु | 02 | 1.92 | 20000.00 | 10000.00 |
| 8 | धार्मिक कार्य | 99 | 95.19 | 137000.00 | 1383.83 |
| 9 | आभूषण | 104 | 100.00 | 220500.00 | 2120.19 |
| 10 | चिकित्सा | 104 | 100.00 | 213500.00 | 2052.88 |
| 11 | मद्यपान | 99 | 95.19 | 100000.00 | 1010.10 |
| 12 | अन्य मद | 104 | 100.00 | 249500.00 | 2399.05 |
| **कुल सर्वेक्षित परिवार - 104** | | | | **3151200.00** | **30300.00** |

उपरोक्त तालिका क्र. 13 अनुसार सर्वेक्षित कंडरा परिवारों का समस्त मदों में प्रति परिवार औसत वार्षिक व्यय 30300 रू. पाया गया, जिसमें प्रति परिवार औसत रूप से भोजन संबंधी व्यय 11538.46 रू., आवास निर्माण एवं मरम्मत आदि में प्रति परिवारों द्वारा औसतन 2314.42 रू., कपड़े आदि के लिए प्रति परिवार औसत रूप से 2076.92 रू. वार्षिक व्यय करते पाये गये है। शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मद पर मात्र 29.80 प्रतिशत परिवारों द्वारा औसत रूप से 2129.08 रू. वार्षिक व्यय करना पाया गया। सामाजिक कार्य जैसे जन्म संस्कार में 13.46 प्रतिशत परिवारों द्वारा औसत व्यय 7857.14 रू., विवाह के लिए 08.65 प्रतिशत परिवारों द्वारा औसत व्यय 42000.00 रू. एवं मृत्यु संस्कार में 1.92 प्रतिशत परिवारों द्वारा औसत व्यय 10000.00 रू वार्षिक व्यय करना पाया गया। धार्मिक कर्मकाण्ड (त्यौहार, पूजापाठ, भोज आदि) में 95.19 प्रतिशत परिवारों द्वारा औसत व्यय 1383.83 रू. करना पाया गया।

सर्वेक्षित परिवारों में आभूषण के लिए औसत रूप से प्रति परिवार 2120.19 रू. वार्षिक व्यय, चिकित्सा में औसत रूप से 2052.88 रू. वार्षिक व्यय एवं मादक पेय पदार्थ के लिए 95.19 प्रतिशत परिवारों द्वारा औसत रूप से 1010.10 रू वार्षिक व्यय करते पाये गये हैं, वहीं अन्य मदों विशेषकर साग–भाजी, राशन आदि सामाग्रियों पर प्रति परिवार औसत रूप से 2399.05 रू. वार्षिक व्यय करना पाया गया।

## 3.9 कुल वार्षिक व्यय में विभिन्न मदों की सहभागिता

**तालिका क्रमांक-14 वार्षिक व्यय में सहभागिता**

| क्र. | व्यय मद | कुल वार्षिक व्यय (रू. में) | कुल व्यय से प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | भोजन | 1200000.00 | 30.07 |
| 2 | मकान | 240700.00 | 07.64 |
| 3 | कपड़े | 216000.00 | 6.85 |
| 4 | शिक्षा | 66000.00 | 02.09 |
| 5 | जन्म | 110000.00 | 03.49 |
| 6 | विवाह | 378000.00 | 11.99 |
| 7 | मृत्यु | 20000.00 | 0.63 |
| 8 | धार्मिक कार्य | 137000.00 | 04.35 |
| 9 | आभूषण | 220500.00 | 06.99 |
| 10 | चिकित्सा | 213500.00 | 06.78 |
| 11 | मद्यपान | 100000.00 | 03.17 |
| 12 | अन्य मद | 249500.00 | 07.92 |
| योग | | 3151200.00 | 100.00 |

उपरोक्त तालिका क्र. 14 से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित कंडरा परिवारों द्वारा समस्त मदों में किये गये कुल वार्षिक व्यय में सर्वाधिक 30.07 प्रतिशत भाग भोज्य पदार्थों पर किया जाता है। मकान पर 7.64 प्रतिशत भाग, कपड़े पर 6.85 प्रतिशत भाग, सामाजिक कार्यों (जन्म, विवाह एवं मृत्यु) पर 16.11 प्रतिशत भाग व धार्मिक कर्मकाण्डों पर 04.35 प्रतिशत भाग व्यय किया जाता है। आभूषण पर कुल वार्षिक व्यय का 6.99 प्रतिशत भाग एवं मद्यपान पर 03.17 प्रतिशत भाग व्यय करते पाये गये हैं जबकि शिक्षा एवं चिकित्सा जैसे महत्वपूर्ण मदों पर क्रमशः 02.09 प्रतिशत एवं 6.78 प्रतिशत भाग ही व्यय करना पाया गया।

## 3.10 कुल वार्षिक व्यय का वितरण

**तालिका क्रमांक-15 वार्षिक व्यय में वितरण**

| क्र. | वार्षिक व्यय (श्रेणी) (रू. में) | परिवार | |
|---|---|---|---|
| | | संख्या | प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 10000 रू. से कम | — | — |
| 2 | 10001—20000 रू. | 36 | 36.62 |
| 3 | 20001—30000 रू. | 48 | 46.15 |
| 4 | 30001—40000 रू. | 07 | 6.73 |
| 5 | 40001—50000 रू. | 03 | 02.88 |
| 6 | 50000 रू. से अधिक | 10 | 09.62 |
| योग | | 104 | 100.00 |

उपरोक्त तालिका क्र. 15 अनुसार सर्वेक्षित कंडरा परिवारों में से सर्वाधिक 46.15 प्रतिशत परिवारों का समस्त मदों में वार्षिक व्यय 20001–30000 रू. तक व 36.62 प्रतिशत परिवारों का 10001–20000 रू. से कम वार्षिक व्यय करना पाया गया। 9.62 प्रतिशत परिवारों का वार्षिक व्यय 50000.00 रू. से अधिक, 6.73 प्रतिशत परिवारों का वार्षिक व्यय 30001–40000 रू., 2.88 प्रतिशत परिवारों का वार्षिक व्यय 40001 से 50000 रू. तक पाया गया। कुल सर्वेक्षित परिवारों का समस्त मदों में औसत वार्षिक व्यय 30300.00 रू. पाया गया।

## 3.11 ऋण की स्थिति

कंडरा समुदाय की अर्थव्यवस्था बांस से वस्तुएं निर्माण कृषि, कृषि–मजदूरी, आदि पर आधारित होता है। कृषि का परम्परागत साधन, एक फसल एवं मानसूनी वर्षा पर आश्रित होने के कारण इनमें ऋण ग्रस्तता पायी गई। इनके समस्त स्त्रोतों से इतनी आय प्राप्त नहीं होती है कि वे अपने परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। वहीं दूसरी ओर सामाजिक, धार्मिक कार्य के लिए आकस्मिक व्यय हेतु ऋण पर निर्भर रहना पड़ता है। सर्वेक्षित परिवारों में ऋण की स्थिति निम्नानुसार पायी गयी :–

**तालिका क्रमांक-16 ऋण की स्थिति**

| क्र. | ऋण की स्थिति | परिवार | |
|---|---|---|---|
| | | संख्या | प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ऋणग्रस्त | 24 | 23.08 |
| 2 | ऋणविहीन | 80 | 76.92 |
| योग | | 104 | 100.00 |

इस प्रकार सर्वेक्षित कंडरा परिवारों में से 23.08 प्रतिशत परिवार ऋण ग्रस्त पाये गये। जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न स्त्रोतों से ऋण लिये हुए हैं जबकि 76.92 प्रतिशत परिवार ऋण विहीन पाया गया।

## 3.12 ऋण का उद्देश्य एवं स्त्रोत

**तालिका क्रमांक-17 वार्षिक व्यय में वितरण**

| क्र. | श्रेणी | ऋण का उद्देश्य | | | | | ऋण का स्त्रोत | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कृषि कार्य | स्वास्थ्य | समाजिक | अन्य | योग | साहूकार | शासकीय संस्थान | रिश्तेदार | योग |
| 1 | संख्या | 13 | 03 | 02 | 06 | 24 | 06 | 13 | 05 | 24 |
| 2 | प्रतिशत | 12.50 | 2.88 | 1.92 | 5.77 | 23.08 | 5.77 | 12.50 | 4.80 | 100.00 |

उपरोक्त तालिका क्र. 17 से स्पष्ट है कि ऋणग्रस्त परिवारों में से सर्वाधिक 12.50 प्रतिशत परिवारों ने कृषि कार्यो जैसे– खाद, बीज, बैल आदि हेतु ऋण लेना पाया गया। 2.88 प्रतिशत परिवारों द्वारा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं हेतु ऋण लेना पाया गया। 1.92 प्रतिशत परिवारों द्वारा सामाजिक कार्यो की पूर्ति हेतु एवं 05.77 प्रतिशत परिवारों ने अन्य आवश्यक कार्यों, जैसे– वाहन, गृह निर्माण आदि के लिये ऋण लेना पाया गया है।

सर्वेक्षित कंडरा परिवारों में ऋण ग्रस्त परिवारों में से 05.77 प्रतिशत परिवारों ने स्थानीय साहूकारों से ऋण लिया है। 12.50 प्रतिशत परिवारों ने शासकीय संस्थाओं जैसे– ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक आदि से तथा शेष 4.80 प्रतिशत परिवारों द्वारा अपने घनिष्ठ रिश्तेदारों या मित्रों से ऋण लिया है।

## 3.13 श्रम विभाजन

कंडरा समुदाय में दैनिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक कार्यो में सभी सदस्यों की भूमिकाएं तय होती हैं तथा इनमें काम का विभाजन कर दिया जाता है। इस समुदाय में युवा पुरूषों को ''जवान'' एवं लड़कियां को ''मोटियारी'' कहा जाता है। कंडरा जनजाति में निम्नानुसार श्रम विभाजन पाया जाता है :–

**(अ) पुरूष वर्ग में श्रम विभाजन**

**(1) बच्चें**

कंडरा समुदाय में बच्चे प्रायः पशु चराने एवं घर में अपने छोटे भाई–बहनों की देख–रेख आदि करते हैं।

**(2) युवा पुरूष**

युवा पुरूष घर के प्रमुख कार्यो जैसे घर निर्माण, छत छाना, पशु चराना, पशुओं को चारा देना, साफ–सफाई करना, बांस से वस्तुएं बनाना, हल चलाना, मजदूरी, मिंजाई, भण्डारण, शिकार आदि कार्यों में संलग्न रहते हैं। साथ ही साथ धार्मिक कार्य का सम्पादन करते हैं।

**(3) वृद्ध पुरूष**

कंडरा जनजाति में वृद्धजनों द्वारा बांस से वस्तुएं बनाना, पशुचारण, बच्चों की देखरेख, खेतों में बीज डालना, शिकार, धार्मिक कार्यों में पूजापाठ, बलि देना एवं राजनैतिक कार्यों में संलग्न रहते हैं।

**(ब) महिला वर्ग में श्रम विभाजन**

**(1) लड़कियां**

इस जनजाति की लड़कियाँ घरेलू दैनिक कार्यों जैसे–झाडू लगाना, पानी भरना, भोजन पकाना, कपड़े धोना, पशु चराना, वनोपज संकलन एवं छोटे भाई–बहनों के देखरेख करने में अपना योगदान देती है।

**(2) महिलाएं**

कंडरा महिलायें हल चलाने, छत छाने, शिकार करने, बलि देने, कर्मकाण्ड करने एवं राजनैतिक कार्य को छोड़कर सभी दैनिक घरेलू कार्यों, आर्थिक कार्यों में सहभागिता करती है।

**(3) वृद्ध महिलाएं**

वृद्ध महिलायें प्रायः घरेलू कार्यों जैसे–झाडू, लिपाई, पशुओं को चराना, पशुओं को चारा देना, कोठा की साफ–सफाई, धान कुटाई, निंदाई एवं बच्चों की देखरेख आदि कार्यो में अपना सहयोग देती है।

## 3.14 बाजार व्यवस्था



कंडरा जनजाति में साप्ताहिक हाट–बाजार का विशेष महत्व है। स्थानीय कंडरा परिवार के लोगों द्वारा अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं का क्रय या विक्रय नगद या वस्तु–विनिमय के माध्यम से किया जाता है। वस्तु विनिमय द्वारा आवश्यक दैनिक सामग्रियों जैसे– नमक, तेल, मिर्च, हल्दी, धनिया, लेहसुन, प्याज, गुड़, चाय, शक्कर आदि विनिमय में किया जाता है जबकि नगद में टमाटर, भाटा, साग–भाजी आदि क्रय किया जाता है।

बुर्जुग व्यक्ति या महिलाएँ दैनिक सामग्रियाँ, तम्बाकू, बीड़ी, कपड़े, साफ करने के सोडा एवं महिलाएँ सौन्दर्य प्रसाधन आदि सामान खरीदती है साथ ही बाजार से मादक पेय पदार्थ आदि का क्रय भी किया जाता है।

साप्ताहिक हाट–बाजार में आस–पास के गांव के सगे संबंधी परस्पर मेल–जोल, सुख–दुख का आदान–प्रदान किया जाता है। बाजार संदेश एवं निमंत्रण देने का एक सशक्त माध्यम भी होता है।

**नाप-तौल की मानक सामग्री**

कंडरा जनजाति के लोग वनोत्पादों, कृषि ऊपज, दैनिक उपभोग की वस्तुओं का क्रय या विक्रय करने एवं दूरी मापने के लिए एक क्षेत्रीय नापतौल मानक प्रणाली का उपयोग करते पाये गये, जो निम्नलिखित हैं :–

| स्थानीय मानक नाप तौल प्रणाली | संबंधी/वस्तु | मात्रा |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| कोस | दूरी | 3 किमी |
| जुड़ी | साग–भाजी, मुनगा | 250 ग्राम, 500 ग्राम |
| सेर | सब्जी, फल आदि | लगभग 3 किलो |
| आधा सेर | सब्जी, फल आदि | 1.5 किलो |
| खण्डी | धान | लगभग 20 काठा |
| एक बोरा | धान | लगभग 75 किलो |
| एक गांडा | धान | 16 बोरा |
| एक चुंगडी | धान | 40 किलो |
| भाग | मछली,<br>साग–भाजी | मछली = 100 ग्राम<br>साग–भाजी = 250 ग्राम |

❑❑❑❑

# अध्याय-4 सामाजिक संरचना

सामाजिक संरचना से तात्पर्य समाज के विभिन्न अंगों के मध्य व्यवस्थित, क्रमबद्ध तथा अर्धपूर्ण संबंध है, जिससे समाज के समग्र अंगों के अंतः संबंधों में क्रमबद्धता व एकीकरण दिखाई देता है।

जनजाति समाज में कुछ स्थापित नियम होते हैं, जिससे समाज के सदस्यों का पारंपरिक संबंध और सामाजिक जीवन संचालित होते हैं। गोत्र, परिवार, नातेदारी आदि इनके सामाजिक संगठन को अत्यधिक सुदृढ़ करते हैं। इसी आधार पर कंडरा जनजाति के सामाजिक संरचना को समझने के लिए इनके जाति, उपजाति, गोत्र, नातेदारी परिवार का उल्लेख आवश्यक है।

**जनजाति** :-

डा. डी.एन मजुमदार अनुसार – ''एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का एक संकलन होता है, जिनकी एक सामान्य नाम होता है, जिनके सदस्य एक निश्चित भू–भाग पर रहते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं, और विवाह ,व्यवसाय या उद्योगों के विषय में कुछ निषेधों का पालन करते हैं, एक निश्चित एवं उपयोगी परस्पर आदान–प्रदान की व्यवस्था का विकास करते हैं।''

अनुसूचित जनजाति से अभिप्राय है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का समूह जिसे संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

कंडरा जनजाति गोंड, हलबा, कंवर आदि आदिम जातियों के मध्य छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य क्षेत्रों में निवास करती है।

**उपजातियां** :-

कंडरा जनजाति मुख्य रूप से तीन उपजातियों में विभक्त है। झरिया कंडरा, कोसरिया कंडरा, कनोजिया कंडरा आदि।

**गोत्र एवं वंश समूह** :-

गोत्र का प्रारंभ किसी पूर्वज विशेष से होता है। यह पूर्वज वास्तविक, काल्पनिक अथवा पौराणिक हो सकते हैं। इस पूर्वज के आधार पर सभी वंशजों का परिचय किया जाता है और सब मिलकर एक गोत्र के वंशज कहलाते हैं। इस जनजाति के उपजाति विभिन्न गोत्रों में विभक्त है। एक गोत्र के सदस्य अपने को आपस में भाई कहते हैं अर्थात उनका पूर्वज एक ही था। गोत्र चिन्ह (टोटम) की पूजा में गोत्र के सभी सदस्य मिलकर सम्पन्न करते हैं। सभी में एक–दूसरे के लिए मदद की भावना होती है। विवाह, मृत्यु आदि संस्कारों में आर्थिक मदद की भावना होती है। कंडरा जनजाति के प्रमुख गोत्र निम्नांकित है :–

नेताम, मरकाम, सोरी, मरई, कुंजाम, पटोटी, झोका, मुंडा, करायत, मंगर, लोहरिया, सोनवानी, मुंदेर, चौहट, कुमेटी, अमध, डुड़रिया, हिरोंदिया, तुरकेले आदि गोत्र पाये जाते हैं।

कंडरा जनजाति के सेर्वेक्षित परिवारों में गोत्र :–

कंडरा जनजाति के सर्वेक्षित परिवारों में गोत्र

**सारिणी क्रं.-18**

| क्र. | गोत्र का नाम | परिवार | |
|---|---|---|---|
| | | संख्या | प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | नेताम | 09 | 08.65 |
| 2 | मरकाम | 20 | 19.23 |
| 3 | सोरी | 00 | 00.00 |
| 4 | मरई | 04 | 03.85 |
| 5 | कुंजाम | 08 | 07.69 |
| 6 | छेदइहा | 24 | 24.03 |
| 7 | उईके | 01 | 0.96 |
| 8 | पटोते | 00 | 00.00 |
| 9 | झोका | 05 | 04.81 |
| 10 | मुंडा | 03 | 02.88 |
| 11 | करायत | 00 | 00.00 |
| 12 | मंगर | 04 | 03.95 |
| 13 | लोहरिया | 11 | 10.57 |
| 14 | सोनवानी | 08 | 07.69 |
| 15 | मुंदेर | 00 | 00.00 |
| 16 | चौहट | 00 | 00.00 |
| 17 | कुमेटी | 00 | 00.00 |
| 18 | अमध | 00 | 00.00 |
| 19 | डुड़रिया | 05 | 04.81 |
| 20 | हिरोंदिया | 01 | 00.96 |
| 21 | तुरकेले | 01 | 00.96 |
| | योग- | 104 | 100.00 |

सर्वेक्षित कंडरा जनजाति परिवारों में सर्वाधिक 24.03 प्रतिशत परिवार छेदइहा, 19.23 प्रतिशत परिवार मरकाम, 10.57 प्रतिशत परिवार लोहरिया, 8.65 प्रतिशत परिवार नेताम गोत्र के पाया गया। कुंजाम एवं सोनवानी गोत्र के परिवार 07.69– 07.69 प्रतिशत पाया गया। इसी तरह झोका व डुडरिया 04.81– 04.81 प्रतिशत, मरई व मंगर 03.85– 03.85 प्रतिशत, मुंडा 02.88 प्रतिशत परिवार पाया गया। सर्वेक्षित कंडरा परिवारों में उइके 00.96 प्रतिशत, हिरोंदिया 00.96 प्रतिशत, तुरकेले 00.96 परिवार पाया गया। सर्वेक्षित परिवारों में सोरी, पटोते, करायत ,मुंदेर, चौहट, कुमेटी एवं अमध गोत्र के कोई भी परिवार नहीं पाया गया।

(i) **नातेदारी रीतियां :-**

कंडरा जनजाति में प्रचलित नातेदारी संबंधों को संचालित करने के लिए पारंपरिक रूप से कुछ रीति–रिवाजों का पालन किया जाता है, जो निम्नांकित है :–

**(अ) परिहार संबंध :-**

परिहार शब्द का शाब्दिक अर्थ है, दो व्यक्तियों के बीच दूरी। परिहार संबंध वह संबंध है, जिसमें दो रिश्तेदार आपस में आमने–सामने के प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखते तथा कुछ निश्चित नियमों से बंधे होते हैं अर्थात एक–दूसरे के बीच नियंत्रित संबंध होता है। कंडरा जनजाति में भाई–बहू अपने जेठ, भांचा बहू अपने ममा ससुर के सामने नहीं जा सकती, बात नहीं करती या किसी के माध्यम से बात करती है, इनके सामने सिर खुला नहीं रख सकती तथा पुरूष अपने पत्नी की बड़ी बहन को स्पर्श नहीं कर सकते, दूरी बनाकर बात करते हैं।

**(ब) परिहास संबंध :-**

कंडरा जनजाति में परिहास संबंध पाया जाता है। परिहास संबंध परिहार संबंध के विपरीत होता है। कुछ नातेदारी संबंधों के साथ हंसी–मजाक किया जा सकता है। कभी–कभी इनमें कुछ रिश्तेदारों के बीच मधुर संबंध होता है, इस जनजाति में पाये जाने वाले परिहास नातेदारी रीति के प्रचलित संबंध निम्नांकित है:–

1. जीजा–साली
2. देवर–भाभी
3. जीजा–साला
4. दादा–पोता
5. समधी–समधी
6. समधीन–समधीन
7. ननंद–भौजाई
8. साला–जीजा की छोटी/बड़ी बहन
9. देवर–भाभी के भाई/बहन
10. आजा (नाना)–बेटी नाती/नतनीन
11. आजी (नानी)–बेटी नाती/नतनीन

**माध्यमिक संबोधन :-**

कंडरा जनजाति में कुछ रिश्ते–नातेदारों से सीधे नाम न लेकर, संबोधन के लिए माध्यमिक संबोधन का उपयोग किया जाता है अर्थात अपनी बात कहने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के नाम को माध्यम बनाकर अपनी बात कहते हैं, जैसे– पति को पुकारने हेतु पत्नी नाम न लेकर अपने ननंद या पुत्र– पुत्री के नाम के सहारे पुकारती हैं यथा पति के छोटी बहन होने पर ''नोनी के भैय्या''। बच्चे हो जाने पर ''श्यामू के बाबू'' कहकर पुकारती है। पति भी कभी–कभी अपनी पत्नी को पुकारने हेतु माध्यमिक संबोधन का उपयोग करती है, जैसे ''श्यामू के दाई'' कह कर बुलाते हैं, बाते करते हैं

**अन्य संबोधन :-**

इसी प्रकार पति के बड़ी बहन को दीदी, पति के छोटी बहन को नोनी तथा देवर को बाबू कहकर संबोधित करते हैं। जेठ के पुत्र–पुत्री को भी बाबू या नोनी कहकर ही बुलाते हैं। रिश्ते में बड़े जैसे– सास–ससूर, जेठ–जेठानी आदि का भी नाम नहीं लेते हैं।

**परिवार :-**

कंडरा जनजाति में परिवार पितृ सत्तात्मक, पितृवंशीय, पितृ स्थानीय एवं नव स्थानीय व्यवस्था पायी जाती है। अधिकांश परिवार एकल या केन्द्रीय परिवार पाया जाता है। पिता परिवार का मुखिया होता है। मुखिया के नेतृत्व से पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक आदि गतिविधियां संचालित होती है। कंडरा जनजाति में विस्तृत परिवार कम पाया जाता है।

संयुक्त परिवार में सभी सदस्य बड़े–बुजुर्गों का आदर करते हैं तथा उनके आदेशानुसार कार्य करते हैं। विवाह हो जाने व विवाह पश्चात् एक–दो संतान हो जाने पर सभी भाई अलग–अलग रहने लगते हैं तथा परिवार की सम्पत्ति को बांट लेते हैं।

**परिवार का स्वरूप :-**

**तालिका क्रमांक - 19**

| क्र. | परिवार का स्वरूप | परिवार | |
|---|---|---|---|
| | | संख्या | प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | एकल | 83 | 78.91 |
| 2 | संयुक्त | 19 | 18.27 |
| 3 | विस्तृत | 02 | 01.92 |
| योग | | 104 | 100 |

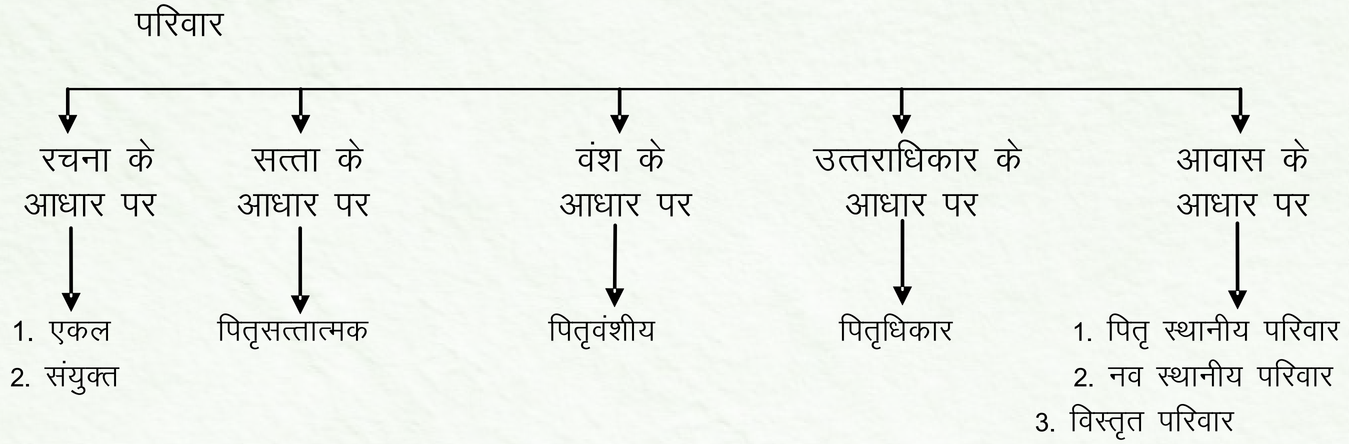
उपरोक्त तालिका क्र. 19 से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित कंडरा परिवारों में से सर्वाधिक 79.81 प्रतिशत परिवार एकल परिवार पाये गये जबकि 18.27 प्रतिशत संयुक्त परिवार एवं 01.92 प्रतिशत विस्तृत परिवार पाये गये।

कंडरा समुदाय में संयुक्त परिवार, युवा सदस्यों के विवाह पश्चात् एकल परिवार में विघटित हो जाता है।

### (ख) परिवार का वर्गीकरण

कंडरा समुदाय में पाये जाने वाले परिवार के स्वरूप का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है:–

**परिवार का वर्गीकरण**




उपर्युक्त वर्गीकरण से कंडरा परिवारों की रचना में एकल संयुक्त तथा बड़े परिवार पाये जाते हैं। परिवारों की सत्ता (मुखिया) पुरूष वर्ग के पास होती है अर्थात पितृसत्तात्मक परिवार है। इस समुदाय के परिवारों में वंश पुरूष के नाम पर चलता है अर्थात पितृवंशीय परिवार है तथा इन परिवारों में सम्पत्ति एवं सत्ता एवं हस्तांतरण पिता से पुत्र को प्राप्त होता है। अतः यह समुदाय पितृधिकार परिवार वाला समुदाय है। आवास के आधार पर पितृ–स्थानीय एवं नवस्थानीय परिवार पाये जाते है। कंडरा दम्पत्ति विवाह पश्चात् वर के पिता के आवास पर अथवा नये आवास में निवास करते है।

### (ग) धर्म

जनजाति समाज प्रकृति पूजक होते हैं, ये आदि धर्म पर विश्वास करते हैं। कंडरा जनजाति का धर्म प्रकृति, अलौकिक शक्ति तथा देवी–देवताओं के विश्वास पर आधारित है। ये आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, अपने पूर्वजों को देवी–देवता मानते हैं। अपने देवी–देवताओं को प्रसन्न करने या कार्य सिद्ध होने पर अपनी परंपरा रीति–रिवाजों, मान्यताओं के आधार पर पूजा–अर्चना करते हैं।

### (II) नातेदारी के प्रकार

कंडरा समाज में नातेदारी संबंध व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक व्यक्तियों के बीच होने या बने रहने वाला संबंध है, जो इनके लालन–पालन से लेकर व्यक्तित्व निर्माण युवावस्था, वैवाहिक जीवन, प्रौढ़ावस्था तक अनेक व्यक्ति से अन्तः संबंधित रहता है, इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण संबंध समाज के उन सदस्यों से होता है, जो विवाह बंधन अथवा रक्त संबंध के आधार पर संबंधित होते हैं।

कंडरा समाज में प्रचलित नातेदारी संबंधों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है :–

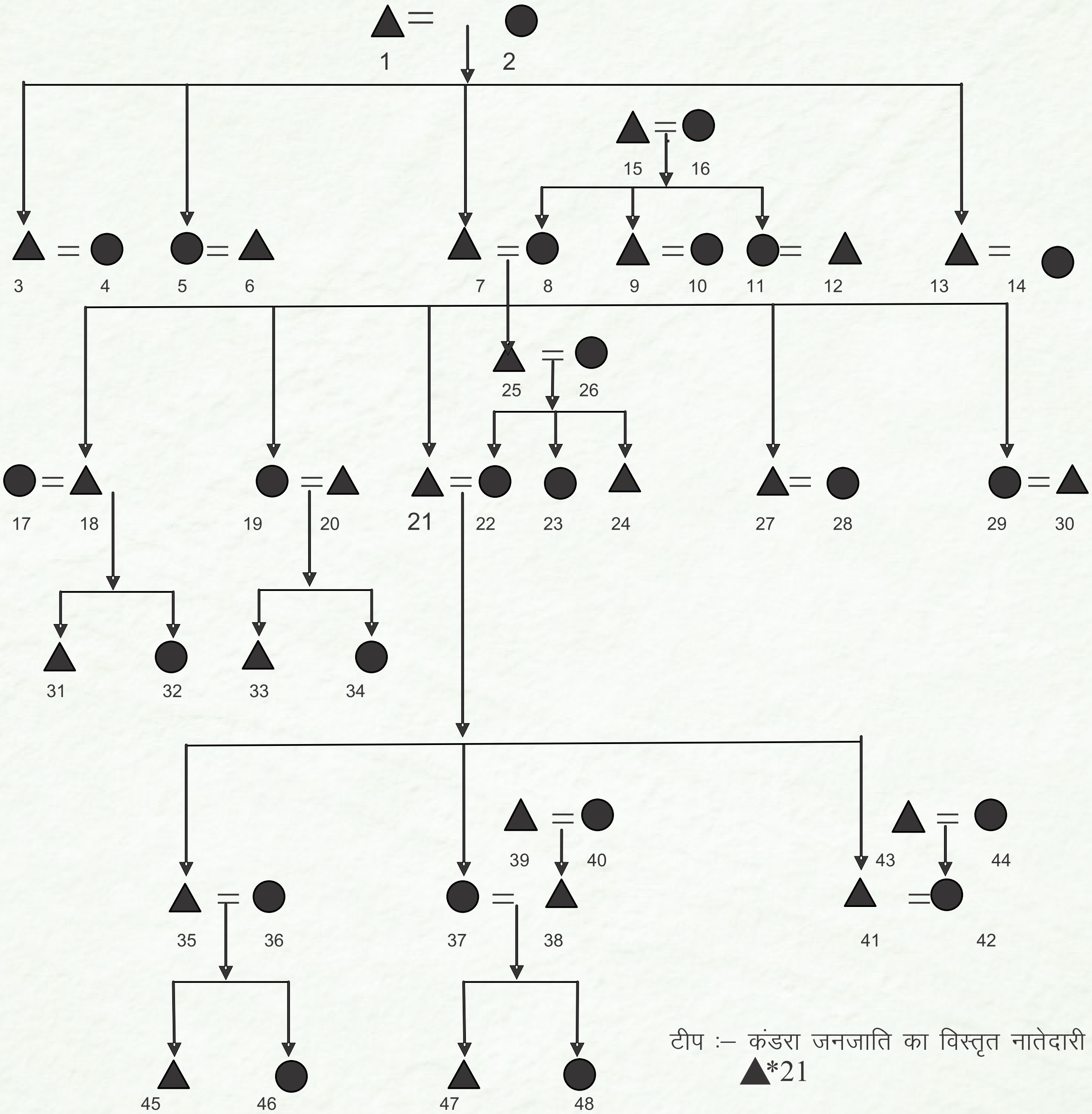
**(1) रक्त संबंधी नातेदारी**

रक्त संबंधी नातेदारी के अंतर्गत ऐसे संबंधी आते हैं, जो आपस में समान रक्त आधारित हो तथा माता–पिता के संतान, दो भाई, दो बहन, भाई–बहन आदि के बीच का संबंध रक्त संबंधी नातेदारी कहलाती है।

**(2) विवाह संबंधी नातेदारी**

विवाह संबंधी नातेदारी में विवाह संबंध द्वारा पति–पत्नी और दोनों परिवारों के अन्य संबंधी भी आते हैं, जैसे–पति के माता–पिता, साला–बहनोई, सास–दामाद, सारी–भांटो, मौसा, साढू आदि।

## रक्त एवं विवाह संबंधी नातेदारी-वंशावली




टीप :– कंडरा जनजाति का विस्तृत नातेदारी वंशावली
▲*21

**21-इगो**

**कंडरा जनजाति नातेदारी-संबंध एवं संबोधन**

| क्र. | संबंध | वंशावली उल्लेख | नातेदारी शब्द | संबोधन |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | पिता | 21–7 | बाप | बाबू/ददा |
| 2 | माता | 21–8 | मां | दाई |
| 3 | बड़ा भाई | 21–18 | भाई | भईया |
| 4 | बड़ी बहन | 21–19 | बहिन | दीदी |
| 5 | छोटा भाई | 21–27 | अनुज | नाम से |
| 6 | छोटी बहन | 21–29 | बहिन | नाम से |
| 7 | पिता के बड़े भाई | 21–3 | ताऊ | बड़े बाबू/बबा |
| 8 | पिता के छोटे भाई | 21–13 | चाचा | कका |
| 9 | पिता के छोटे–बड़े भाई की पत्नी | 21–4, 14 | चाची | काकी |
| 10 | पिता की बड़ी बहन | 21–5 | बुआ | फूफू, दीदी |
| 11 | पिता की बड़ी बहन का पति | 21–6 | फूफा | ममा |
| 12 | पिता का पिता | 21–1 | दादा | डोकरा बबा |
| 13 | पिता की माता | 21–2 | दादी | डोकरी दाई |
| 14 | माता के पिता | 21–15 | नाना | आजा |
| 15 | माता की माता | 21–16 | नानी | आजी |
| 16 | माता की भाई | 21–9 | मामा | ममा |
| 17 | माता के भाई की पत्नी | 21–10 | मामी | मामी |
| 18 | माता की बहन | 21–11 | मौसी | मोसी |
| 19 | माता की बहन का पति | 21–12 | मौसा | मोसा |
| 20 | पत्नी | 21–22 | पत्नी/डौकी | नाम से |
| 21 | पत्नी के पिता | 21–25 | ससूर | ममा |
| 22 | पत्नी की माता | 21–26 | सास | दीदी |
| 23 | पत्नी की बहन | 21–23 | साला | सारा |
| 24 | पत्नी का भाई | 21–24 | साली | सारी |
| 25 | बड़े भाई की पत्नी | 21–17 | भाभी | भौजी |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | बड़े भाई के पुत्र–पुत्री | 21–31, 32 | भतीजा / भतीजी | नाम से |
| 27 | बड़ी बहन का पति | 21–20 | जीजा | भाटो |
| 28 | बड़ी बहन के पुत्र–पुत्री | 21–33, 34 | भांजा / भांजी | भांचा / भाची |
| 29 | छोटे भाई की पत्नी | 21–28 | बहू | भाई बहु |
| 30 | छोटी बहन का पति | 21–30 | बहनोई | नाम से |
| 31 | स्वयं का बड़ा पुत्र | 21–35 | ज्येष्ठ पुत्र | नाम से |
| 32 | स्वयं के बड़े पुत्र की पत्नी | 21–36 | बहू | बड़े बहू |
| 33 | बड़े पुत्र के पुत्र एवं पुत्री | 21–45, 46 | पोता, पोती | नाती / नातीन |
| 34 | स्वयं की बड़ी पुत्री | 21–37 | बेटी | नाम से |
| 35 | बड़ी पुत्री का पति | 21–38 | दामाद | नाम से |
| 36 | बड़ी पुत्री के पुत्र एवं पुत्री | 21–47, 48 | बेटी नाती / नातीन | नाती / नातीन |
| 37 | पुत्र / पुत्री की सास | 21–44, 40 | समधीन / बहिन | माता द्वारा समधीन / पिता द्वारा बहिन या दीदी |
| 38 | पुत्र / पुत्री के ससूर | 21–43, 39 | समधी / भईया | पिता द्वारा समधी / माता द्वारा भईया |

**परिवार का आकार :-**

सर्वेक्षित कंडरा जनजाति के परिवार का आकार निम्नांकित है।

**तालिका क्रमांक - 20**

| क्र. | सदस्य संख्या | परिवार | |
|---|---|---|---|
| | | संख्या | प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 से कम | 04 | 03.87 |
| 2 | 2–4 | 86 | 82.68 |
| 3 | 5–6 | 08 | 07.69 |
| 4 | 7–8 | 05 | 04.80 |
| 5 | 8 से अधिक | 01 | 00.96 |
| | योग - | 104 | 100.00 |

उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित कंडरा परिवारों में सर्वाधिक 82.68 प्रतिशत परिवारों में 02 से 04 सदस्य पाया गया तथा न्यूनतम 03.87 प्रतिशत परिवारों में 02 से कम सदस्य हैं।

**पारिवारिक संबंध :-**

कंडरा जनजाति में परिवार के सदस्यों के मध्य निम्नानुसार पारंपरिक संबंध पाया जाता है :–

**(1) माता-पिता**

कंडरा परिवार में माता–पिता बच्चों के जन्म के पश्चात् उनके पालन–पोषण प्रेम पूर्वक करते हैं। किशोरावस्था तक बांस से वस्तुएं निर्माण करना, कृषि कार्य, मजदूरी आदि आर्थिक कार्य सिखाते हैं। युवावस्था में उनका विवाह करते हैं। बाल्यावस्था में माता–पिता बच्चों को शिक्षा हेतु स्कूल भेजने के साथ–साथ घरेलू एवं आर्थिक कार्यों में साथ रखते हैं, जिससे किशोरावस्था तक कन्या गृह, कृषि एवं बांस बर्तन आदि कार्यों में निपुण हो जाती है। बच्चे माता–पिता को आदर देते हैं। बचपन की अपेक्षा जवान होने पर प्रेम व आदर की भावना बढ़ती है किन्तु वात्सल्य व ममता कम हो जाता है।

**(2) पति-पत्नी**

पति–पत्नी के बीच मधुर व प्रेमपूर्ण संबंध पाया जाता है। घर के जिम्मेदारियों का निर्वहन पति–पत्नी मिलकर करते हैं। पत्नी भोजन बनाने का कार्य करती है व बच्चों की देखभाल के अतिरिक्त पति के साथ कार्यों में हाथ बंटाती है। पति प्रातः 8 बजे से अपने बांस कार्य में लग जाते हैं। पत्नी घर के दैनिक कार्यों के उपरान्त बांस से वस्तुएं निर्माण करने के कार्य में लग जाती है। पति–पत्नी के बीच कभी–कभी झगड़ा भी होता है। वैसे आम तौर पर उनके बीच प्रेम भाव रहता है।

**(3) माता-पुत्र**

माता का पुत्र के प्रति व्यवहार वात्सल्य पूर्ण होता है। बड़े होने पर पुत्र माता का बहुत आदर करता है। पिता की अपेक्षा अपने मन की बात माता से अधिक सरलता पूर्वक करता है। विवाह उपरान्त माता–पुत्र का संबंध स्नेहपूर्ण हो जाता है।

**(4) माता-पुत्री**

माता–पुत्री में सम्मान व मित्रता का व्यवहार होता है। वे आपस में अपनी बातों को एक–दूसरे को बताती है। माता–पुत्री का किशोरी उम्र में सभी कार्य सिखाती है, जैसे– घर की साफ–सफाई, बर्तन साफ करना, पानी भरना, खाना बनाना आदि। इसके साथ ही अपने परंपरागत व्यवसाय बांस से वस्तुएं निर्माण करने का कार्य सिखाती है। माता–पुत्री का संबंध अधिक स्नेहपूर्ण होता है।

**(5) पिता-पुत्र**

पिता–पुत्र का संबंध स्नेहपूर्ण होता है। पिता–पुत्र को सभी आर्थिक कार्य सिखाते हैं। पुत्र बड़ा होकर पिता के प्रति सम्मान का व्यवहार करता है। पिता–पुत्र को भावी उत्तराधिकारी के रूप में आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक कार्यों हेतु प्रशिक्षित करता है। पिता वृद्ध होने पर अपनी जिम्मेदारी बाद में पुत्र को सौंप देता है व उस पर आश्रित हो जाता है।

**(6) पिता-पुत्री**

पिता–पुत्री का संबंध अधिक स्नेह पूर्ण होता है। पिता यह जानता है कि पुत्री बड़ी होकर, एक दिन ससुराल चली जायेगी। अतः पुत्र के अपेक्षा पुत्री को अधिक लाड़–प्यार करता है। पुत्री भी पिता को बहुत इज्जत करती है।

**(7) भाई-भाई**

दो भाइयों के बीच मित्रवत व्यवहार होता है। छोटा भाई, बड़ा भाई के प्रति आदर की भावना रखता है। छोटा भाई से बड़ा भाई अधिक स्नेह रखता है। भाइयों द्वारा परस्पर परिवार के आर्थिक सामाजिक, धार्मिक कार्यों को सहयोग पूर्ण ढंग से पूर्ण करते हैं।

**(8) बहन-बहन**

बहन–बहन का संबंध आपस में प्रेमपूर्ण होता है। बड़ी बहन, छोटी बहन को कार्य सिखाती है। बचपन में दोनों लड़ते भी हैं किन्तु बड़े होने पर अत्यंत प्रेम, स्नेहपूर्ण संबंध होता है।

**(9) भाई-बहन**

भाई–बहन का संबंध प्रेमपूर्ण होता है। बड़ा भाई, बड़ी बहन, छोटे भाई–बहनों को घरेलू कार्य सिखाती है तथा माता–पिता के आर्थिक कार्य में व्यस्त होने के कारण उनकी देखभाल एवं घर की देखरेख करता है।

**(10) सास-बहू**

प्रारंभ में सास–बहू के बीच मधुर संबंध होते हैं। कुछ परिवारों में दोनों का संबंध अच्छा नहीं होता है। प्रारंभ में सास की बात बहू मानती है किन्तु बाद में आज्ञा का उल्लंघन करने लगती है। सास–बहू से अधिक अपेक्षाएं रखती है और अपेक्षाओं के पूरा न होने या अवहेलना होने पर आपसी विवाद का स्थिति भी निर्मित होने लगती है।

**(11) देवर-भाभी**

देवर–भाभी (भौजी) के बीच मधुर व स्नेहपूर्ण संबंध होता है। वे आपस में एक–दूसरे से हंसी–मजाक भी करते हैं। भाभी, देवर को ''बाबू'' कहकर संबोधन करती है। देवर के विवाह उपरान्त कहीं–कहीं देवर–भाभी के संबंधों में कटुता आने लगती है।

**(12) ननंद-भौजाई**

ननंद–भौजाई का संबंध प्रायः स्नेह का होता है। छोटी ननंद द्वारा ही भाभी की आवश्यकताओं की जानकारी ससुर को होती है। ननंद के विवाह उपरान्त संबंध और भी मधुर हो जाता है। कुछ परिवारों में जहाँ ननंद–भौजाई लगभग समान उम्र के होते हैं, वहाँ कार्य को लेकर तनाव भी होता है

**(13) देवरानी-जेठानी**

देवरानी–जेठानी का संबंध अधिकांशतः अच्छा नहीं होता है। देवरानी के आने पर दोनों के बीच अपने–अपने अधिकार व हक की भावना आ जाती है। संस्कार भी दोनों का भिन्न होता है। दोनों के बच्चों के

आपस में लड़ने से दोनों भी लड़ जाते हैं। कहा जाता है कि भाइयों में बंटवारा देवरानी–जेठानी के मन–मुटाव के बाद प्रारंभ होता है।

**अंतर्जातीय संबंध :-**

कंडरा जनजाति ग्राम के अन्य जाति, जनजाति जैसे गोंड, कंवर, बिंझवार, ब्राम्हण, क्षत्रिय, बनिया, रावत, गांडा, धोबी, कुम्हार, लोहार, नाई, तेली, केंवट आदि के साथ निवास करती हैं इनमें आपस में परिवारिक संबध की तरह मजबूत ग्रामीण संबंध पाया जाता है। सभी आपस में पारिवारिक संबंध की तरह एक–दूसरे जाति के सदस्यों को कका–काकी, भैय्या–भाभी, भतीजा, बबा आदि संबोधनों से संबोधित करते हैं। गांव में अन्य जाति के पड़ोसी भी संकट, बीमारी, मृत्य, विवाह के अवसर में जल्दी आ जाते हैं। दूसरे गांव में रहने वाले रिश्तेदार बाद में आते हैं। अतः एक तरह से ग्रामवासी अपने सुख–दुख के साथी होते हैं।

कंडरा जनजाति अन्य जातियों से जैसे–यादव जाति की सेवा गाय–बैल चराने के लिए, लोहार जाति की सेवा लोहे की वस्तु बनवाने, माहरा या गांडा जाति के कोटवार की सेवा सुरक्षा हेतु, नाई की सेवा बाल कांटने में तथा कुम्हार की सेवा मिट्टी की बर्तन प्राप्त करने में ली जाती है। कंडरा जनजाति ब्राम्हण, क्षत्रिय, बनिया, तेली के घरों में जाकर, समय–समय पर मजदूरी कार्य भी करते हैं। कंडरा जनजाति कृषि कार्य में संलग्न ग्रामीणों को बांस से बने वस्तुएं उपलब्ध कराकर आर्थिक एवं व्यावसायिक उद्देश्यों के साथ–साथ सामाजिक अंतः संबंध मे भी अपनी योगदान देते हैं।

**मित/मितान संबंध :-**

कंडरा समुदाय वर्तमान परिवेश में ग्रामों में निवासरत अन्य जातियों से निकटतम व पारंपरिक सहयोग को बढ़ावा देने, अन्तर्जातीय संबंध दर्शाने वाले मित/मितान संबंध पाया जाता है। ऐसे संबंध समान लिंग आयु के दो सदस्य अपनी आपसी संबंध को अधिक घनिष्ठ एवं प्रगाढ़ बनाने के उद्देश्य से मित/मितान संबंध बनाते हैं। ग्राम देव या ग्राम देवी के सम्मुख पान–सुपाड़ी, धूप अर्पित कर, नारियल की अदला–बदली कर, मित/मितान संबंध स्थापित किया जाता है, जो किसी भी जाति, जनजाति के सदस्यों से संबंधित हो सकता है। ये एक–दूसरे के सुख–दुख में पारिवारिक स्तर पर अपना योगदान देते हैं।

समान उम्र के लड़के या समान उम्र के लड़कियों को आपस में देवी–देवताओं के समक्ष महाप्रसाद, गंगाजल, तुलसीजल, गंगाबारू (गंगा की रेत), भोजली, जंवारा, नारियल फूल, दावना, पना, सहनाव आदि बधवाते हैं। मित–मितान बधने के अवसर पर दोनों बच्चे आपस में उपस्थित सदस्यों के समक्ष एक–दूसरे को मित–मितान के प्रतीक महाप्रसाद खिलाते हैं या गंगाजल पिलाते हैं या कानों में जंवारा, भोजली, तुलसी के पत्ते या पना खोंचते हैं तथा उपस्थित लोगों में नारियल का प्रसाद बांटा जाता है। दोनों मितान उस दिन से मित्रवत व्यवहार करते हैं। आामने–सामने होने पर एक–दूसरे का अभिवादन करते हैं।

**स्त्रियों की स्थिति :-**

कंडरा जनजाति में पितृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है। स्वाभाविक रूप से परिवार का मुखिया पुरूष होता है किन्तु अर्थोपार्जन सहित अन्य कार्यो में पुरूषों के साथ स्त्रियों का भी सहयोग रहता है।

❑❑❑❑

# अध्याय-5 शैक्षणिक स्थिति

शिक्षा मानव समाज के विकास की प्रथम सीढ़ी है क्योंकि शिक्षा ही मानव या मानव समुदाय की प्रगति के लिए नये मार्ग का सृजन करती है। शिक्षा से ही मानव के विचारों का दायरा विस्तृत होता है और जीवन उद्देश्य की सार्थकता सिद्ध होती है। किसी भी समाज में चाहे वह जनजातीय समाज हो या गैर जनजातीय समाज पुरूषों के साथ–साथ महिलाओं का शिक्षित होना नितांत आवश्यक होता है क्योंकि महिलाएं जो परिवार के अंदर केन्द्र बिन्दु में रहकर अपनी भूमिका का निर्वहन करती है।

छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य समुदायों की तुलना में जनजातीय समुदायों का शैक्षणिक स्तर विशेषकर महिलाओं की पुरूषों की तुलना में कम है। सर्वेक्षित कंडरा समुदाय में सर्वेक्षण के दौरान उनकी शैक्षणिक स्थिति का भी अध्ययन किया गया, जिसमें शैक्षणिक स्थिति निम्नानुसार पायी गई :–

**1. साक्षरता :-**

**तालिका क्रमांक - 21 साक्षरता की स्थिति**

| क्र. | श्रेणी | पुरूष | | महिला | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | साक्षर | 170 | 86.73 | 115 | 69.70 | 285 | 78.95 |
| 2 | निरक्षर | 26 | 13.27 | 50 | 30.30 | 76 | 21.09 |
| योग | | 196 | 100.00 | 165 | 100.00 | 361 | 100.00 |

सर्वेक्षित 104 कंडरा परिवारों की कुल जनसंख्या में से 0–5 वर्ष की उम्र समूह की जनसंख्या को छोड़कर 78.95 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर पाये गये, जिसमें 86.73 प्रतिशत पुरूष साक्षर हैं, इनकी तुलना में महिलाओं की साक्षरता 69.70 प्रतिशत पायी गई। 21.09 प्रतिशत निरक्षर व्यक्तियों में महिला निरक्षरता 30.30 प्रतिशत एवं पुरूष निरक्षरता 13.27 प्रतिशत पायी गई।

**2. शिक्षा का स्तर :-**

सर्वेक्षित कंडरा समुदाय की शैक्षणिक स्थिति में शिक्षा का स्तर निम्नलिखित तालिका में दर्शाये अनुसार पाया गया :–

**तालिका क्रमांक - 22 शैक्षणिक स्तर**

| क्र. | शिक्षा का स्तर | साक्षर व्यक्ति | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | | महिला | | योग | |
| | | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | केवल साक्षर | 13 | 6.95 | 08 | 05.97 | 21 | 06.54 |
| 2 | आंगनबाड़ी | 17 | 9.09 | 19 | 14.18 | 36 | 11.22 |
| 3 | प्राथमिक शाला | 34 | 18.18 | 28 | 20.90 | 62 | 19.32 |
| 4 | पूर्व माध्यमिक शाला | 53 | 28.36 | 30 | 22.39 | 83 | 25.86 |
| 5 | हाई स्कूल | 31 | 16.58 | 15 | 11.19 | 46 | 14.33 |
| 6 | हायर से. स्कूल | 26 | 13.90 | 14 | 10.44 | 40 | 12.46 |
| 7 | स्नातक | 09 | 04.81 | 07 | 05.22 | 16 | 04.98 |
| 8 | स्नातकोत्तर | 03 | 01.60 | 12 | 8.95 | 15 | 04.67 |
| 9 | तकनीकी या अन्य | 01 | 0.53 | 01 | 0.75 | 02 | 0.62 |
| **योग-** | | **187** | **100.00** | **134** | **100.00** | **321** | **100.00** |

उपरोक्त तालिका के आधार पर सर्वेक्षित कंडरा परिवारों में सर्वाधिक 25.86 प्रतिशत व्यक्तियों ने माध्यमिक स्तर, 19.32 प्रतिशत व्यक्तियों ने प्राथमिक स्तर, 14.33 प्रतिशत व्यक्तियों ने हाई स्कूल स्तर, 12.46 प्रतिशत व्यक्तियों ने हायर सेकेण्डरी स्कूल तक शिक्षा अर्जित की है। स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या क्रमशः 04.98 प्रतिशत एवं 00.62 प्रतिशत पायी गई। तकनीकी या अन्य शिक्षा प्राप्त करने वालों का प्रतिशत 1.15 पाया गया।

उक्त तालिका में आंगनबाड़ी के बच्चों एवं केवल साक्षर व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि आंगनबाड़ी स्तर में 11.21 प्रतिशत बच्चों द्वारा शिक्षा अर्जित की जा रही है। वही 06.54 प्रतिशत व्यक्ति केवल साक्षर है, जिसमें महिला साक्षरों की संख्या 05.97 प्रतिशत एवं पुरूषों की संख्या 06.95 प्रतिशत है।

**3. शैक्षणिक स्थिति :-**

**तालिका क्रमांक - 23 शैक्षणिक स्थिति**

| क्र. | शैक्षणिक स्थित | साक्षर व्यक्ति | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | | महिला | | योग | |
| | | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | अध्ययन जारी | 61 | 31.12 | 30 | 18.18 | 91 | 25.20 |
| 2 | अध्ययन समाप्त | 109 | 55.62 | 85 | 51.52 | 194 | 53.74 |
| 3 | निरक्षर | 26 | 13.26 | 50 | 30.30 | 76 | 20.06 |
| | **योग :-** | **196** | **100.00** | **165** | **100.00** | **361** | **100.00** |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 0–5 वर्ष के उम्र समूह की जनसंख्या को छोड़कर कुल जनसंख्या में से 53.74 प्रतिशत व्यक्तियों ने किसी न किसी स्तर की शिक्षा प्राप्त कर अध्ययन समाप्त कर दिया है, वहीं 25.20 प्रतिशत व्यक्तियों का ही अध्ययन वर्तमान में जारी है जिसमें पुरूषों की संख्या (31.12 प्रतिशत) की तुलना में महिलाओं की संख्या (18.18 प्रतिशत) अपेक्षाकृत कम दिखाई देती है। इसके अलावा 20.05 प्रतिशत व्यक्ति निरक्षर पाये गये, जिनमें महिलाओं की संख्या (30.30 प्रतिशत) पुरूषों की संख्या (13.26 प्रतिशत) की तुलना में बहुत अधिक है।

**4. शालागामी उम्र (6-14 वर्ष) की साक्षरता :-**

**तालिका क्रमांक - 24 शालागामी उम्र (6-14 वर्ष) की साक्षरता**

| क्र. | साक्षरता | व्यक्ति (6-14 समूह) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | | महिला | | योग | |
| | | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | साक्षर | 61 | 96.83 | 30 | 96.77 | 91 | 96.81 |
| 2 | निरक्षर | 02 | 3.17 | 01 | 3.22 | 03 | 03.19 |
| योग | | 63 | 100.00 | 31 | 100.00 | 94 | 100.00 |

तालिका से स्पष्ट है कि कंडरा समुदाय में शालागामी उम्र (6–14 वर्ष) में कुल साक्षरता 96.81 प्रतिशत पायी गई, जिसमें पुरूष साक्षरता 96.83 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता 96.77 प्रतिशत पायी गई, जो इस उम्र समूहों के पुरूषों की तुलना में कम है जबकि 03.19 प्रतिशत व्यक्ति 5–14 वर्ष की उम्र समूह में निरक्षर पाये गये जिसमें पुरूष निरक्षरता 03.17 प्रतिशत एवं महिला निरक्षरता 03.22 प्रतिशत है जो पुरूष निरक्षरता प्रतिशत की तुलना में अधिक है।

❑❑❑❑

# अध्याय-6 जीवन चक्र

सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सभी समुदाय जन्म, विवाह एवं मृत्यु संस्कार निश्चित नियम अंतर्गत पूर्ण करते हैं, इन्हें जीवन संस्कार के नाम से जाना जाता है। कंडरा जनजाति में जन्म संस्कार, विवाह संस्कार एवं मृत्यु संस्कार का विवरण निम्नांकित है :–

**(1) जन्म संस्कार :-**

कंडरा जनजाति में जन्म संस्कार की जानकारी हेतु शिशु के जन्म या जन्म संस्कार को समझने के लिए निम्न बिन्दुओं का चरणबद्ध उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

**ऋतुकाल :-**

कंडरा समाज में बालिका को घरेलू काम–काज संभालने योग्य होने व प्रथम मासिक धर्म आने पर उसे विवाह योग्य समझा जाता है। प्रथम मासिक काल में प्रक्रिया से अनभिज्ञ किशोरी कन्या अपने घर के बुजुर्ग महिला या अपनी माता को इस बात से अवगत कराती है कि कोई प्राकृतिक घटना घटी है। उसे बुजुर्ग महिलाओं या स्वयं के माता के द्वारा समझाया जाता है कि यह नारी जीवन की एक स्वाभाविक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तीन से पांच दिनों तक रजस्त्राव जारी रहता है। मासिक धर्म के दौरान किशोरी एवं महिला को रसोई कक्ष, देवी–देवताओं के स्थान ''देवता कुरिया'' में प्रवेश करने, भोजन बनाने, पानी भरने के लिए निषेध होता है। पांचवा दिन या रजस्त्राव पूर्णतः बंद होने के अगले दिन केश को मिट्‌टी या साबुन से धोकर स्नान करती है तब उस दिन किशोरी या महिला को शुद्ध मानी जाती है।

**गर्भावस्था :-**

कंडरा जनजाति के लोग किसी विवाहित महिला के मासिक चक्र रूकने से उसे गर्भावस्था या गर्भ के ठहरने का सूचक मानते है साथ ही गर्भ ठहरने पर उक्त महिला को उल्टियां भी आने लगती है। गर्भवती महिला सामान्यतः 3–4 माह तक सामान्य रूप से दैनिक कार्यों का निर्वहन करती रहती है किन्तु पेड़ों पर चढ़ना, अधिक वजन उठाना वर्जित कर दिया जाता है साथ ही गर्भवती महिला को ग्रहण के समय निकलने नहीं दिया जाता, ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के प्रभाव से गर्भस्थ शिशु में अपंगता आ जाती है। गर्भावस्था के सातवें महिना स्त्री के मायके से उसकी माँ, चाची, भाभी एवं अन्य रिश्तेदार आते हैं। सात प्रकार के पकवान यथा तसमई (एक पकवान का नाम) अरसा, सोहारी (पुड़ी), खीर आदि खिलाकर तथा लुगरा, पोलखा (ब्लाउज) आदि वस्त्र उपहार में देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ''सधौरी'' खिलाना कहते हैं।

संतान प्राप्त होना भगवान का देन मानती है। यदि किसी स्त्री के विवाह के 4–5 वर्ष बाद तक संतान नहीं होती है, तो व्रत, पूजा आदि करती हैं। अपने देवी–देवताओं को मनौती करने, अपने गांव के कंडरा बैगा या अन्य जनजाति के बैगा की सलाह ली जाती है।

**प्रसव :-**

प्रथानुसार प्रसव पति के घर में होता है। मकान के एक कमरे में जहाँ, देवी–देवता स्थापित न हो प्रसव कार्य कराया जाता है। प्रसव कार्य की जानकार महिला जिसे ''सुईन'' कहते हैं, उसके सहयोग से कराया

जाता है। इस कार्य में समाज की अन्य महिलाएं भी सहयोग करती हैं। प्रसव का समय ज्ञात करने के लिए इनमें गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने पर दीवार से सटाकर खड़े किया जाता है और उसके पेट पर तेल उड़ेलकर यह देखा जाता है कि तेल का बहाव कैसा है। यदि तेल सीधा उतरे तो प्रसव का समय निकट माना जाता है। कभी कभी प्रसव में कठिनाई भी होने लगती है, इस स्थिति में परिवार के मुखिया द्वारा अपने देवी–देवताओं का पूजा कर विनती किया जाता है इससे भी प्रसव कार्य न हो तो बैगा( झाड़–फूक करने वाला व्यक्ति) को बुलाया जाता है। यहां देवी–देवताओं की मनौती करने के साथ–साथ जादू–टोना, भूत–प्रेत की बाधा मानकर मंत्र आदि के द्वारा उक्त स्थान व गर्भवती महिला को बुरी बाधाओं से बचाने बंधन करता है। यद्यपि वर्तमान में स्थानीय चिकित्सालय में प्रसव कार्य कराया जाने लगा है। घर में प्रसव हो जाने पर सुईन गुनगुना पानी से शिशु को साफ करती है। पूर्व में शिशु के नाल कांटने के लिए बांस की पतली कमची का उपयोग किया जाता था, वर्तमान में नई ब्लेड से नाल को कांटा जाता है। शिशु के नाल को बाड़ी या आंगन में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है। प्रसूता महिला को कुछ दिनों तक अंजवायन को गुड़ में मिलाकर खिलाया जाता है। प्रसव के तीसरे दिन प्रसूता को मड़िया पेज (मड़िया नामक मोटे अनाज को पानी में उबालकर मडिया को पानी से अलग करने के बाद प्राप्त पानी) आदि पीने के लिए दिया जाता है। पांचवें–छटवें दिने से भोजन के रूप में दाल–भात, बड़ी, मुनगा, हिरवा, कुल्थी की सब्जी खाने को दिया जाता है। जब शिशु का नाल सुखकर गिर जाता है (प्रायः 05 या 06 दिनों के बाद) तब ''छट्ठी'' नामक जन्म संस्कार किया जाता है। इस दिन घर की दीवालों व फर्श की पुताई व लिपाई करते हैं। घर के कपड़ों को परिवार या धोबी जाति की महिला के द्वारा धुलवाया जाता है, इसमें शिशु के बाल का मुंडन कराया जाता है। शिशु के कटे बाल को उसकी बुआ अपने आंचल में लेकर नदी या तालाब में विसर्जित कर देती हैं। प्रसूता महिला व शिशु को नहलाकर नये कपड़े पहनाये जाते हैं। प्रसूता महिला को गुड़, तिली से बना दवाई जिसे ''कांके पानी'' कहा जाता है, इस कांके पानी को प्रसूता को पिलाया जाता है।

छठी में पुरूष सगा, समाज एवं रिश्तेदार दाढ़ी बनवाते हैं। मायके पक्ष द्वारा शिशु के लिए कपड़ा व रूपये एवं शिशु के माँ के लिए साड़ी भेंट करते हैं। शिशु के लिए अपने देवी–देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। शिशु का नामकरण समाज एवं परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति या बुआ–फूफा द्वारा किया जाता है। शिशु का नाम प्रायः दिन, माह के आधार पर रखा जाता है। वर्तमान परम्परा में आधुनिक नाम रखे जाने लगे हैं। इस दिन बच्चे के कमर में रेशम की करधन (डोरी), दोनों हाथों में सफेद चूड़ी पहनाया जाता है। शिशु के जन्म के 12वें दिन ''बरही'' नामक कार्यक्रम किया जाता है। इस दिन सुईन द्वारा नवजात शिशु एवं प्रसूता को तेल, हल्दी का लेप लगाकर नहलाया जाता है। मुखिया द्वारा हल्दी–पानी छिड़क कर शुद्धीकरण का कार्य किया जाता है। इस दिन प्रसूता महिला, शिशु व उसके घर को पूर्ण रूप से शुद्ध माना जाता है। धोबी व नाई को उनके द्वारा जन्म संस्कार में किये गये सेवा के बदले पैसा दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत कंडरा परिवार जिनके पास कृषि भूमि है, वे नाई एवं सुईन को धान व पैसा तथा उपहार स्वरूप कुछ कपड़े देते हैं।

**बाल्यावस्था :-**

बच्चा धीरे–धीरे बड़ा होने लगता है। 05–06 माह बाद कोई अच्छा दिन देखकर उस दिन खीर बनाकर उसे एक नये कटोरी में लेकर बच्चे को खिलाया जाता है, इसे ''मुंह जुठारना'' कहते हैं। इसके बाद

बच्चे को चांवल, दाल, बिस्कट आदि थोड़ी—थोड़ी मात्रा में खिलाना प्रारंभ करते हैं। बच्चे के 06 माह होने के बाद बच्चे की माँ कार्य हेतु खेत, जंगल आदि जाने लगती हैं। बच्चे को उनके दादा—दादी, बड़े भाई—बहन आदि देख—रेख में सहयोग करते हैं। 09—10 वर्ष की उम्र होने पर लड़कियां माँ के साथ घर कार्य सीखना प्रारंभ कर देते हैं। लड़के जानवरों को पानी पिलाना, घास, चारा देना, बैल धोना आदि कार्य करने लगते हैं। कंडरा जाति की लड़कियां 12—13 वर्ष के उम्र में गृह कार्य व कृषि के कार्य व बांस से वस्तुएं निर्माण कार्य में दक्ष हो जाती हैं। लड़के 12—13 वर्ष के उम्र में हल चलाना एवं बांस से वस्तुएं निर्माण करना आदि सीखने लगते हैं।

**युवावस्था :-**

18—19 वर्ष की आयु तक युवक मजदूरी, कृषि, बांस से वस्तुएं बनाने में तथा युवतियां भोजन बनाने, पानी भरने, गृह कार्य, कृषि कार्य, बांस कार्य में निपुण हो जाते हैं। इस उम्र मे उन्हें विवाह योग्य मान लिया जाता है।

**विवाह संस्कार :-**

कंडरा जनजाति में जीवन चक्र का दूसरा महत्वपूर्ण संस्कार "विवाह संस्कार" है जहां से नवविवाहित युगल पारिवारिक क्रियाकलापों को प्रारंभ करते हैं। यह समुदाय गोत्र बहिर्विवाही समुदाय है अर्थात ये अपने गोत्र के बाहर अन्य गोत्र से विवाह संबंध बनाते हैं समगोत्रीय विवाह इनमें निषेध होता है ऐसी मान्यता है कि एक ही गोत्र के लड़का—लड़कियां आपस में एक ही पूर्वज के संतान अर्थात भाई—बहन मानते हैं।

इस समुदाय में विवाह प्रायः फागुन माह की रामनवमीं से शुरू होकर बैशाख माह तक की अवधि तक संपन्न कराये जाते हैं।

इस समुदाय में विवाह हेतु पहल लड़के पक्ष के मुखिया द्वारा की जाती है। लड़के / लड़कियों के विवाह के लिए मामा—फुफू के परिवार को प्राथमिकता दी जाती है। सर्वेक्षित कंडरा परिवारों में वैवाहिक स्थिति निम्नानुसार पायी गई :—

**तालिका क्रमांक - 25 वैवाहिक स्थिति**

| क्र. | श्रेणी | सदस्य संख्या | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | | महिला | | योग | |
| | | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | अविवाहित | 105 | 49.30 | 66 | 35.86 | 171 | 43.07 |
| 2 | विवाहित | 102 | 47.89 | 110 | 59.78 | 212 | 53.40 |
| 3 | विधवा / विधुर / परित्यकता | 06 | 02.81 | 08 | 04.34 | 014 | 03.53 |
| योग | | 213 | 100.00 | 184 | 100.00 | 397 | 100.00 |

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि कुल सर्वेक्षित जनसंख्या में से 43.07 प्रतिशत जनसंख्या अविवाहित हैं। 53.40 प्रतिशत व्यक्ति विवाहित एवं 03.53 प्रतिशत व्यक्ति विधवा–विधुर या परित्यक्ता की श्रेणी में पाये गये।

**1. विवाह आयु :-**

कंडरा जनजाति में बालक–बालिकाओं के विवाह अपने दैनिक कार्यों में निपुण हो जाने तथा एक निश्चित आयु (युवावस्था) आने पर संपन्न करा दिये जाते हैं। पूर्व में इनमें लड़कों का विवाह लगभग 16–21 वर्ष व बालिकाओं का विवाह 15–18 वर्षों के मध्य संपन्न करा दिया जाता था। वर्तमान में शासन द्वारा निर्धारित आयु पूर्ण करने के पश्चात् ही विवाह कराये जाते हैं। सर्वेक्षित कंडरा जनजाति के परिवारों में विवाहित सदस्यों की विवाह उम्र निम्नानुसार पायी गई :–

**तालिका क्रमांक - 26 विवाह उम्र**

| क्र. | विवाह उम्र (वर्षो में) | विवाहित सदस्य | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पुरूष | | महिला | | योग | |
| | | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 13–15 | 02 | 1.96 | 08 | 7.27 | 10 | 4.72 |
| 2 | 16–18 | 14 | 13.73 | 22 | 20.00 | 36 | 16.98 |
| 3 | 19–21 | 38 | 37.25 | 58 | 52.73 | 96 | 45.28 |
| 4 | 21 से अधिक | 48 | 47.06 | 22 | 20.00 | 70 | 33.02 |
| योग | | 102 | 100.00 | 110 | 100.00 | 212 | 100.00 |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कंडरा जनजाति में सर्वाधिक 45.28 प्रतिशत बालक–बालिकाओं के विवाह 19–21 वर्ष में संपन्न हुये हैं। सर्वाधिक 52.73 प्रतिशत लड़कियों के विवाह 19–21 वर्ष के उम्र समूह में होना पाया गया। वही सर्वाधिक 47.06 प्रतिशत पुरूषों का विवाह 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र में संपन्न होना पाया गया। केवल 1.96 प्रतिशत पुरूषों एवं 7.27 प्रतिशत स्त्रियों का विवाह 13–15 वर्ष के आयु समूह में होना पाया गया।

**वैवाहिक दूरी :-**

किसी भी समुदाय का संकेन्द्रण क्षेत्र विशेष में एक निश्चित भाग या खण्ड में होता हैं। धीरे–धीरे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इनका फैलाव होता जाता है। कंडरा जनजाति की अधिकतर जनसंख्या भी एक विशेष क्षेत्र में है किन्तु वर्तमान में इनका फैलाव एक से अधिक क्षेत्र में पाया जाता है। अतः विवाह आस–पास एवं अन्य जिलों में करते हैं, जिससे आवागमन में सुविधा हो तथा सुख–दुख में आसानी से शामिल हो सके। सर्वेक्षित कंडरा परिवारों में विवाह स्थान की दूरी निम्नानुसार पायी गई :–

**तालिका क्रमांक - 27 वैवाहिक दूरी**

| क्र. | वैवाहिक दूरी | पुरूष | | महिला | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 कि.मी. से कम | 10 | 9.26 | 09 | 7.63 | 19 | 8.41 |
| 2 | 1—10 | 05 | 4.63 | 05 | 4.23 | 10 | 4.42 |
| 3 | 11—20 | 01 | 0.92 | 02 | 1.69 | 03 | 1.33 |
| 4 | 21—30 | 25 | 23.15 | 29 | 24.58 | 54 | 23.89 |
| 5 | 31—40 | 28 | 25.92 | 27 | 27.00 | 55 | 24.34 |
| 6 | 41—50 | 17 | 15.74 | 15 | 12.71 | 32 | 14.16 |
| 7 | 50 से अधिक | 22 | 20.37 | 31 | 26.27 | 53 | 23.45 |
| योग | | 108 | 100.00 | 118 | 100.00 | 226 | 100.00 |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित कंडरा जनजाति के विवाहित सदस्यों में सर्वाधिक 24.34 प्रतिशत सदस्यों का विवाह 31—40 कि.मी. की दूरी में संपन्न हुये। तत्पश्चात् 23.89 प्रतिशत सदस्यों का विवाह 21—30 कि.मी. की दूरी में, 23.45 प्रतिशत सदस्यों का विवाह 50 कि.मी. से अधिक दूरी में, 8.41 प्रतिशत परिवारों के उसी ग्राम में ही वैवाहिक संबंध पाये गये। 1.33 प्रतिशत सदस्यों का वैवाहिक संबंध 11—20 कि.मी. की दूरी में होना पाया गया।

**विवाह संस्कार की विधियां :-**

कंडरा जनजाति में विवाह हेतु कन्या की तलाश लड़के के पिता, चाचा, बड़े भाई, सगे—संबंधियों एवं लड़के अपने मित्रों के साथ करते हैं। लड़की के गांव पहुंचकर किसी सामाजिक सदस्य, रिश्तेदार या स्वजातीय बंधु के घर जाकर, लड़की के पिता के घर में संदेश भिजवाते हैं कि आपकी लड़की को देखने हेतु सगा आ रहे हैं। लड़की के पिता द्वारा बुलाये जाने पर उसके घर जाते हैं। लड़की चाय—पानी लेकर आती है। समाज के लोगों के समक्ष दोनों पक्ष बैठकर बात करते हैं। लड़के पक्ष का गोत्र/वंश पूछा जाता है। विषम गोत्र होने पर रिश्ते की बात आगे बढ़ती है। लड़के पक्ष वालों को लड़की पसंद आने व लड़की पक्ष को लड़का पसंद आने पर लड़की पक्ष द्वारा एक भोज का आयोजन किया जाता है फिर दोनों पक्ष आपस में विचार—विमर्श कर सहमति उपरांत लड़का पक्ष लड़की के पिता से कहता है कि हमें आपकी लड़की पसंद है। कन्या के पिता भी परिवार की सहमति के बाद लड़के के घर देखने हेतु तिथि निश्चित करता है।

**घर देखई :-**

नियत तिथि पर लड़की के पिता अपने निकट के रिश्तेदारों के साथ लड़का का घर देखने जाते हैं। गांव के अन्य लोगों से जानकारी प्राप्त करते हैं। जब लड़का पसंद आ जाता है तो आगे विवाह के लिए चर्चा करने के लिए दिन तय किया जाता है। इस दिन रिश्ता तय हो जाने पर, लड़की पक्ष वालों के लिए सुविधानुसार दारू की व्यवस्था की जाती है तथा मुर्गा एवं दाल—भात खिलाया जाता है।

**सगाई (फलदान) :-**

निर्धारित तिथि को लड़का पक्ष की ओर से बहू के लिए साड़ी, ब्लाउज, चूड़ी, टिकली, फूंदरी, फीता, कंघी, आईना, पावडर, स्नो आदि श्रृंगार सामान एवं 16 या 32 नग ''सोहारी रोटी (पुड़ी)'' लेकर लड़की के घर जाते हैं।

शाम को दोनों पक्ष के पुरूष सदस्य पगड़ी बांधकर धरती माता का मंथन करके अपने आराध्य देवी–देवता, बूढ़ादेव, सूपल भगत की पूजा–पाठ करके एक–दूसरे के मांथे पर मिट्टी, गुलाल एवं पीला चांवल का टीका लगाते हैं। लड़की–लड़का से भी पूजा कराया जाता हैं। तत्पश्चात् बड़े–बुजुर्गों का पैर छुकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। फलदान में आये सभी लोग लड़की को भेंट स्वरूप रूपये धराते हैं। दोनों पक्ष समाज के बीच निछावर में रूपये देते हैं। निछावर में से मुखिया द्वारा कुछ राशि महिलाओं को दी जाती है तथा शेष राशि से मदिरा लाया जाता है, जिसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं।

कंडरा जनजाति अन्य जातियों के मध्य बसी हुई जनजाति है, जिसके कारण विवाह आदि में अपनी परंपरा के साथ दूसरी अन्य जातियों के रिवाजों का अनुसरण करती है।

**लगीन धराई :-**

यदि शादी दो–चार माह बाद या एक साल बाद करना है, तो लगीन धराई बाद में की जाती है किंतु शादी कुछ दिनों के बाद किये जाने पर सगाई के दिन ही ''लगीन धराई'' की रस्म की जाती है। सगाई (फलदान) में लड़की–लड़का का बंधन किया जाता है।

लगन के समय वर एवं कन्या पक्ष तथा बिरादरी के लोग शादी की तिथि तय करते है। ''लगीन धराई'' में लड़का पक्ष के द्वारा लड़की के पिता के घर नारियल, अगरबत्ती, चांवल ले जाते हैं। वर पक्ष लगन करके अपने घर चले जाते हैं तथा शादी की तैयारी में लग जाते हैं और परिवार के लोगों को निमंत्रण देना तथा वैवाहिक सामाग्री क्रय करना आदि प्रारंभ करते है।

**सुकधन (वधू मूल्य) :-**

कंडरा जनजाति में लड़का पक्ष की ओर से विवाह के प्रथम दिन कन्या के घर जाते हैं। इस दिन सुकधन (वधू मूल्य) के रूप में 07 साड़ी, लड्डू, पुड़ी, चांवल, आलू, तेल, हल्दी, गुड़, श्रृंगार सामान, गहने तथा नगद रूपये व चरिहा, पर्रा, बिजना, कलसा दिया जाता है।

**बिहाव (विवाह) :-**

इस समुदाय में पूर्व में विवाह 07 दिनों में सम्पन्न होता था। वर्तमान में 04 दिनों में विवाह पूर्ण कर लिया जाता है। विवाह में वर एवं कन्या के दीदी–भाटो, फूफू–फूफा का विशेष महत्व रहता है। दीदी–भाटो को ढेड़हा–ढेड़हीन तथा फूफू–फूफा को स्वासिन– स्वासा कहते हैं।

पहला दिन वर के माँ, चाची, दादी एवं अन्य रिश्तेदार महिलाएं गांव के तालाब में बाजा के साथ जाते हैं, इनके साथ ढेड़हा–ढेड़हीन भी रहते हैं। धरती माता में सुपाड़ी, चांवल, सिक्का चढ़ाकर नारियल–अगरबत्ती से पूजा करके, ढेड़हा सब्बल में लुंगी बांधने के बाद 06 बार धरती का स्पर्श करके, सातवें बार में

धरती में जोर से सब्बल चलाकर मिट्टी निकालते हैं। इस समय महिलाएं गीत गाते है जिसे चूलमाटी गीत कहते है। मिटटी को ढेड़हीन पर्रा के उपर में नये साड़ी में रखकर घर ले जाते हैं, जिसे ''चुलमाटी'' लाना कहते हैं। चुलमाटी को माँ, काकी, मामी, बुआ अपने साड़ी के आंचल में लपेटकर भी लाती हैं, जिसे मंड़वा में डालते हैं।

इस दिन विवाह मंडप छाये जाते हैं तथा विवाह मंडप में मिट्टी से एक चौकी बनाया जाता है। उक्त चौकी के पास डूमर पेड़ के लकड़ी का ''मंगरोहन'' (पुतला) रखते हैं। मंगरोहन बनाने का कार्य गांव के लोहार या बढ़ई के द्वारा किया जाता है। इस दिन रात्रि में घर के अंदर 07 कुंवारी कन्याओं के द्वारा तेल और हल्दी मिलाकर 07 बार लेप लगाया जाता है, जिसे ''कुंवारी तेल'' कहते हैं। इसके पूर्व ''भरवा काड़ी'' को तिली तेल में डुबोकर मस्तक में छुआने की रस्म पूरी की जाती है।

**तेल-हरदी :-**

दूसरे दिन दोपर में महिलायें मायन घूमने गांव के बैगा के घर जाती हैं। इनके घर 07 गांठ हरदी दिया जाता है, जिसे बैगइन पीसकर देती हैं। बैगा के घर में नारियल, दाल, चांवल देते हैं। इस दिन अपने देवी–देवता में तेल, हल्दी व मौर चढ़ाते हैं।

सबसे पहले तेल हरदी ढेड़हीन (बहिनी या फूफू) के द्वारा मंड़वा, कलसा तथा मंगरोहन में चढ़ाये जाते हैं। उसके बाद लड़का या लड़की को तेल–हरदी का लेप लगाया जाता है। उसके बाद अन्य महिलाएं तेल–हरदी का लेप लगाते हैं, जिसे ''तेल–हरदी'' चढ़ाना कहते हैं। शाम को 07 तेल चढ़ाते हैं। इस दिन उड़द दाल और चांवल को पीसकर दोना या पत्तल में रखकर मंड़वा में बांधते हैं, जिसे ''तेल मौरी'' बांधना कहते हैं।

इस दिन युवक–युवतियां एवं महिला–पुरूष रात्रि में बिहाव गीत गाकर नृत्य करते हैं। कंडरा जनजाति में विवाह में मादक पेय पदार्थ का उपयोग किया जाता है।

तीसरे दिन सुबह तेल उतारने की रस्म की जाती है। इस दिन सुबह वर को पर्रा में बैठाया जाता है तथा चादर ओढ़ाकर 07 भांवर घुमाकर 07 पुरूष एवं महिलाएं मिलकर नृत्य कराते हैं जिसे ''पर्रा झुलाना'' कहते हैं। पर्रा झुलाते समय सभी के उपर पानी उड़ेरा (गिराया) जाता है। इस दिन सभी रिश्तेदार कपड़े एवं रूपये भेंट करते हैं, जिसे ''चिकट'' धराना कहते हैं।

**बारात प्रस्थान :-**

दोपहर में दुल्हा को नये धोती–कुर्ता या पेंट–शर्ट पहनाकर छिंद पत्ते का ''माऊर'' (मुकुट) बांधकर सुसज्जित करते हैं। बारात प्रस्थान के पूर्व दुल्हा का अपने देवी–देवता का पूजा कराया जाता है तथा बारात प्रस्थान के पूर्व माँ, चाची, भाभी, मामी एवं अन्य महिला रिश्तेदार मौर सौंपते हैं। मौर सौंपने के लिए सबसे पहले माँई कलसा में दीपक जलाकर 07 भांवर पकड़ कर घूमते हैं फिर कलसा को अन्य महिला को पकड़ा कर अपने हाथों में तेल लगाकर दीपक के आंच दिखाकर दुल्हे के माऊर में स्पर्श कराते हैं, जिसे ''माऊर सोंपना'' कहते हैं। इसके बाद सभी महिलाएं क्रम से माऊर सौंपते हैं, तत्पश्चात वर के साथ अन्य लोग वधू के

गांव जाते हैं, जिसे ''बारात'' जाना कहते हैं। बारात निकलने के पूर्व दुल्हा को दूध पिलाया जाता है तथा खीर या मीठा खिलाते हैं तथा माँ, दुल्हा को चादर ओढ़ाकर अपने स्तन को 07 बार मुंह से स्पर्श कराते हैं, जिसे ''गोरस देना'' कहते हैं। बारात निकलते समय पानी भरकर आ रही पनिहारिन के भरे गगरा देखना शुभ माना जाता है, जिसमें सिक्का डालने की रस्म की जाती है।

बारात लड़की के गांव में पहुंचकर किसी पेड़ या किसी घर के आंगन में ठहरती है। लड़की पक्ष की ओर से बारातियों के लिए नाश्ता, पानी एवं शरबत की व्यवस्था की जाती है तथा बारातियों का स्वागत सत्कार किया जाता है, जिसे ''परघाना'' कहा जाता है, जिसमें दोनों पक्ष के पिता व चाचा के नातेदारों द्वारा धरती माता एवं अपने आराध्य देव की पूजा करके एक–दूसरे से गले मिला जाता है, जिसे ''समधी भेंट'' कहते हैं।

**पर्रा छुवानी एवं पैर धुलाई :-**

बारातियों को परघाकर वधू के घर के दरवाजे के पास लाया जाता है। इस समय ढेड़हा, दुल्हा को पाकर दरवाजे के समीप लाते हैं। वधू पक्ष की महिलाएं घर के बाहर दरवाजे के पास बांस के मंड़वा में पर्रा को सटाकर रखे रहते हैं। दुल्हा ''भरवा'' के पतले डंडे से 06 बार स्पर्श करके सातवें बार में पर्रा को जोर से मारने की रस्म पूर्ण करते हैं, जिसे ''पर्रा छुवानी'' कहते हैं। फिर दुल्हा को पीड़हा में खड़े कराया जाता है, इसी समय वधू घर से सज–धजकर बाहर निकलती है। वधू एवं वर एक–दूसरे को माला पहनाते हैं। इसी समय बारातियों को क्रमशः पीढ़ा में खड़े कराकर ''पैर धुलाई'' की रस्म पूरी की जाती है।

**लाल भाजी खवाना :-**

वधू के घर से कुछ दूरी पर बारातियों के ठहरने के लिए स्थान दिया जाता है, जिसे ''जेनवास'' कहते हैं। वधू पक्ष की महिलाएं जेनवास में जाकर दुल्हे को दातौन कराने, नहाने, लाल भाजी व पान खिलाने क रस्म पूर्ण करते हैं, जिसे ''लाल भाजी खवाने'' का नेंग कहा जाता है। इस नेंग के लिए दुल्हे को कुछ पैसे नेंग के रूप में देना पड़ता है।

**वधू का साज-श्रृंगार सामान :-**

जेनवास से वधू के लिए साड़ी, चुड़ी, गहना एवं साज–श्रृंगार सामान ले जाते हैं तथा ढेड़हीन के लिए भी साड़ी एवं श्रृंगार सामान ले जाते हैं, उसके बाद जेनवास से बारातियों को परघाकर वधू के घर ले जाते हैं।

**अंजनी भराई :-**

जनवास से लड़का पक्ष की ओर से ढेड़हा के माध्यम से वधू के घर में 2–3 किलो चांवल, आलू, प्याज लेकर जाते हैं, वधू को सामने एवं वर को पीछे खड़े कर दोनों के हाथों में 07 पसर चांवल रखते जाते हैं तथा आलू, प्याज भी रखते हैं, जिसे ढेड़हीन अपने आंचल में वधू के पसर से नीचे ले लेती है, जिसे ''अंजनी भराई'' कहते हैं। अंजनी चांवल में हल्दी मिलाकर टिकावन में टीका लगाते हैं दुल्हा–दुल्हीन को अपने आराध्य देवी–देवताओं की पूजा कराकर दुल्हन के साड़ी के अछरा एवं दुल्हा के फेटा में के एक किनारे में पीला चांवल, हल्दी, सुपाड़ी एवं सिक्का बांधकर गठबंधन किया जाता है। दुल्हन के मांग में दुल्हा 07 बार छुवाकर

सिंदुर भरते हैं, उसके बाद ''सिंदूर पोछौनी'' के लिए नया साड़ी देते हैं और सिर ढ़ाकते हैं। पति के बाद ''ममा ससूर'' या ''कूरा ससुर'' नया साड़ी से सिर ढकते हैं। फिर दुल्हा एवं दुल्हन को 07 भांवर (फेरा) कराया जाता है फिर टिकावन बैठते हैं। ढेड़हा–ढेड़हीन के बाद वधू के माता–पिता पहले टिकावन टीकते हैं।

टिकावन होने के बाद बारातियों को भोजन कराया जाता है फिर दुल्हा–दुल्हन का ''मौर'' सौंपते हैं फिर दुल्हन का भाई उसके हाथ पकड़ बिदाई के लिए बाहर का रास्ता दिखाता है। दुल्हन बिदाई के वक्त अपने माता–पिता एवं अपने सहेलियों को देखकर रोने लगती है। उसके बाद बारातियों का दुल्हन के साथ दुल्हा के घर के लिए रात्रि में वापसी होता है। दुल्हन के साथ इनके बहनें, सहेलियां एवं एक बुजुर्ग महिला या दादी भी जाती है, जिसे ''लोकड़हिन जाना'' कहते हैं।

चौथा दिन सुबह दुल्हा के गांव में बारातियों को ग्राम पंचायत भवन या किसी के घर में ठहराते हैं। उसके बाद दुल्हा–दुल्हन एवं बारातियों को परघाकर घर के दरवाजे के पास रोककर ''पानी ओछा'' जाता है फिर दुल्हा–दुल्हन को कपड़े से चारों तरफ से घेरकर पुजा कराकर इनके जाति बैगा द्वारा बकरा की बलि दी जाती है, जिसे ''धूरपैय्या'' की रस्म कहा जाता है फिर दुल्हा–दुल्हन को ''देवता खोली'' में ले जाने के लिए नये साड़ी बिछाये रहते हैं। देवता खोली में प्रवेश करने के पूर्व दुल्हा के बुआ, बहन मिलकर इनका रास्ता रोक लेते हैं। रास्ता छोड़ने के लिए दुल्हा को ''रस्ता छेकाई'' की नेंग के रूप में कुछ रूपये देने पड़ते हैं। दुल्हा के माँ, काकी एवं रिश्तेदार महिलाएं दुल्हा–दुल्हन का ''माऊर'' सौंपते हैं।

देवता खोली में प्रवेश करके दुल्हा–दुल्हन पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस दिन दुल्हन के माँ, काकी एवं रिश्तेदार अन्य महिलाएं व कुछ पुरूष रिश्तेदार दुल्हा के घर जाते हैं, जिसे ''चौथिया''जाना कहते हैं। चौथिया में आये मेहमानों का दुल्हा के गांव में स्वागत सत्कार किया जाता है, जिसे ''चौथिया परघाना'' कहते हैं। दुल्हा एवं दुल्हन के माँ, काकी एवं बड़ी मां आपस में आमने–सामने में खड़े होकर पीला चांवल का टीका लगाते हैं एवं एक–दूसरे को नारियल, सुपाड़ी भेंट करते हैं तथा एक–दूसरे को गले लगाते हैं, जिसे ''समधीन भेंट'' कहते हैं, इसके बाद बाजा–गाजा के साथ नाचते हुए चौथयारिनों को घर तक ले जाया जाता है तथा पैर धुलाया जाता है। वहां सभी को भोजन कराया जाता है।

इस दिन संध्या के समय दुल्हा के घर में भी 07 भांवर होता है तथा टिकावन होता है। रात्रि में सभी मेहमानों एवं चौथिया में आये मेहमानों को सुविधानुसार ''बकरा या मुर्गा'' भात खिलाया जाता है।

रात्रि में भोजन के पश्चात् चौथियारिनों का वापसी होता है तथा ये अपने साथ लोकड़हिन एवं दुल्हन को भी ले जाते हैं, उसके अगले दिन दुल्हा अपने साथ 2–3 लोकड़ाहा लेकर अपने ससुर के घर दुल्हन को लाने जाते हैं, जिसे ''लेवाय बर'' जाना कहते हैं। एक–दो दिन रूकने के बाद दुल्हन को दुल्हा के साथ जाने के लिए बिदाई दी जाती है, जिसे ''पठौनी जाना'' कहते हैं। दुल्हा–दुल्हन अपने घर में आकर माता–पिता एवं बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन व्यतीत करती है।

**विवाह के प्रकार :-**

**1. ममेरे-फूफेरे विवाह**

कंडरा जनजाति में ममेरे–फूफेरे विवाह को प्राथमिकता दी जाती है, इसे ''दूध लौटाया विवाह'' भी कहते हैं। मामा, फूफा के घर विवाह योग्य लड़की न होने की स्थिति में अन्य परिवार में लड़की देखा जाता है, यह माना जाता है कि इस प्रकार के विवाह में निकट के नातेदारी बनी रहती है।

**2. घर-देखी विवाह**

जब समुदाय में ममेरे–फूफेरे में विवाह हेतु लड़के–लड़कियां नहीं होती है तब ''घर देखी विवाह'' सामाजिक रीति–रिवाज से होने वाला एक आदर्श विवाह है, जिसमें शुरूवात लड़का पक्ष द्वारा, लड़की देखने से की जाती है। प्रायः अधिकांश विवाह इसी प्रकार के होते हैं, इसमें माता–पिता एवं समाज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऊपर वर्णित विवाह घर देखी विवाह है।

**3. पैठू विवाह**

कंडरा जनजाति में उनके समधान गोत्र (विषम गोत्र) के किसी लड़की के बीच प्रेम संबंध पाया जाता है किन्तु लड़का या लड़की के माता–पिता इनके विवाह के लिए तैयार नहीं होते हैं, ऐसी स्थिति में लड़की उस लड़के के घर में जबरदस्ती घुस जाती है, तब लड़का एवं लड़की के माता–पिता तथा समाज के लोग उस लड़की को मना–बुझाकर या डरा–धमकाकर घर से निकालने का प्रयास करते हैं। लड़की द्वारा घर से निकलने के लिए मना करने पर, इस मामले को जाति पंचायत में रखा जाता है। जाति पंचायत लड़का को पूछताछ करते हैं तथा उस लड़की से प्रेम–प्रसंग सही पाये जाने पर विवाह करा दिया जाता है। जाति पंचायत द्वारा सामाजिक भोज दंड स्वरूप लेकर विवाह को सामाजिक मान्यता दी जाती है।

**4. उढ़रिया विवाह**

जब कंडरा जाति के लड़का–लड़की एक–दूसरे को पसंद करते हैं और वे आपस में विवाह करना चाहते हैं किन्तु विवाह के लिए दोनों के माता–पिता सहमत नहीं होते या उन्हें यह संशय रहता है कि इस गांव से भागकर अन्य गांव में नहीं जायेंगे तो उनका विवाह संभव नहीं है। इस स्थिति में लड़का–लड़की अपने सखा–सखियों के सहयोग से अन्यत्र गांव पलायन करते हैं। कुछ दिन जीवन व्यतीत करने के बाद उन्हें वापस गांव लाया जाता है तथा जाति पंचायत के समक्ष एक–दूसरे की रजामंदी पूछकर लड़का व उसके पिता से समाज को भोज व अर्थदण्ड लेकर विवाह को सामाजिक रूप से मान्यता प्रदान कर दी जाती है।

**5. लमसेना विवाह**

लमसेना विवाह प्रायः घर में पुत्र न होने की स्थिति में इकलौती या आर्थिक रूप से सम्पन्न कन्या के घर जाकर भावी दामाद के रूप में रहता है तथा उनके कृषि कार्य एवं घर के कार्यों में सहयोग करता है। लड़के के 01 या 02 वर्ष के सेवा कार्य को देखकर लड़की के माता–पिता द्वारा विवाह हेतु सहमत हो जाने पर सामाजिक ढंग से कन्या पक्ष द्वारा विवाह खर्च वहन कर विवाह सम्पन्न करा दिया जाता है। लड़की के माता–पिता के मृत्यु के बाद इनकी बेटी, इनके सम्पत्ति के मालकिन होते हैं। पति–पत्नी सम्पत्ति का उपयोग

कर जीवन व्यतीत करते हैं। अगली पीढ़ी में इनके सम्पत्ति का वारिस इनके संतान होते हैं।

लमसेना विवाह में लड़के के आर्थिक स्थिति अच्छे न होने पर सुकधन व विवाह का खर्च उठाने में सक्षम नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में सेवा के बदले सुकधन एवं विवाह इनके दीदी, ममा (सास–ससुर) वहन करते हैं।

**6. गुड़ावर विवाह**

जब दो समधान गोत्र के अलग–अलग परिवार जिसमें दोनों परिवार में पुत्र एवं पुत्री विवाह योग्य होते है, तो पहले परिवार की बेटी का विवाह, दूसरे परिवार के बेटा से होता है तथा दूसरे परिवार की बेटी का विवाह पहले परिवार के बेटा से करने हेतु सहमत होने पर विवाह कर दिया जाता है, इस विवाह को ''गुड़ावर विवाह'' कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस विवाह में दोनों परिवार के पति–पत्नी के बीच में प्रेम का संबंध बना रहता है तथा दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव व अनबन की गुजांईश बहुत ही कम रहती है।

**7. चूड़ी विवाह**

कंडरा जनजाति में अन्य जनजातियों की भांति चूड़ी विवाह (विधवा का विवाह) या पत्नी के मृत्यु होने पर दूसरे विवाह करने की सामाजिक मान्यता है। ऐसे विवाह को ''चूड़ी विवाह'' या ''पुनर्विवाह'' कहते हैं।

किसी परिवार में विवाहित बेटे के किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे विधवा महिला अपने अविवाहित देवर से सामाजिक मान्यता अनुसार चूड़ी पहनकर विवाह करती है। इस विवाह हेतु दोनों की रजामंदी आवश्यक होती है। इसी प्रकार पत्नी की मृत्यु पश्चात यदि साली कुंवारी हो, तो उनका विवाह भी सामाजिक रूप से मान्य होता है, इसमें भी दोनों की रजामंदी आवश्यक होती है। समाज के अन्य पुरूष जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गयी हो, या पत्नी छोड़कर चली गयी हो, ऐसे पुरूष से चूड़ी पहनाकर विधवा या परित्यकता महिला से विवाह कराया जाता है।

**विवाह आयु :-**

कंडरा जनजाति में लड़का का विवाह 18–24 वर्ष व लड़कियों का विवाह 18–21 वर्ष की आयु में संपन्न किया जाता है। पूर्व में लड़का का विवाह 17–20 वर्ष व लड़कियों का 15–18 वर्ष की उम्र में हो जाती थी। कंडरा समाज मैदानी क्षेत्रों में कस्बों व शहरों में अधिकतर अन्य अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के मध्य निवास करती है, जिसके कारण अन्य जातियों के समान ही देर से विवाह करने लगे हैं।

**वैवाहिक दूरी :-**

किसी भी समुदाय का संकेन्द्रण क्षेत्र विशेष में एक निश्चित भाग या खण्ड में होता है। धीरे–धीरे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इनका फैलाव होता जाता है। कंडरा जनजाति राज्य के मध्य क्षेत्रों में पाया जाता है। विवाह प्रायः अपने निवास क्षेत्र के साथ–साथ अन्य जिलों में करते हैं, इसका कारण यह है कि कंडरा जाति राज्य के मध्य क्षेत्र के सभी जिलों में निवासरत हैं।

**दाम्पत्य जीवन :-**

कंडरा समुदाय में विवाह पश्चात् पति–पत्नी दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते हुए, अपने परिवार के

भरण–पोषण एवं आर्थिक गतिविधियों की समस्त जिम्मेदारियों को वहन करता है। पिता द्वारा हस्तांतरित भूमि आदि पर कृषि कार्य कर, बांस से वस्तुएं निर्माण कार्य एवं मजदूरी आदि के माध्यम से अपनी व बच्चों की आजीविका चलाते हैं और धीरे–धीरे वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं।

**वृद्धावस्था :-**

कंडरा समुदाय में पिता अपने बच्चों की शादी–ब्याह करने के बाद अपने आपको सामाजिक कर्त्तव्यों से मुक्त मानकर, अपनी वृद्धावस्था का अनुभव करता है। उसका कार्य परिवार के सदस्यों को पारिवारिक, सामाजिक व आर्थिक कार्यों में दिशा–निर्देश देने का रहता है तथा सामाजिक जाति पंचायतों की बैठकों में जाना उसका प्रतिनिधित्व करना, शादी–ब्याह संबंधी रिश्ते सुझाना आदि कार्य कर अपना समय व्यतीत करता है। कंडरा महिलाएं सामान्य घरेलू कार्य जैसे– धान कूटना, वनोपज सुखाना, बहुओं एवं बेटियों को दैनिक कार्य संबंधी सुझाव देना व नाती–पोतों की देखभाल आदि कार्य करती हैं।

**मृत्यु संस्कार :-**

कंडरा समुदाय आत्मावादी समुदाय है, जो मृत्यु उपरान्त भी आत्मा के जीवन को स्वीकार करती है। कंडरा जनजाति में शवों को दफनाने या जलाने की प्रथा प्रचलित है। आकस्मिक मृत्यु, दुर्घटना या महामारी से मृत्यु होने पर शव को जलाया जाता है। समाज में किसी पुरूष या महिला के मृत्यु हो जाने पर सभी सगे–संबंधी मृतक के घर एकत्र होते हैं तथा महिलाएं रोकर–विलापकर अपना शोक प्रगट करती है। मृतक के शव एक खाट को उल्टा कर या दो बांस के टुकड़े की खटली (अर्थी) बनाकर शव को रखा जाता है। घर दरवाजे के पास शव को सफेद कपड़ा (कफन) से ढंक दिया जाता है। दीपक, गुलाल, पीला चांवल लगाकर महिलाएं द्वारा अंतिम विदाई दी जाती है। उसके बाद घर से शव यात्रा के लिए एक हण्डी में गोबर का कंडा जलाकर रखते हुए धान, रूई, तिल, जावां, नमक रखकर निकलते हैं। परिवार या समाज के सदस्य ''खुरा बोहा'' बंधु (परगोत्री या स्वगोत्री समीपस्थ सामाजिक सदस्य जो शव उठाते हैं) शव को उठाकर श्मशान घाट तक ले जाते हैं। शव यात्रा के दौरान दोराहा–तिराहा में शव को नीचे रखकर धान बिछाकर आटा के दिये जलाकर रखते हैं। दफन करने हेतु गड्ढा खोदने का काम समाज के लोग करते हैं तब तक मृतक के पुत्र शव को गमछा या जाम के पत्ते से शव को पंखा करता रहता है, जब दफन करने के लिए गड्ढा तैयार हो जाता है तो बांस की चैली या खटिया (खाट) जिसमें शव को श्मशान तक लाया गया हो, उसके साथ उठाकर गड्ढे को 07 बार परिक्रमा कराने के बाद शव को उठाकर उत्तर दिशा मे सिर करके लेटा देते हैं। मृतक का पुत्र या वंश का कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा होता है और दोनों हाथ पीछे रखकर 05 जलते हुए कंडे के टुकड़े को मृतक के सिर के तरफ गड्ढे में गिरा देते हैं फिर 05 बार मिट्टी के टुकड़े को गिराता है। मृतक को दफनाने पर काठी में शामिल सभी व्यक्ति 05 पसर मिट्टी के टुकड़े डालते हैं जिसे ''माटी देना'' कहते हैं या दाह करने पर 05 कंडे के टुकड़े जलते शव पर डालते जाते हैं।

शव को दफनाने या जलाने के बाद सभी लोग नदी–नाले अथवा तालाब में घाट के किनारे मृतक के नाम की ''उरई जड़ी'' पर पसर में पानी डालते हैं तथा मृतक के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। घर से शव यात्रा के प्रस्थान के बाद महिलाएं शव रखे स्थान की साफ–सफाई कर गोबर से लिपाई करती हैं।

उपस्थित सभी महिलाएं तालाब या नदी में नहाकर घाट पर उरई जड़ी में 03 या 05 पसर पानी डालते जाते हैं। नहाकर आने के पश्चात मृतक के परिवार के सदस्यों एवं अन्य गांवों से आये रिश्तेदारों के लिए भोजन की व्यवस्था इनके समाज के अन्य व्यक्तियों के द्वारा की जाती है। भोजन की व्यवस्था तिजनाहवन तक किया जाता है।

**तिजनाहवन**

मृत्यु के तीसरे दिन ''तिजनाहवन'' रखा जाता है। इस दिन बुआ या फूफू घर की साफ–सफाई करती है। कपड़े की धुलाई धोबी जाति की महिला द्वारा की जाती है। भोजन एवं पानी लाने का कार्य अन्य परिवार के सदस्यों के द्वारा की जाती है। इस दिन परिवार के सभी पुरूष सदस्य नदी–नाला या तालाब में उसी घाट पर जाते हैं जहां पर उरई जड़ी गाड़ी होती है। मृतक के परिवार के सभी पुरूष सदस्यों का मुंडन कराया जाता है। उसके बाद नहाकर अंजली (पसर) में मृत आत्मा की शांति के लिए जल अर्पित करते हैं। यही प्रक्रिया महिलाएं भी अलग घाट पर करती है। तालाब से घर आने पर तेल हल्दी छिड़ककर शुद्धीकरण किया जाता है। तिजनहावन होने पर घर की शुद्धीकरण हो जाती है।

**पचनहावन/दसकरम**

तिजनहावन के बाद 5वें दिन पचनहावन, 7वें दिन सतनहावन या नवमीं–दसमीं को मृतक कार्यक्रम का समापन होता है। दाह संस्कार किये जाने पर इस दिन मृतक के अस्थि को स्थानीय नदी आदि में विसर्जित करते हैं। नदी या तालाब में नहाकर उरई जड़ी में 03 या 05 पसर जल अर्पित कर मृतक के आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए प्रार्थना करते हैं तथा उरई जड़ी के पास खोंचे गये दातौन एवं छिड़के गये चांवल, उड़द दाल को नदी या तालाब के जल में मिला देते हैं।

स्थानीय नदी आदि में अस्थि विसर्जन के लिए परिवार के 3–4 सदस्य जाते हैं। इस दिन वापस आने पर इन्हें घर के बाहर से परघाकर लाया जाता है तथा शांति के लिए पूजा कराया जाता है। इस दिन इनके फूफू, मामा एवं बेटी–दामाद चांवल, आलू आदि लेकर आते हैं तथा उत्तराधिकरियों के सिर पर नये गमछा से पगड़ी बांधते हैं, जिसे ''पगबंधी'' या ''बिसराहा'' कहा जाता है।

कंडरा जनजाति में पगबंधी के दिन मृतक भोज करायी जाती है। सामूहिक भोज (मृतक भोज) के पूर्व कुल देवी–देवता एवं पूर्वज देव का नारियल, धूप, अगरबत्ती आदि से मृत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की जाती है। भोजन बनाने का कार्य समाज के व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। मृतक भोज के पश्चात समाज के लोग मृतक के परिवार के लोगों को भोजन बनाने के लिए मिट्टी का मटकी सौंपते हैं, जिसे ''हाड़ी'' सौंपना कहते हैं। इस दिन के बाद इनके परिवार में चुल्हा में भोजन बनने लगता है।

अगले दिन सुबह समाज के लोगों को चाय के लिए आमंत्रित किया जाता है। समाज के व्यक्ति इनके घर में एकत्रित होते हैं तथा परिवार के उत्तराधिकारियों व सदस्यों से कहते हैं कि अब तुम्हारे घर के मुखिया तो नहीं रहे, वह इतने ही दिन के लिए आया था। अब आप सभी को इस शोक की घड़ी से बाहर निकलकर हंसी–खुशी जिन्दगी बिताना है और एक–दूसरे का ख्याल रखते हुए, मिल–जुलकर रहने की बात कहते हैं।

❑❑❑❑

# अध्याय-7 राजनैतिक संगठन

**संगठन का स्वरूप :-**

प्रत्येक जाति संगठन अपने जाति या समुदाय को अन्य समाज से अलग मानती है। कंडरा जनजाति के लोग भी स्वयं को अन्य समाज या समुदाय से पृथक एवं विशिष्ट मानती है। ये अपने जातीय पंचायत के माध्यम से अपनी संस्कृति की रक्षा एवं सामाजिक एकता को बनाये रखने का प्रयास करते हैं साथ ही यह समुदाय के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान भी करता है। मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण से जातीय पंचायत वंश एवं परम्परा को संचालित करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है, जो समुदाय में रक्त की शुद्धता को बनाये रखता है। जातीय पंचायत समुदाय के लोगों के साथ होने वाले शोषण का विरोध भी करता है। समुदाय में प्रचलित रीति–रिवाज, परम्परा, लोक–संस्कृति एवं लोकाचार की रक्षा भी जातीय पंचायत के माध्यम से होता है। इस प्रकार कंडरा जनजाति की जातीय पंचायत एक बहु–आयामी संस्था है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हुए सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तन ने जनजाति समुदाय को काफी हद तक प्रभावित किया है और इससे कंडरा जनजाति की राजनीतिक संगठन भी अछूता नहीं रहा है। इस अध्याय में कंडरा जनजाति पंचायत की स्थिति एवं वर्तमान स्वरूप का अध्ययन किया गया है। सर्वेक्षित कंडरा जनजाति में जातीय पंचायत का स्वरूप निम्नानुसार है :–

1. **ग्राम स्तरीय जाति पंचायत।**
2. **क्षेत्रीय जाति पंचायत/परगना जाति पंचायत।**
3. **केन्द्र स्तरीय पंचायत/महा पंचायत**

**1. ग्राम स्तरीय जाति पंचायत :-**

कंडरा जनजाति ग्रामों में या 4–5 गांवों को मिलाकर पृथक–पृथक जाति पंचायत होती है, जिसमें कंडरा जनजाति के ही व्यक्ति सदस्य होते हैं, जिनका प्रमुख ''मुखिया'' (गौटिया) कहलाता है। मुखिया योग्य अनुभवी तथा जानकार शयाना व्यक्ति होता है जिसका सर्वसम्मति से चयन किया जाता है, साथ ही साथ तीन–चार वृद्ध अनुभवी व्यक्ति पंच का कार्य करते हैं। पंचायत में उपरोक्त के अलावा छड़ीदार जो कोटवार की भूमिका में होती है, जो बैठक आयोजन की सूचना जाति के सभी लोगों तक अथवा लोगों की समस्याओं आदि को जाति के मुखिया तक पहुंचाने का कार्य करता है।

ग्राम स्तरीय जातीय पंचायत में जातीय स्तर के मुद्दे सर्वसम्मति से न्यायपूर्ण तरीके से हल किये जाते हैं। मुखिया एवं पंच जातिगत नियमों के जानकार व समझदार होने के साथ–साथ निर्णय देने की क्षमता रखते हैं। इस समुदाय में वर्तमान में जातीय पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी पायी जाती है। पूर्व में महिलाओं की भागीदारी नहीं पायी जाती थी।

**ग्राम स्तरीय जाति पंचायत के कार्य :-**

ग्राम स्तरीय जाति पंचायत के कार्य निम्नलिखित होते हैं :–

1. जातीय ग्राम देवी–देवताओं एवं मनाये जाने वाले त्यौहारों, उत्सवों की तिथि एवं दिन का निर्धारण

करना।

2. आपसी लड़ाई झगड़ों का सर्व–सम्मति से निपटारा करना।

3. विजातीय प्रेम–प्रसंगों से उपजी समस्यों का निराकरण करना।

4. सामाजिक नियमों के तहत् जातिगत लोगों के बीच परस्पर सहयोग एवं संगठन को मजबूत करना।

5. जाति में प्रचलित मान्यताओं, प्रथाओं, रीति–रिवाजों को जातिगत सदस्यों में लागू करना व नियमित क्रियान्वित करना।

6. परगना स्तर एवं केन्द्रीय स्तर की पंचायतों के निर्देशों पर दृष्टि रखना एवं उनसे सामंजस्य स्थापित करना।

**2. क्षेत्रीय जाति पंचायत/परगना जाति पंचायत :-**

क्षेत्रीय स्तर की जातीय पंचायत का निर्माण 15–18 ग्रामों को मिलाकर किया जाता है, जिसका मुखिया ''सियान'' कहलाता है। प्रत्येक ग्रामों के ''मुखिया'' क्षेत्रीय पंचायत के क्रियाशील सदस्य होते हैं, जिसमें क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली समस्याओं का निराकरण सर्वसम्मति से ''सियान'' द्वारा लिया जाता है, इसमें भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ग्राम स्तर की जाति पंचायत के निर्णय से असंतुष्ट पक्ष मुद्दे क्षेत्रीय जाति पंचायत में ले जा सकता है।

क्षेत्रीय जातीय पंचायत में सभी छोटे–बड़े मामले शामिल किये जाते हैं। साधारणतः प्रयास किया जाता है कि मामलों को ग्राम स्तर पर ही निपटा लिया जाये अथवा दोनों पक्षों का समझौता करा दिया जाये। सभी कंडरा ग्रामों के मुखिया के अलावा इस स्तर की पंचायत में भी चपरासी और कोटवार का पद भी होता है, जो बैठक आदि की सूचनाएं सदस्यों तक पहुँचाता है।

**क्षेत्रीय जाति पंचायत के कार्य :-**

1. क्षेत्र में घटित बड़े अपराधों का निपटारा करना।

2. विवाह संबंधी नियमों का पालन कराना।

3. विवाह, तलाक, झगड़े आदि का निपटारा करना।

4. जातिगत, उत्थान के कार्य करना।

5. बारात, सुकधन आदि संबंधित नियमों को सरल बनाना।

6. जातिगत देवी–देवताओं के वार्षिक कर्मकाण्ड की व्यवस्था करना।

7. ग्राम स्तरीय जाति पंचायतों के अनसुलझे मामलों का निपटारा करना।

8. केन्द्रीय पंचायत के नियमों व निर्णयों का पालन करवाना व उससे समन्वय बनाए रखना।

**3. केन्द्रीय जातीय पंचायत (महासभा) :-**

समस्त क्षेत्रीय पंचायतों को मिलाकर केन्द्रीय जातीय पंचायत या महासभा का गठन किया जाता है। महासभा प्रमुख को ''अध्यक्ष'' कहा जाता है, जिसका चुनाव सभी क्षेत्रीय पंचायत व ग्राम स्तरीय पंचायतों के

प्रमुखों द्वारा सर्वसम्मति से किया जाता है। अध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वह नियमों का जानकार हो, निर्णय क्षमता, ईमानदार हो तथा वह लोगों से पारस्परिक संबंध बनाए रखें। महासभा की बैठक का आयोजन वर्ष में प्रायः एक बार किया जाता है किन्तु विशेष परिस्थिति में एक से अधिक बार आयोजित की जा सकती है।

महासभा में अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव, कोषाध्यक्ष व सदस्य होते हैं। महासभा के पद परम्परागत नहीं होते हैं। आर्थिक स्थिति को भी देखते हुए, ग्राम स्तरीय एवं क्षेत्रीय स्तरीय पंचायतों को मामलों का निचले स्तर पर निपटारे हेतु निर्देशित किया जाता है, इसमें निचले स्तर के पंचायतों के अनसुलझे मामलों का निराकरण किया जाता है।

**केन्दीय जाति पंचायत (महासभा) के कार्य** :-

1. ग्राम व क्षेत्रीय स्तरीय पंचायतों के अनसुलझे मामलों को सुलझाना।
2. सामाजिक नियमों, निषेधों, मान्यताओं में एकरूपता लाने का प्रयास करना।
3. जातिगत उत्थान के लिए नियम बनाना व उसके हितों की रक्षा करना।
4. बाल विवाह एवं अधिक वधू मूल्य प्रथा आदि संबंधित कार्यों को निषेध करना।
5. जातिगत नियमों, रीति–रिवाजों को कठोरता से ग्राम स्तर व क्षेत्रीय स्तर पर लागू करवाना।
6. अन्तर्जातीय विवाह संबंधी मामलों का निपटारा करना।
7. जाति के सदस्यों में सहयोग की भावना जागृत करना तथा अन्य जातियों के साथ परस्पर सहयोग बनाये रखने हेतु निर्देशित करना आदि।

उपरोक्त सभी प्रकार की जाति पंचायतों के पद अवैतनिक होते हैं। जमा किये गये कोष के माध्यम से केवल सामाजिक चपरासी को सूचना आदान–प्रदान करने के बदले सहयोग राशि प्रदान की जाती है।

**कंडरा जनजाति पंचायत में दण्ड प्रावधान** :-

कंडरा समुदाय की जाति पंचायतों में आपसी लड़ाई झगड़े, निषेधों की अनुज्ञा, वैवाहिक नियमों में व्यवधान, अन्तर्जातीय विवाह, तलाक आदि मसलों पर दोषी व्यक्ति को दण्ड का प्रावधान हैं, इनमें दण्ड के प्रकार निम्नलिखित हैं :–

1. आर्थिक दण्ड।
2. समाज से बहिष्कृत करना।
3. आर्थिक दण्ड और बहिष्कार दोनों एक साथ।

**1. आर्थिक दण्ड** :- कंडरा समुदाय में जाति पंचायत द्वारा अपराध आधारित अर्थदण्ड दोषी व्यक्ति को सुनाये जाते हैं इसमें अर्थदण्ड की राशि मुद्दे आधारित होती है, जो 101 रू. से लेकर 5000 रू. तक हो सकती है। ग्राम स्तर पर आपसी लड़ाई–झगड़े, चोरी, शराब पीकर मारपीट, बैठक में सम्मिलित न होना, निषेधों का उल्लंघन आदि साधारण अपराध पर 101 रू. से लेकर 1000 रू. तक अर्थदण्ड लगाया जाता है, वहीं बड़े अपराध पर यह राशि 3 से 4 गुना बढ़ा दी जाती है।

2. **बहिष्कार** :- कंडरा समुदाय में समाज के निर्धारित मापदण्ड के विपरीत किसी भी मुद्दे पर दोषी व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। इसके अंतर्गत बड़े अपराध जैसे– गौ हत्या, बलात्कार, अन्तर्जातीय विवाह आदि अपराधों पर समाज से बहिष्कृत करने का प्रावधान है, इसके अंतर्गत उस परिवार के किसी भी सदस्य को बातचीत, भोजन पानी, रोटी–बेटी का संबंध प्रतिबंधित कर दिया जाता है।

3. **अर्थदण्ड एवं बहिष्कार** :- इस प्रकार के दण्ड विशेष सामाजिक अपराधों जैसे निम्न/उच्च अन्तर्जातीय विवाह करना, विवाह पूर्व गर्भधारण करना, भाग कर शादी करना, गौ हत्या करना, बलात्कार करना, पूर्व घोषित क्षतिपूर्ण आदेश का उल्लंघन आदि परिस्थितियों में निर्धारित किये जा सकते हैं।

उपरोक्त दण्ड के अतिरिक्त दोषी व्यक्ति को सामाजिक भोज आदि का आयोजन करना होता है। सुविधानुसार भोज में बकरा, मुर्गा एवं आदि की व्यवस्था करता है।

**दण्ड का परिपालन** :-

कंडरा समुदाय में जाति पंचायत द्वारा दोषी व्यक्ति को सुनाये गये दण्ड का पालन उसे हर परिस्थिति में करना होता है क्योंकि दोषी व्यक्ति समाज में अकेला कभी नहीं रह सकता, उसे और उसके परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए समाज पर ही निर्भर रहना पड़ता है। दण्ड की राशि अधिक होने पर उसे कम करने अथवा किस्तों में चुकाने के लिए जाति पंचायत से निवेदन कर सकता है लेकिन सामाजिक भोज एवं जुर्माना का दण्ड उसे तत्काल चुकाना पड़ता है।

यदि समजातीय वर्ग में गर्भधारण या विवाह का मामला आता है, तो प्रारंभ में लड़की और उसके परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है तत्पश्चात् लड़के का पता लगाकर अर्थदण्ड और सामाजिक भोज लेकर विवाह करा दिया जाता है एवं उनके परिवार को समाज में शामिल कर लिया जाता है।

यदि अन्तर्जातीय वर्ग में गर्भधारण का मामला हो और लड़का दूसरे जाति का हो, तो उस लड़की को पूर्णकालिक समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। यदि समाज का व्यक्ति दूसरे जाति में विवाह करता है, जो उसे दोनों प्रकार से दण्डित किया जाता है और सामाजिक भोज कराने के पश्चात् पुनः सामाजिक सदस्यता प्रदान कर दी जाती है।

यदि लड़का निम्न जाति वर्ग की लड़की से विवाह कर लेता है, तो लड़के को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, उसे अर्थदण्ड एवं सामाजिक भोज लेकर पुनः सदस्यता प्रदान की जाती है लेकिन उसकी पत्नी को समाज स्वीकृत नहीं करता, किन्तु उनके बच्चे को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर अपनी जाति में शामिल कर लिया जाता है।

इस समुदाय में शराब पीकर गाली–गलौच, मारपीट, चोरी करने आदि मामलों में 101 रू. से लेकर 1000 रू. तक अर्थदण्ड लगाया जाता है।

यदि किसी दम्पत्ति में तलाक की स्थिति आती है और लड़के की गलती हो, तो उसे वधू धन वापस करने के साथ 1001 रू. व सामाजिक भोज से दण्डित किया जाता है। और यदि लड़की की गलती हो, तो उसे 1001 रू. नगद व सामाजिक भोज से दण्डित किया जाता है।

# अध्याय-8 धार्मिक जीवन

जनजाति मूलतः आदि धर्म पर विश्वास करती है। इनका धर्म प्रकृति, अलौकिक शक्ति आत्मा एवं देवी–देवता के विश्वास पर आधारित होता है, इसलिए इन शक्तियों को प्रसन्न करने या कार्य सिद्ध होने पर अपने परंपरा रीति–रिवाजों, मान्यताओं के आधार पर पूजा–अर्चना, बलि भेंट आदि चढ़ाये जाते हैं। जनजाति धर्म उनके सामाजिक, आर्थिक एवं जीवन के विभिन्न संस्कारों से जुड़ा हुआ होता है, जो सामुदायिक एकीकरण एवं सामाजिक समरसत्ता बनाये रखने की उत्तम व्यवस्था है।

जादू–टोने के हानिकारक प्रभावों को दूर करने के लिए बैगा द्वारा किया जाने वाला तंत्र–मंत्र, पूजा–पाठ, बलि भेंट या अन्य आवश्यक कर्मकाण्ड ही जादू–टोने का सकारात्मक या कल्याणकारी पक्ष है।

कंडरा जनजाति का धर्म प्रकृति, अलौकिक शक्ति तथा देवी–देवताओं के विश्वास पर आधारित है। वे आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और मृत्यु उपरान्त अलग–अलग शरीर के माध्यम से पुनर्जन्म में उनका विश्वास है। आत्मा के रूप में इनके पूर्वज अपने वंशज की सुरक्षा एवं मार्गदर्शन करते हैं और मानव की सफलता या असफलता ऐसी दैवीय शक्तियों के हाथों में होती है, जो घटना क्रम को परिवर्तित कर सकती है। कंडरा जनजाति इन शक्तियों के समक्ष समर्पित होकर अपने प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य की पूर्णता हेतु कामना करते हैं तथा मनोकामना पूर्ण होने पर देवी–देवताओं की पूजा–अर्चना एवं बलि भेंट कर कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।

कंडरा जनजाति में देवी–देवताओं के पूजन हेतु सोनवान गोत्र को श्रेष्ठ माना जाता है। विशेष रूप से यदि किसी व्यक्ति के घाव में कीड़े लग गये तो उस आदमी को ये लोग अपवित्र मानते हैं, उसकी शुद्धि के लिए सोनवान गोत्र के व्यक्ति को बुलाकर उसे पवित्र किया जाता है।

कंडरा समुदाय के धार्मिक जीवन में निम्नलिखित देवी–देवताओं की पूजा की जाती है।

1. **ग्राम देवी-देवता**
2. **कुल देवी-देवता**

**ग्राम देवी-देवता :-**

कंडरा जनजाति में ग्राम देवी–देवता पाये जाते हैं, जिनकी विशेष अवसरों पर पूजा–पाठ की जाती है। ग्राम की खुशहाली, समृद्धि एवं आपदाओं से रक्षा के उद्देश्य से इनकी स्थापना की जाती है।

ग्राम देवी–देवता, ठाकुरदेव, सियारिन माता, साहड़ा देव, भैंसासुर, रक्सा देव, गौरी–गौरा, राव देव, बाई देव, सतबहिनी, शीतला माता, कंकाली माता, डिहारीन माता आदि हैं।

ग्राम देवी–देवताओं की पूजा–अर्चना ग्राम की अन्य जातियों के साथ मिलकर की जाती है।

1. **ठाकुर देव :-** यह ग्राम का मुख्य देवता है। यह ग्राम की रक्षा करता है। गांव में बीमारी, पशुओं के बीमारी के समय प्रत्येक वर्ष अक्ती, हरेली, पोला, बालबांधन, नवाखाई, सुरोती (देवारी) में नारियल, धूप, सुपाड़ी, गुलाल आदि अर्पित किया जाता है।

2. **सियारीन माता** :- सियारीन माता को ग्राम की सीमा में स्थापित किया जाता है जो कि ग्राम में फैलने वाली बीमारियों का प्रकोप, जादू–टोना आदि से ग्राम की रक्षा करती है। सियारीन माता की वार्षिक पूजा–पाठ नारियल, धूप, अगरबत्ती आदि से की जाती है।

3. **डिहार देव** :- डिहार देव ग्राम की रक्षा करने वाले देव के रूप में जाना जाता है। हरेली, पोरा आदि त्यौहारों में नारियल, धूप, अगरबत्ती, चांवल आदि में पूजा की जाती है।

4. **डिहारिन माता** :- यह ग्राम की रक्षा करने वाली देवी के रूप में जानी जाती है, जो कि दैवीय प्रकोप, बुरी आत्माओं एवं प्राकृतिक आपदाओं से ग्रामीणों की सुरक्षा करती है। हरेली, पोला आदि त्यौहारों में पूजा–पाठ की जाती है।

5. **सांहड़ा देव** :- सांहड़ा देव का स्थान ''खैरखाडाड़'' (गाय, बैल का विश्राम करने का स्थान) के पास होता है। जानवरों के रक्षा हेतु इनकी पूजा ''देवारी'' (दीपावली) के दिन किया जाता है। सांहड़ा देव में दूध, नारियल, गुड़ का हूम आदि से पूजा करते हैं।

6. **शीतला माता** :- इनका निवास गांव के बाहर ''देवतला'' पर स्थित होता है। दैवीय प्रकोप, बुरी आत्माओं एवं प्राकृतिक आपदाओं से ग्रामीणों की सुरक्षा करती है। यहां त्रिशुल आदि रखा जाता है। प्रतिवर्ष अक्ती, हरेली, पोरा, नवाखाई तथा माता पहुंचानी (जुड़वास) के अवसर पर पूजा–पाठ किया जता है। यह चेचक से गांव की रक्षा करती है।

7. **गौरी-गौरा** :- ग्राम में गौरी–गौरा गुड़ी होता है। ये ग्राम को नियंत्रित करते हैं। गौरी–गौरा प्राकृतिक तथा अतिमानवीय शक्तियों से सुरक्षा करते हैं। कार्तिक माह के अमावस की रात को ''सुरोती'' त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें गौरी–गौरा की विशेष पूजा की जाती है। गौरी–गौरा में नारियल सुपाड़ी गुलाल, धूप, अगरबत्ती से पूजा अर्चना कर, चांवल चढ़ाया जाता है। गौरी–गौरा स्थापना के पूर्व ग्राम बैगा द्वारा गुड़ी के बीच गड्ढे में सिक्का, बगरंडा पत्ते के ऊपर मुर्गी का अंडा रखकर बैगा के साथ पांच व्यक्ति पूजा–पाठ करके मुर्गी के अंडा को मूसल से पांचवे बार में कूटा जाता है। देवारी की रात्रि में गौरी–गौरा का प्रतिकात्मक विवाह रचाया जाता है।

8. **भैंसासूर** :- इसका स्थान गांव के खेतों के बीच में होता है। भैंसासुर अन्न उत्पादन तथा खेती का देवता है। अच्छी उपज तथा खेत में रोग न हो इसलिए इनकी पूजा की जाती है। अक्ती, हरेली, पोरा, नवाखाई में पूजा करते हैं।

9. **सतबहिनी** :- इनका स्थान नीम वृक्ष के नीचे गांव में माना जाता है। यह बच्चों की भूत–प्रेत से रक्षा करती है। हरेली, अक्ती, नवाखाई में नारियल, गुड़ हूम से इनकी पूजा करते हैं। बच्चे के छठी के दिन परिवार वाले काली चूड़ी, फीता, नारियल चढ़ाते हैं।

10. **कंकाली माता** :- कंकाली माता का स्थान ग्राम बैगा के घर के पास होता है। चबुतरे में त्रिशुल व काल मण्डाई, काली लंबी ध्वजा लगी रहती है। यह मनुष्य और पशुओं को हैजा, अतिसार आदि से बचाता है। इन्हें नारियल, नीबू, गुड़ का हूम, काली ध्वजा आदि चढ़ाया जाता है।

इसी तरह रक्सा देव, रावदेव, बाई देव का स्थान गांव के खेतों में अलग–अलग दिशाओं में होता है। गांव के तीज–त्यौहार के अवसर पर ग्राम बैगा एवं ग्रामीणों द्वारा विशेष पूजा अराधना करते हैं।

11. **गृह देवी-देवता** :- कंडरा जनजाति में गृह देवी–देवता गोत्र के समान होता है। प्रत्येक गोत्र के व्यक्ति अपनी–अपनी उत्पत्ति विभिन्न पूर्वजों से मानते हैं। प्रत्येक गोत्र के सदस्य आभार स्वरूप त्यौहारों उत्सवों आदि पर पूर्वज देव की पूजा–अर्चना करते हैं।

**देवता खोली** :-

कंडरा जनजाति के भीतरी कक्ष में एक कोने पर देवी–देवताओं को स्थापित किया जाता है। कंडरा जनजाति के लोग ''सुपल भगत'' को अपने पूर्वज देव मानते हैं। देवता खोली में दुल्हादेव/बूढ़ादेव, दुल्ही दाई का एक कोने चबूतरानुमा स्थान पर वास होता है। कंडरा जनजाति का हिन्दूओं के मध्य निवास होता है, जिससे वे हिन्दू देवी–देवताओं की पूजा अर्चना भी करते हैं। पूजा कक्ष में विवाहित बहन, पुत्री या अन्य गोत्र की महिलाओं का प्रवेश निषेध रहता है। इसके अलावा मासिक धर्म के समय भी प्रवेश वर्जित रहा है।

शादी–ब्याह, जन्मसंस्कार आदि अवसरों पर दुल्हादेव एवं दुल्ही दाई की पूजा मुर्गा, नारियल, सुपाड़ी, धूप एवं शराब आदि से की जाती है तथा पारिवारिक शांति, समृद्धि व मार्गदर्शन की याचना की जाती है। सामूहिक भोज आदि के अवसर पर सबसे पहले पूर्वज देव सुपल भगत को भोग लगाया जाता है।

**रंधनी खोली (रसोई घर)** :-

कंडरा जनजाति में रंधनी खोली में अन्धारिन पाट की पूजा की जाती है। इनका निवास चूल्हा में माना जाता है, जिनको भोजन पकने के पश्चात भोग लगाकर ही घर के सदस्यों द्वारा भोजन किया जाता है।

**कोठा (गोशाला)** :-

कोठा (गोशाला) में पशुओं की रक्षा करने वाली गोरैया देवी का निवास स्थान होता है, जिसमें कार्तिक माह में ''देवारी'' या जेठौनी एवं पोरा त्यौहार में काली मुर्गी का बलि देकर विशेष पूजा की जाती है।

**आंगन** :-

कंडरा जनजाति परिवार के घरों में, आंगन में शक्ति माता का वास होता है। परिवार के मुखिया के द्वारा देवारी में खैरी मुर्गी की बलि दी जाती है। ये घर, बाड़ी, आंगन की सुरक्षा व बुरी आत्माओं से बचाव करती है।

**पुजई (पीढ़ी पूजा)** :-

कंडरा जनजाति के लोग महामारी या अन्य बाहरी प्रकोप से बचने के लिए प्रत्येक पीढ़ी में पुजई (देवपूजा) कराते हैं। देव पूजा के लिए फाल्गुन माह में घर या समाज के पंडा (बैगा) द्वारा दुल्हादेव–दुल्ही दाई की पूजा पाठ की जाती है। देव पूजा 03 दिनों का होता है। देवी–देवता में 03 दिनों तक ज्योत जलायी जाती है। घर के देवी–देवता को 01 दिन व एक रात गीत एवं बाजा के साथ जगाया जाता है। दूसरा दिन सुबह तालाब के किनारे परसा पेड़ के पास ''गढरा'' (गड्ढी) खोदकर 21 बाना ध्वजा, 21 नींबू चढ़ाकर 03 मुर्गा (खैरा, कारी, सफेद रंग का), 01 घेटी (सुअर) की बलि दी जाती है। पुजई में शामिल 02 आदमी यहीं पर

रखवाली करते हैं बाकि पुरूष गांव के लोहार जाति के घर बाजा– गाजा के साथ जाते हैं। देवी–देवता के बाना–बरछी को परघाकर सेवा गीत गाते हुए घर दरवाजे के पास पहुंचते हैं। घर के दरवाजें के बाहर महिलाएं धूल पैर को जल ओछकर (छिड़ककर) धोते हैं। दरवाजे से नये ''लुगरा'' (साड़ी) बिछाकर देवता खोली में प्रवेश कराते हैं। यहां दुल्हादेव में 01 खैरा बकरा शक्ति माता में एक खैरा मुर्गा की बलि देते हैं व दारू छिड़कते हैं। पुजवन होने पर बच्चे का मुंडन कराते हैं। कटे हुए बाल को बुआ अपने आंचल में लेकर नारियल के साथ ''गढरा'' में डाल देती हैं। पति–पत्नी गढरा का 07 भांवर घूमते हैं फिर पति अपने पत्नी का सिंदूर भरते हैं। घर में पूजा अर्चना के पश्चात पुरूष सदस्य तालाब के पास वापस जाकर शराब पीते हैं तथा बकरा, मुर्गा, चांवल का प्रसाद ग्रहण करते हैं।

घर में गढरा खोदने का कार्य ढेड़हीन–ढेड़हा करते हैं। दुल्हादेव व शक्ति माता में बलि चढ़ाये गये बकरा व मुर्गा का सब्जी व चांवल बनाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। महिला व पुरूष प्रसाद ग्रहण करने के बाद जुठा पत्तल को गढरा में डालकर उसी में हाथ धोते हैं। गढरा में मिट्टी की दुहनी (छोटा मटकी) में खिचड़ी बनाकर ''परई'' (मिट्टी का ढक्कन) से ढंककर गढरा में रखते हैं, उसे तीसरे दिन रविवार को गढरा को पाटकर पूजई का समापन करते हैं।

कंडरा जनजाति में पुजई कार्य 03 पीढ़ी व प्रत्येक पीढ़ी में किया जाता है। आपदा प्रकोप या देवी–देवता के नाराज होने पर 01 पीढ़ी में एक से अधिक बार पुजई करते हैं।

इस जनजाति में तीज–त्यौहारों में भी मुर्गा की बलि प्रथा प्रचलित है।

**पूजा विधि :-**

किसी भी देवी–देवता की पूजा की जाती है, तो सर्वप्रथम उस स्थान की गोबर से लिपाई की जाती है, उसके पश्चात् स्नान आदि से निवृत होकर नारियल, सिंदूर, दूध, पानी, आग, अगरबत्ती, फूल, दूबी आदि लेकर देव स्थान में ले जाते हैं। सर्वप्रथम देवता में पानी व दूध छिड़का जाता है, उसके बाद सिंदूर का टीका लगाकर फूल चढ़ाया जाता है। अगरबत्ती जलाकर देवता के चारों ओर घूमाकर देवता के पास अर्चना करते हैं कि आपका चढ़ावा लाया हूं, इसे आप स्वीकार करिए फिर नारियल को पत्थर में तोड़कर एक टुकड़ा देवताओं के पास रख दिया जाता है बाकि को लोगों में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है।

जिन देवी–देवताओं में बकरा या मुर्गा की बलि दी जाती है वहां मुर्गा या बकरा के ऊपर पानी छिड़क कर उसके सामने चांवल का दाना डालकर देवता से प्रार्थना करते हैं कि अपना भोग ग्रहण करें। यदि बकरा या मुर्गी दाना खाने लगता है तब माना जाता है कि देवता ने भोग स्वीकार कर लिया, फिर उसे बलि चढ़ाई जाती है फिर उसके मांस को सब्जी पकाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं।

**प्रमुख त्यौहार :-**

कंडरा समुदाय द्वारा निम्नलिखित त्यौहार प्रमुख रूप से मनाये जाते हैं।

**1. अक्ती :-**

यह त्यौहार बैसाख माह में शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन मनाया जाता है, इसे धान बुवाई आरंभ करने एवं

अच्छी फसल प्राप्ति के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस दिन ग्राम के सभी जाति के लोग अपने घरों से परसा के पत्ते से बना एक दोना धान, सिक्का व मौहा का फूल लेकर ठाकुर देव के पास इक्ट्ठा होते हैं। ग्राम बैगा द्वारा खेती के सभी कार्यों का अभिनय कराया जाता है फिर धान की पूजा–पाठ कर ठाकुर देव में चढ़ाया जाता है, उसके पश्चात् सभी को एक दोना धान भरकर वापस किया जाता है, जिसे अपने घरों में ले जाते हैं। अक्ती के दिन ही एक दोना धान से बुआई आरंभ करते हैं। इस त्यौहार को खेती कार्य प्रारंभ होने के उत्सव के लिए मानाया जाता है।

**2. हरेली :-**

हरेली त्यौहार सावन माह की अमावस्या को मनाया जाता है, इसे ग्राम देवी–देवता एवं कुल देवी–देवताओं की पूजा कर, ग्राम की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। इस दिन ग्राम के पुरूष सदस्य ''माता देवाला'' में बैगा (धार्मिक मुखिया) के साथ उपस्थित होते हैं। बैगा नीम के पेड़ की टहनियों को लाकर ''माता देवाला'' में नारियल, धूप, अगरबत्ती, चांवल आदि से पूजा करके नीम की टहनी को गाड़ देता है। बैगा प्रत्येक घर के द्वार में बुरी आत्माओं के प्रकोप से बचाव हेतु नीम की टहनी लगाता है। पुरूष सदस्यों द्वारा गृह देवी–देवताओं की पूजा के पश्चात् कृषि उपकरणों की पूजा अगरबत्ती, कुमकुम व चांवल का चीला चढ़ाकर एवं नारियल फोड़कर की जाती है तथा घर में बनाये गये पकवान का भोग लगाया जाता है और उत्सव मनाया जाता है। इस दिन बांस की ''गेड़ी'' बनाया जाता है, जिसमें बच्चे एवं युवक चढ़कर बांस के सहारे चलते हैं। सावन माह के पूर्व शनिवार को ''सवनाही'' रेंगाया जाता है, इस दिन रात्रि में बैगा एवं 08–10 व्यक्ति मिलकर ग्राम सीमा के बाहर ध्वजा, बंदन, नींबू से पूजा–पाठ कर ''पोई'' (छोटी मुर्गी) छोड़ी जाती है, जिसे सवनाही रेंगाना कहते हैं। बैगा द्वारा भूत–प्रेत, जादू–टोना के प्रकोप से गांव के लोगों को सुरक्षा देने की कामना की जाती है।

**3. पोरा (पोला) :-**

पोरा किसानों का त्यौहार है। इस दिन ग्राम के देवी–देवताओं में देवता बैला (मिट्टी का बना बैल) चढ़ाया जाता है। सभी कृषक अपने खेतों में देवता बैला चढ़ाकर, धूप, नारियल, अगरबत्ती ''चीला'' (चांवल आटा एवं गुड़ से बनी रोटी) चढ़ाया जाता है। इस दिन घर में ''नांदिया बैला'' (मिट्टी से बनकर सजाया हुआ रंगीन बैल) की पूजा–पाठ किया जाता है। नंदिया बैला के पैरों में सिली पाट (चक्का) लगाये जाते हैं, जिसे छोटे लड़के रस्सी से बांधते हैं और उसे ढुलाकर आनंदित होते हैं। इसी तरह इस दिन मिट्टी के छोटे–छोटे पोरा–जांता, सुपली, चुल्हा, लोटा, गगरी, कनोजी, परई की पूजा कर छोटी बालिकाओं को खेलने के लिए दिया जाता है, जिसे चुकी–घना या सगा–पना खेलना कहते हैं। खेल–खेल के माध्यम से छोटी बालिकाएं रसोई कार्य करने या परिवार के सदस्यों के जिम्मेदारियों का अभिनय करती हैं।

**4. नवाखाई :-**

कंडरा जनजाति नवाखाई त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाती है। नवाखाई क्वार माह में मनाई जाती है। नवाखाई के दिन कंडरा परिवार अपने पारम्परिक वेशभूषा में तैयार होकर अपने देवी–देवता की पूजा करते है। इस दिन अपने देवी–देवता में धान के नये फसल की बाली चढ़ाकर एवं नये चांवल का खीर बनाकर

साजा पेड़ के पत्ते में रखकर देवी–देवताओं को भोग लगाया जाता है। उसके बाद नये फसल का उपभोग कर सकते हैं। इस दिन कंडरा परिवार अपने देवी–देवताओं में आवश्यकतानुसार भेंट अर्पित करते हैं।

**5. सुरोती /देवारी :-**

सुरोती त्यौहार के पूर्व कंडरा जनजाति अपने घरों की सफाई एवं लिपाई– पुताई करते हैं। सुरोती का त्यौहार कार्तिक माह के अमावस्या को मनाया जाता है। सुरोती के दिन दरवाजों को फूल–माला से सजाया जाता है। घरों में रंगोली बनाकर दीया जलाया जाता है। इस दिन अन्न माता की पूजा की जाती है। समृद्ध होने की कामना की जाती है तथा प्रसाद एवं मिठाई बांटी जाती है। रात्रि में गौरी–गौरा का विवाह नाटकीय रूप में रूपान्तरित किया जाता है। गौरी–गौरा विवाह की शोभा यात्रा निकालकर गौरा गुड़ी में स्थापित किया जाता है। सुबह हर्षोल्लास के साथ तालाब में विसर्जन किया जाता है।

दूसरे दिन को देवारी त्यौहार के नाम से जाने जाते हैं। इस दिन गाय, बैल आदि पालतु पशुओं को नहलाकर पूजा करते हैं तथा खिचड़ी भात खिलाया जाता है।

**6. जेठौनी /देवउठनी**

जेठौनी त्यौहार में अपने अपने इष्ट देवताओं की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इससे पहले देवतागण सोये रहते हैं और इस दिन जागते हैं। गाय की पूजा करके ''सोहई'' (मोर के पंख की माला) एवं बैल या भैंस को ''पटवा डोरी'' (रस्सी के प्रजाति का एक पौधा) से बना ''गैंठा'' (माला) पहनाई जाती है। इस दिन से सभी शुभ कार्य जैसे–विवाह, घर बनाना आदि प्रारंभ किया जाता है।

**7. छेरछेरा**

छेरछेरा त्यौहार अगहन माह के पुन्नी (पूर्णिमा) को मनाया जाता है। यह त्यौहार नये फसल के स्वागत मे मनाया जाता है। इस दिन दान देना शुभ मानते हैं। गांवों मे इस दिन प्रत्येक घरों में टोलियां बनाकर जाते हैं तथा ''छेरछेरा मांई कोठी के धान ला हेरहेरा'' कहकर आवाज लगाते हैं। सभी को धान देकर ससम्मान बिदाई करते हैं।

इसके अतिरिक्त सावन पुन्नी (भोजली), पूर्वज देव, जात्रा आदि मनाया जाता है। हिन्दू संस्कृति के संपर्क में आने के कारण ये लोग हिन्दू त्यौहारों जैसे– दशहरा, दीपावली, होली, रामनवमीं, रक्षाबंधन, नवरात्रि आदि पर्व को भी उत्साह के साथ मनाते हैं।

❑❑❑❑

# अध्याय-9 लोक परम्पराएं

कंडरा जनजाति के लोकनृत्य, लोकगीत, माता सेवा, फाग गीत आदि गाये जाते हैं। इनकी लोक साहित्यों में लोक कथाएं, पहेलियां, कहावतें मुख्य हैं। बच्चे अपने मनोरंजन हेतु विभिन्न प्रकार के खेल भी खेलते हैं। वर्तमान में मनोरंजन के नये आयाम के साधन में मोबाईल से भी मनोरंजन करते हैं। खेल में गुल्ली—डण्डा, भांवरा, बांटी, पिट्ठुल, कबड्डी, खो—खो, क्रिकेट आदि शामिल है।

**लोकनृत्य**

कंडरा जनजाति में कर्मा नृत्य पहले प्रचलन में था परन्तु वर्तमान में यह धीरे—धीरे लुप्त होते जा रहा है। भादो, क्वार माह में लोग एकत्र होकर नृत्य करते हैं, ढोल, मंजीरा, झुमका आदि की थाप में नृत्य करते हैं।

कंडरा समाज में दीपावली के आस—पास महिलाएं एवं बालिकाएं सुआ गीत गाकर, सुआ नृत्य करती हैं। विवाह के अवसर पर महिलाएं, ''बिहाव गीत'', ''भड़वनी गीत'' गाकर नृत्य करते हैं। सामान्य दिनों में करमा, ददरिया तथा नाचा के गीत गाते हैं। होली के त्यौहार में पुरुष डंडा नृत्य करते हैं। यह नृत्य अब लुप्त होते जा रहा है।

**लोकगीत**

कंडरा जनजाति का लोकगीत छत्तीसगढ़ में होता है। लोकगीत विभिन्न अवसरों पर जैसे— सगाई, विवाह के अवसर पर गाने वाले गीत, डंडा नृत्य के साथ गाये जाने वाले गीत, जंवारा गीत, माता सेवा, सुआ गीत, गौरी—गौरा गीत तथा ददरिया गीत जो युवा लड़के व लड़की एक—दूसरे के प्रश्न के उत्तर के रूप में गाते हैं। इसके अतिरिक्त कर्मा गीत गाते हैं। छत्तीसगढ़ी नाच के अवसर पर आकर्षक पोशाक एवं वेशभूषा से ''परी'' (नचकारिन) एवं जोकर (गम्मतिहा) के भूमिका में लोकगीत गाया जाता है।

**छत्तीसगढ़ी नाचा/चंदैनी**

विवाह, मेले, मड़ई आदि के अवसरों पर ग्राम में लोगों के रात्रिकालीन मनोरंजन हेतु कार्यक्रम आयोजित कराते हैं जिसे छत्तीसगढ़ी नाचा कहते हैं, इसमें हारमोनियम, तबला, मंजीरा, झुमके के साथ प्रथम तीन—चार गीत जो फिल्मों का होता है। पुरुष भाव प्रदर्शन स्त्रियों का करते हैं, जिसे परी कहते हैं। एक—दो स्त्री पात्र का अभिनय करने वाले स्त्री वेश में नजरिया आकर गीत गाते हैं फिर छत्तीसगढ़ी प्रहसन जिसे ''गम्मत'' कहा जाता है, प्रस्तुत करते हैं। यह नाटकों की तरह सामाजिक समस्याओं, कहानियों पर आधारित होता है। संवाद व गीत छत्तीसगढ़ी का होता है। गम्मत में हँसी—मजाक होता है, जिसे देखने वाले बड़े चाव से देखते हैं। इनके निवास क्षेत्रों में पंडवानी गायन भी विभिन्न अवसरों पर आयोजित किया जाता है, जिसमें महाभारत कथा को छत्तीसगढ़ी बोली में भाव—प्रदर्शन करके अभिनय के साथ गाया जाता है। कुछ अवसरों पर चंदैनी गायन का भी आयोजन हेाता है, जिसमें लोरिक चन्दा का कथा छत्तीसगढ़ी बोली में अभिनय किया जाता है।

**लोककथाएं**

कंडरा जनजाति में अनेकों लोककथाएं प्रचलित है, जिसे खेती के कार्य धान निंदाई के समय काम करने वाले एक व्यक्ति सुनाते हैं और बाकी लोग सुनते हुए काम करते हैं। इसके अतिरिक्त दादा–दादी, आजा–आजी अपने नाती–नतनीन को, माता–पिता अपने बच्चों को कई कहानियाँ सुनाते हैं, जैसे–डोकरा–डोकरी, राजा–रानी, जंगली–जानवर, शेर–सियार, खरगोश–शेर, गाय–शेर, बंदर–भालू, राजकुमारी, ढेला–पत्ता, सतबहिनी आदि मुख्य हैं। कहानियाँ मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी व्यक्ति या दादा–दादी से सुनकर हस्तांतरित होती रहती है।

**जनउला/पहेलियां**

कंडरा जनजाति में कई ''जनउला'' प्रचलित है। ये बात करते समय एक–दूसरे की बुद्धि परीक्षण व समय बिताने के उद्देश्य से पूछा जाता है। कंडरा जनजाति में कई ''हाना'' भी प्रचलित हैं, ये बात करते समय या उदाहरण देते समय ''हाना'' का उपयोग करते हैं।

**बच्चों के खेल**

कंडरा जनजाति के बच्चे गिल्ली–डंडा, भौंरा, बाटी, गोलियां, विष–अमृत, आँख–मिचौली, घोर–घोर रानी, डंडा–पचरंगा, आती–पाती, वृक्ष में चढ़कर छूने का खेल, नदी पहाड़ी का खेल, धूप व छाया में पकड़ना, लुकउला, चुरमुन्दरी, अंगुठी छुपानी, चूड़ी रेत में छुपाकर खोजना, बिल्लस, लाईन खींचकर पैर से पत्थर का टुकड़ा बाहर निकालना, लंगड़ी खेल, घर बुंदिया, सगा–पहुना, पारिवारिक रिश्तेदार मेहमान का खेल, पिट्ठूल गेंद का खेल, इमली के बीज खानों में भरकर चलने वाला खेल कौड़ी, कबड्डी, खो–खो आदि खेलते हैं। इसके अतिरिक्त सावन माह से भादो माह में पोरा तक लड़कियां पेड़ों में झूला बांधकर झूलती हैं। वर्तमान समय में बहुत से उपरोक्त बच्चों के बहुत से खेल लुप्त होने के कगार में हैं। अब बच्चे मोबाईल में भी विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं।

**लोककला**

कंडरा जनजाति में त्यौहारों के अवसर पर स्त्रियां घर को लीपकर चांवल के आटे से चौक, रंगोली बनाती हैं। इसके अतिरिक्त घरों के निर्माण के समय मोर, बिल्ली, कुत्ता की आकृति भी मिट्टी से बनाती हैं। बच्चे देवारी के अवसर पर घर के सामने रंगों से फूल–पत्ते व कई पशुओं की आकृति बनाते हैं। महिलाएं धान के पौधों से कई आकृतियाँ बनाती हैं।

# अध्याय-10 परिवर्तन एवं समस्याएं

**परिवर्तन :-**

कंडरा जनजाति के पूर्वज घूमन्तु जीवन व्यतीत करते थे। इस जनजाति के बांस से वस्तुएं निर्माण करने की परंपरागत व्यवसाय के कारण 6–10 किलोमीटर की दूरी के गांवों में 3–4 परिवार निवास करते हैं। बांस से बनी वस्तुएं का उपयोग कृषि कार्य में अधिक होने के कारण कृषि कार्य में संलग्न राज्य के मध्य मैदानी क्षेत्रों में निवास दिखाई देता है। इस जनजाति की अधिकतर बसाहट शहरों, कस्बों में हाट–बाजार के निकट होते हैं।

शिक्षा, आवागमन एवं संचार के सुविधाओं व अन्य संस्कृतियों के संपर्क में आने के कारण इनकी समाजिक, सांस्कृतिक एवं विशिष्टताओं में परिवर्तन होने लगे हैं, जो निम्नांकित है :–

**भौतिक संस्कृति में परिवर्तन :-**

1. परंपरागत कच्चे आवास के स्थान पर पक्के ईंट से निर्मित अर्धपक्का या पक्का आवास भी बनाने लगे हैं जिसमें खिड़की व आलमारी का निर्माण किया जाता है। घरों में रोशनी हेतु बिजली की व्यवस्था पायी गयी।
2. शारीरिक स्वच्छता एवं साज–श्रृंगार हेतु बाजार से खरीदी गई साबुन, टुथब्रश, टूथपेस्ट एवं अन्य सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग करते पाए गए। इसी प्रकार जींस, टी–शर्ट, पैजामा, कुर्ता एवं लड़कियों द्वारा सलवार कमीज व अन्य आधुनिक वस्त्र उपयोग करने लगे हैं।
3. घरेलू उपयोग में कुम्हार जाति द्वारा निर्मित मिट्टी के बर्तन का उपयोग किया जाता था, जिसके स्थान पर स्टील, कांस्य, पीतल व एल्यूमिनियम के बर्तन का उपयोग करने लगे हैं।
4. जन्म या विवाह के अवसरों पर लाउडस्पीकर, डेक, सी.डी. का चलन देखा गया। घरों में घड़ी व मनोरंजन हेतु टी.वी. भी दिखाई देती है।
5. आवागमन हेतु साईकिल, मोटर साईकिल, बस, ट्रेन का उपयोग करने लगे हैं।
6. गोदना जिसे महिलाओं का स्थाई आभूषण मानकर शरीर के अधिकांश हिस्सों में विशेषकर नाक में गोदना गुदवाना अनिवार्य था तभी लड़कियों का विवाह होता था किन्तु वर्तमान में गोदना गुदवाने की अनिवार्यता में शिथिलता पायी गयी है।

**आर्थिक जीवन में परिवर्तन :-**

1. पूर्व में इनके पास जीवकोपार्जन के सीमित साधन उपलब्ध थे। मुख्य रूप से बांस से वस्तुएं निर्माण आदि पर निर्भर थे किन्तु वर्तमान में बांस बर्तन निर्माण के साथ जिनके पास कृषि योग्य भूमि है, वे कृषि कार्यों में संलग्न हैं साथ ही कृषि मजदूरी, शासकीय एवं गैर शासकीय मजदूरी तथा कुछ परिवारों में शासकीय व अर्धशासकीय नौकरी में संलग्नता भी दिखाई देती है।
2. कृषि कार्य में गोबर खाद के स्थान पर कुछ परिवार आधुनिक रासायनिक खादों, कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं।
3. कृषि हेतु ऋण साहूकारों के स्थान पर सहकारी बैंकों से लेने लगे हैं तथा जीवन निर्वाह या सामाजिक कार्यों व ईलाज हेतु साहूकारों के बदले रिश्तेदारों से राशि की व्यवस्था उधार के रूप में करने लगे हैं।

**सामाजिक संरचना में परिवर्तन :-**

1. पूर्व में पारिवारिक सुरक्षा व मजबूत आर्थिक संगठन की दृष्टि से संयुक्त परिवारों को उचित माना जाता था किन्तु अब अधिकांश परिवार विघटित होकर, एकल परिवार में परिवर्तन होने लगे हैं।
2. पूर्व में अन्तर्जातीय समुदायों से संबंधित सामाजिक बंधनों का पूर्ण रुप से पालन किया जाता था किन्तु

वर्तमान में अधिकांश परिवार विघटित होकर, एकल परिवार में परिवर्तन हो रहे हैं।

**जीवन चक्र में परिवर्तन** :-

1. कंडरा जनजाति में मासिक धर्म को अपवित्र मानकर रजस्वला महिला को ''रंधनी खोली'' व ''देवता खोली'' में प्रवेश करना, पानी लाना आदि कार्यों में निषेध था। किन्तु वर्तमान में एकल परिवार के कारण, मासिक धर्म के समय भी महिलाएं प्रायः उक्त कार्य करने लगी हैं।
2. वर्तमान में परंपरागत प्रसव के अलावा संस्थागत प्रसव भी करा रहे हैं। शिशुओं को आवश्यक जीवन रक्षक टीका एवं पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाती है। जन्म संस्कार में बच्चों का मुंडन नाई द्वारा कराया जाने लगा है।
3. कंडरा जनजाति में विवाह प्रायः कम उम्र में ही हो जाया करता था किन्तु वर्तमान में अन्य संस्कृतियों व शिक्षा के प्रभाव के कारण विवाह आयु में बढ़ोत्तरी हुई है।
4. इस जनजाति में वधू मूल्य के साथ ही विवाह का पूरा खर्च पूर्व में लड़का पक्ष द्वारा लड़की पक्ष को दिया जाता था किन्तु वर्तमान में विवाह का खर्च देने की प्रथा में कुछ शिथिलता पायी गयी है।

**शैक्षणिक स्थिति में परिवर्तन** :-

कंडरा का जनजाति के लोग पूर्व में घुमन्तू जीवन व्यतीत करते थे। वर्तमान में स्थाई निवास होने व शहरों, कस्बों व मध्य मैदानी क्षेत्रों में निवास होने के कारण शैक्षणिक स्थिति में सुधार हुआ है किन्तु महिला साक्षरता वर्तमान में भी कम पायी गयी है।

**राजनैतिक संगठन में परिवर्तन** :-

ग्राम स्तरीय जाति पंचायत व महासभा आदि नाम से इनमें राजनैतिक संगठन पाया जाता है जिसके मुखिया परंपरागत के स्थान पर पढ़े लिखे व्यक्ति को बनाया जाने लगा है, इनमें राजनीतिक सक्रियता में वृद्धि हुई है।

**धार्मिक जीवन में परिवर्तन** :-

कंडरा जनजाति पूर्वज देव, ग्राम देव व प्रकृति पूजक होते हैं। अपने देवी–देवताओं में पीढ़ी पूजा करते हैं। हिन्दू संस्कृतियों के प्रभाव के कारण राम, गणेश, शिव, हनुमान, दुर्गा आदि देवी–देवताओं की भी पूजा करने लगे हैं।

**लोक परंपरा में परिवर्तन** :-

कंडरा जनजाति द्वारा पूर्व में विभिन्न तीज–त्योहारों एवं विवाह आदि अवसरों पर कर्मा, ददरिया, सुआ नृत्य, डंडा नृत्य तथा गौरी–गौरा गीत का गायन करते थे किन्तु वर्तमान में लाउडस्पीकर, सीडी, डेक का चलन भी इनमें पाया गया।

**बोली-भाषा में परिवर्तन** :-

कंडरा जनजाति राज्य के मध्य मैदानी क्षेत्रों में स्थायी निवास हो जाने व हिन्दू संस्कृति के अधिक संपर्क में आने के कारण छत्तीसगढ़ी व हिन्दी भाषा का उपयोग करते हैं।

बुजुर्ग सदस्य व अधिक उम्र के कुछ महिला, पुरूष ही छत्तीसगढ़ी मिश्रित पारसी बोली का उपयोग करते हैं। यह जनजाति द्रविड़ियन भाषा समूह की बोली गोंडी को भूल गये हैं।

**समस्याएं** :-

कंडरा जनजाति में प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं :–

**सामाजिक समस्याएं** :-

1. कंडरा जनजाति के अधिकांश युवक–युवतियों के विवाह निर्धारित आयु के पूर्व ही हो जाते हैं।
2. कंडरा जनजाति में शराब पीने की लत एक प्रमुख सामाजिक समस्या है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति, परिवारिक शांति, बच्चों के शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।

**आर्थिक समस्याएं :-**

1. कंडरा जनजाति के आय का मुख्य स्त्रोत बांस से वस्तुएं निर्माण कर स्थानीय हाट–बाजार में विक्रय कर जीवन निर्वाह करना है किन्तु वर्तमान में बांस की जगह प्लास्टिक से वस्तुएं निर्माण होने लगे हैं, जिससे इनके परंपरागत व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। नई पीढ़ी अपने परंपरागत व्यवसाय को भूलने लगे हैं।
2. पूर्व में कंडरा जनजाति के परिवारों को शासन के माध्यम से सहकारी बांस डिपो के माध्यम से 200 नग बांस प्राप्त होता था किन्तु वर्तमान में बहुत ही कम मात्रा में बांस सहकारी बांस डिपो से मिलता है, जिसके कारण वर्ष भर बांस से वस्तुएं निर्माण करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।
3. बांस से वस्तुएं निर्माण हेतु अच्छी किस्म की बांस की आवश्यकता होती है। शासकीय बांस डिपो से पतली बांस मिलने के कारण उचित मात्रा में बांस से वस्तुएं निर्माण नहीं कर पाते हैं।
4. कंडरा जनजातियों को बांस से वस्तुएं निर्माण हेतु बांस की पूर्ति के लिए बांस ठेकेदारों पर निर्भर रहना पड़ता है। बांस ठेकेदारों से अधिक कीमत पर बांस क्रय करने के कारण बांस बर्तन की लागत बढ़ जाती है, जिससे इनके परंपरागत व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।
5. शासकीय योजनान्तर्गत वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु बांस की ''ढोली'' निर्माण कार्य समूहों को दी जाने लगी है। समूहों को बांस उपलब्ध करायी जाती है। ढोली निर्माण का कार्य ठेकेदारों के माध्यम से कंडरा जनजाति के समूहों द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रति ढोली की दर से मेहनताना दी जाती है। कंडरा परिवार भविष्य में अपने पुश्तैनी बांस बर्तन के व्यवसाय से बांस बर्तन मजदूर बन जाने के डर से भयभीत हैं।
6. सर्वेक्षित कंडरा जनजाति परिवारों के 15.48 प्रतिशत परिवारों के पास कृषि भूमि है, ऐसे परिवारों के पास कृषि भूमि की औसत भूमि धारिता मात्र 1.27 एकड़ है, जो कि बहुत कम है, जिसका व्यापक प्रभाव इनके जीवन निर्वाह पर दिखाई पड़ती है।
7. कंडरा जनजाति का निवास वन क्षेत्रों में न होने के कारण वनोपज संकलन कार्य में संलग्न नहीं है, जिससे वनोपज से आय प्राप्त नहीं होती है।

**शैक्षणिक समस्याएं :-**

कंडरा जनजाति में बच्चों की शिक्षा विशेषकर, बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता कम है। घर के काम–काज छोटे भाई–बहनों की देखभाल आदि भी बालिका शिक्षा में बाधक हैं।

**स्वास्थ्य समस्याएं :-**

कंडरा जनजाति जादू–टोना, भूत–प्रेत पर अत्याधिक विश्वास करती है। किसी प्रकार की अस्वस्थ्यता होने पर अपने पारंपरिक चिकित्सकों के पास जाने को ही प्राथमिकता देते हैं।

प्रसव कार्य पारंपरिक दाई (सुईन) के द्वारा कराया जाता है। प्रशिक्षित दाई से प्रसव नहीं कराना ही महत्वपूर्ण समस्या है।

कम उम्र में विवाह होने व गर्भ धारण करने से स्त्रियां शारीरिक रूप से दुर्बलता की शिकार होती है व असमय काल–कलवित होने का अंदेशा भी बना रहता है। कम उम्र में विवाह से बच्चे सामान्य प्रकृति से उत्पन्न बच्चों की अपेक्षा शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। बीमारी की स्थिति में इस जनजाति के लोग डॉक्टर के पास जाने के बजाय, बैगा के पास जाना उचित समझते हैं, जिससे जान–माल की हानि का अंदेशा बना रहता है।

❑❑❑❑



Chhattisgarh TRTI
TRIBAL RESEARCH AND TRAINING INSTITUTE


संचालनालय आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

सेक्टर-24, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) फोन : 0771-2960530

E-mail : trti.cg@nic.in, Web : www.cgtrti.gov.in